हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

3 अक्तूबर, 1972

खण्ड 2 – अंक 8

अधिकृत विवरण

विषय सूची

मंगलवार, 3 अक्तूबर, 1972

	पृष्ठ संख्या
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(8)1
नियम 45 के अन्तर्गत मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	(8)29
अतारांकित प्रश्नों एवं उत्तर	(8)31
शोक प्रस्ताव	(8)94
विशेषाधिकार प्रश्न	(8)97
सचिव द्वारा घोषणा	(8)101
कार्यमंत्रणा समिति का छठा प्रतिदेशन	(8)103
बिल –	
हरियाणा सीलिंग आन लैड होल्डिग्ज –1972	(8)102
व्यक्तिगत स्पष्टीकरण –	
चौ. प्रताप सिंह दौलता द्वारा	(8)104
हरियाणा सीलिंग आन लैंड होल्डिग्न बिल –1972	
पर चर्चा (पुनरारम्भ)	(8)106
परिशिष्ट	

हरियाणा विधान सभा

मंगलवार 3 अक्तूबर, 1972

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर –1, चंडीगढ़ में तध्यान्होपरान्त 2.00 बजे हुई। अध्यक्ष (श्री बनारसी दास गुप्ता) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, प्रश्नोत्त्र काल।

Sub registrar For Faridabad

***99. Sh. K.N. Gulati**: Will the Chief Minister be pleased to state–

(a) whether it is a fact that there is one Sub-Registrar for registering deeds relating to properties for Ballabhgarh and Faridabad blocks; and

(b) If so, when the Government intends to delegate the powers to the Treasury Officer, Faridabad, to work as Treasury Officer-cum-Sub-Registrar.

Chief Minister: (Ch. Bansi Lal): Yes.

No such proposal is under consideration of the Government.

Pandit Chiranji Lal Sharma: May I ask the hon. Chief Minister if this sub-Treasury Officer is stationed at Faribadad or at Ballabharh?

Ch. Bansi Lal: My Speaker, sir this question is not about the sub-Treasury Officer but about the Registrar at Ballabhgarh sub-Division hedquaters and Tehsil Headquarters.

श्री के.एन. गुलाटी: स्पीकर साहब, ज्यादातर रजिस्ट्रियां फरीदाबाद से जाकर बल्लभगढ़ में होती हैं। सरकार अगर फरीदाबाद के लिये सैपरेट सब–रजिस्ट्रर नहीं बना सकती तो बल्लभगढ़ की बजाय उसे फरीदाबाद मे चेन्ज कर सकती है। क्या चीफ मिनिस्टर साहब यह बताने की कृपा करेंगे कि वह ऐसा के लियें तैयार हैं?

Ch. Bansai Lal: Mr. Sperker, Sir, there is not much distance between Faridabad and Ballabhgarh and this is one complex and they are within the Municipal Limit of the same area.

Pandit Chiranji Lal Sharma: May I ask the hon. Chief Minister if there is a separate sub-Registrar for Ballabhgarh and for Faridabad or powers are vested with the Tehsildar?

Ch. Bansi Lal: The power are vested with the Tehsildar as sub-Registrar and with the Naib Tehsildar as Joint sub-Registara.

श्री के.एस. गुलाटी: स्पीकर साहब, जब इनका कम्पलैक्स एक है और कम्पलैक्स में बड़ी जगह फरीदाबाद है, फरीदाबाद और बल्लबगढ में सैपरेट ट्रेजरी आफिसर्ज है ....

श्री अध्यक्ष: गुलाटी साहब, आप पूछना क्या चाहते है?

श्री के.एस. गुलाटी: स्पीकर साहब, मैं इससे यही पूछना चाहता हू कि सब–रजिस्ट्रर का दफ्तर बल्लबगढ़ की बजाय फरीदाबाद में क्यों न शिफ्ट कर दिया जाये?

चौ. बंसी लाल: स्पीकर साहब, मैं समझ नहीं पाया कि गुलाटी साहब कौन से सवाल के बारे में पूछना चाहते हैं। एक बार तो सब–रजिस्ट्रार के बारे में सवाल पूछते हैं लेकिन दूसरी बार ट्रेजरी आफिसर्ज की बात करते हैं। आज के ही दिन में उनका एक सववाल जो ट्रेजरी आफिसर्ज से ताल्लुक रखता है, आने वाला है। मैं यह नहीं समण पया कि ये कौन से सवाल के बारे में सप्लीमैंट्री पूछ रहे हैं?

श्री के.एन. गुलाटी: सब–रजिस्ट्रार वाले सवाल के बारे में पूछ रहा हूं।

चौ. बंसी लाल: सब रजिसट्रार वाले सवाल के बारे में तो मैं जवाब दे चुका हूं।

श्री अध्यक्ष: ठीक है, उसका पवाब तो वे दे चुके हैं। अगला प्रश्न।

Allotment of Surplus Land

***127. Ch. Chand Ram**: Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) the district-wise total number of applications which were submitted by the people to the district authorities for getting land for cultivation in 1970-71 and 1971-72;

(b) the district-wise total acreage of surplus land which remained to be allotted under both the tenancy Acts; and

(c) the total number of tenants who have been settled on land in each district since 1st November, 1966?

Chief Minister (Ch. Bansi Lal): The time and labour involved in collecting the information will not be commensurate with the possible benefit to be obtained.

चौ. चांद राम: स्पीकर साहब, मेरी एक सबमिशन है।

श्री अध्यक्ष: इस समय सबमिशन नहीं हो सकती।

चौ. चांद राम: वैसे ही मैं कहूं .....

श्री अध्यक्षः क्वैश्चन आवर में कोई सबमिशन नहीं हो सकती।

चौ. चांद रामः स्पीकर साहब, देखिये सवालों का एक मतलब होता है। गवर्नमैंट की जो सोशल पालिसी है, उस बारे में इस सवाल ने थोड़ी–बहुत इन्फर्मेशन देनी है। मेरा सवाल मुजारों के बारे में है कि कितले लोगों ने दरख्वास्ते दी और कितनों को जमीन दी गई। चूंकि हर बार गवर्नमैंट के पास यह इत्तलाह आती ही रहती है इसलिये उनके लिये इसका जवाब देना एक मामूली बात थी।

श्री अध्यक्षः चौ. साहब, आप तो यह जानते ही हैं कि किसी सवाल का जवाब देना या न देना सरकार की मर्जी पर है।

चौ. चांद रामः मैं मानता हूं और इसको क्वैश्चन नहीं करता क्योंकि यहउनकी मर्जी की बात है लेकिन हमारे भी तो कुछ हक है।

श्री अध्यक्षः अभी लैंड सीलिंग का बिल आ रहा है, उस पर बोलते हुये आप मुजारों की बाबत बोल सकते हैं। अभी आप तशरीफ रखिये।

चौ. चांद रामः कितने मुजारों ने दरखास्तें दीं और कितनी सरप्लस जमीन निकली यह इन्फर्मेशन तो सरकार के पास अवेलेबल हैं।

श्री अध्यक्ष: ठीक है, आप तशरीफ रखियें अगला प्रश्न।

Upgradation of Primary and Middle Schools

***134. Ch. Ram Lal Wadhwa**: Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) the total number of Primary Schools upgraded to Middle Schools and Middle Schools upgraded to High Schools during the years 1970-71 and 1971-72 (to-date), separately; and

(b) whether any cases of upgradation of Primary Schools to Middle Schools and Middle schools to High Schools are pending with the Government at present; if so, their number and the period within which such cases are likely to be finalized?

Chief Minister (Ch. Bansi Lal):

(a) Statement is laid on the Table of the House.

(b) No such case is pending with Government. The question of stating period within which such cases are likely to be finalized, does not arise.

STATEMENT SHOWING THE NUMBER OF SCHOOLS
UNGRADED DURING THE YEARS 1970-71 AND 1971-72

Sr. No.		1970-71	1971-72	1972-73
(i)	Primary to Middle	100	104	204
(ii)	Middle to High	100	100	200

Pandit Chiranji Lal Sharma: May I know from the hon. Chief Minister if any schools whether from primary to middle or from middle to high, have been upgraded during the current year?

Ch. Bansi Lal: No, Sir.

Smt. Chandravati: Is there any proposal to ungrade some schools during the current year?

Ch. Bansi Lal: No, Sir.

तारांकित प्रश्न संख्या 138

श्री अध्यक्ष: अगले प्रश्न संख्या 138 के लिये सरकार ने ऐक्सटैंशन मांगी है जो कि ग्रांट कर दी गई है।

Energisation of tubewells in Karnal District

***142. Ch. Shiv Ram Verma**: Will the Chief Minister be pleased to state –

(a) the arrangements being made by the Government to energise those tubewells of farmers which have been lying idle for want of electricity for the last so many days;

(b) whether there are a number of tubewells in district Karnal which have not been energized inspite of the fact that security etc. in respect thereof was deposited many a days ago; and

(c) the number of days within which a tubewell is required to be energized under the rules after the submission of application therefore?

Deputy Minister (Smt. Sharda Rani): (a) Arrangements have been made to release connections to all applicants for tubewells connection, whose test reports have been received.

(b)Yes.

(c) There is no time limit between the receipt of application and releasing of connection.

चौ. शिव राम वर्मा: नये कुनैक्शन देने के बारे में यह कहा गया है कि प्रबन्ध कर रहे हैं। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या वे टयूबवैल्ज भी इसी तरह से चलेंगे जैसे कि अभी पिछले टयूबवैल्ज चल रहे हैं। अभी बिजली आई और अभी

चली गई या इसके लिये कोई परमानैन्ट प्रबनध करेंगे ताकि उन्हें रैगुलर बिजली मिल सके।

मुख्यमंत्री (चौ. बंसी लाल): स्पीकर साहब, हमारी कोशिश तो यही है कि हम इसका कोई परमानैन्ट प्रबन्ध कर सकें। मगर जैसे कि आपको पता होगा और आनरेबल मैंबर को भी पता है कि इस वक्त पूरे मुल्क में पावर शोर्टेज चल रही है। But we are doing out best to get electricity for all these tubewells from somewhere here to there.

श्रीमती चन्द्रावती: मुख्यमंत्री साहब बताने की कृपा करेंगे कि क्या कोई ऐसा सरकुलर था कि नौवें और दसवें महीने में टयूबवैल्ज को कुनैक्शन नहीं दिये जायेंगे?

चौ. बंसी लाल: स्पीकर साहब, सरकुलर के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता लेकिन हमारी यह पालिसी जरूर थी कि हम कुछ समय के लिये कुनैक्शनज नहीं दे सकेंगे। नये कुनैक्शनज देने के लिये हमें अभी 4 करोड़ रूप्या सैन्टर से मिला है और उस रूप्ये की इमदाद से अब हमारी यह कोशिश है कि मैक्सिमम पौसिबल, नये कुनैक्शनज अगले दो तीन महीनों में दिये जायें।

चौ. चांद राम: कया चीफ मिनिस्टर साहब यह बतायेंगे कि वे कौन से इकदामात हैं जिनसे वे स्टेट में बिजली पैदा करने का कैपेसिटी बढ़ाना चाहते हैं?

Ch. Bansi Lal: By getting electricity from Delhi and then some from Bhakra complex and from Rana Partap Sagar and Badarpur.

चौ. शिव राम वर्मा: नये कुनैक्शनज देने की जो बात कही गई है, उससे, जिन टयूबवैल्ज को पुराने कुनैक्शनज दिये हुये हैं उनकी बिजली में कोई कटौती तो नहीं होगी?

चौ. बंसी लाल: जी नहीं।

चौ. पीर चन्द: कया मुख्यमंत्री साहब यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब की तरह हरियाणा में भी कोई ऐसी प्रोपोजल है कि किसी दूसरे सूबे से बिजली लेकर किसानों को दी जायें?

चौ. बंसी लाल: हम पहले ही दिल्ली से बिजली ले रहे हैं।

पंडित चिरंजी लाल शर्मा:: स्पीकर साहब, मुख्यमंत्री साहब ने अभी फरमाया है कि गवर्नमैंट आफ इंडिया से हमें 4 करोड़ रूपया मिला है और हससे हम नये टयूबवैल्ज लगायेंगे। पावर शोर्टेज की सूरत में क्या गवर्नमैंट इस चीज की डिजायरेबिलिटी की ख्याल में रखेगी कि पावर शोर्टेज इतनी है कि नये टयूबवैल्ज एनरजाईज न किये जाये?

चौ. बंसी लाल: स्पीकर साहब, इस बारे में एक बात यह है कि हमें उम्मीद है कि हमें अगले महीने दो महीने में दिल्ली से और राणा प्रताप सागर से कुछ और ज्यादा बिजली मिलेगी। दूसरे,

इसके इलावा, हम डोमैस्टिक कन्जम्पशन और इंडस्ट्रियल कन्जम्पशन में कुछ कमी करके रबी की क्राप के लिये टयूबवैल्ज को बिजली देना चाहते है।

चौ. चांद राज: क्या मुख्यमंत्री साहब यह बतायेंगे कि अपने राज्य में बिजली पैदा करने की कैपेसिटी बढ़ाने के लिये कोई लम्बे समय के इकदामात सोच रही है?

चौ. बंसी लाल: स्पीकर साहब, फरीदाबाद में 62–62 मैगावाट के दो थर्मल प्लांट लगाये जा रहे हैं। एक प्लांट का काम तो इन–प्रोग्रैस है और दूसरे पर जल्दी ही शुरू हो रहा है। इसी तरह से 110–110 मैगावाट के दो थर्मल प्लांट पानीपत में लगाने का भी हमारा विचार है।

चौ. शिव राम वर्मा: हमारी यह जनता की सरकार है और जनता ने सरकार से इस विश्वास में कर्जे लेकर टयूबवैल्ज के लिए कुनैक्शनज लिए थे कि बिजली मिलेगी और वे खेतों में पानी दे सकेगे परन्तु अब उन्हें बिजली भी नहीं मिल रही है जिससे उनका बड़ा भारी नुकसान हो रहा हैं मैं यह समझता हूं कि इन हालात में किसानों की केवल 30 प्रतिशत फसल ही पैदा हो सकेगी। क्या सरकार किसानों को कुछ कम्पनसेशन देगी ताकि उनका जो नुकसान हो रहा है, वह पूरा हो सके?

चौ. बंसी लाल: आनरेबल मैम्बर इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि इस सरकार की पूरी हमदर्दी किसानों के साथ है, लेकिन हम उन्हें कमपन्सेशन नही दे सकते।

चौ. दल सिंह: क्या मुख्यमंत्री साहब यह फरमाने की कृपा करेंगे कि आप जब किसानों को पूरी बिजली स्पलाई नही कर सकते तो उस पिरियड के लिए जिस वक्त आप बिजली नही देते, एम.सी.जी. माफ करेंगे?

Ch. Bansi Lal: This is good suggestions and will be given due consideration.

श्रीमती चन्द्रावती: मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि कया किसानों को इस बात की इतलाह दे दी जाती है कि उनको किस–किस वक्त बिजली दी जाऐगी और किस–किस वक्त बिजली बन्द की जाऐगी?

चौ. बंसी लाल: जी हां। आजकल हम ऐसा ही करते है कि रोजाना किसानों को यह बता देते है कि कैसा सा फिडर किस समय से किस समय तक चलेगा तथा किस इलाके में किस समय तक बिजली मिलेगी। हम उन्हे इस बात का एडवास नोटिस दे देते है।

Pandit Chiranji Lal Sharma: May I know from the Hon. Chief Minister if it has been in the notice of the Government that electricity employees or board's employees do

not attend to complaints of the Zamindars during schedules hours even?

चौ. बंसी लालः स्पीकर साहब मेरे पास कोई स्पेसिफिक इन्सटान्स तो नहीं आई लेकिन अगर इस तरह की कोई शिकायत है तो मैं चेयरमैन इलैक्टिसीटी बोर्ड से कहूंगा कि वे इस बात का प्रबन्ध करें कि लोगो की शिकायते फौरन अटैण्ड की जाए।

चौ. शिव राम शर्माः स्पीकर साहब, अब तक आप कन्ज्यूमर और सरकार के बीच एम.सी.जी. के बारे में एक तरफा एग्रीमैन्ट होता है। मैं यह चाहता हूं कि अब दो तरफा एग्रीमैन्ट हो। अगर कन्ज्यूमर बिजली कन्ज्यूम नहीं करता तो पूरा पैसा वसूल किया जाए और सरकार के तरफ से अगर पूरी बिजली ना मिले तो उनको कम्पनसेशन दिया जाए।

चौ. बंसी लालः स्पीकर साहब, चौ. दल सिंह कि स्पलीमैन्टरी के जवाब में इस बारे में कहा जा चुका है।

चौ. दल सिंहः चीफ मिनिस्टर साहब, क्या यह बताने के कृपा करेंगे कि रवी की बुवाई शुरू हो रही है तो टयूबवैल को ज्यादा चलाने के लिए बिजली का इन्तजाम किया जाएगा?

चौ. बंसी लालः जरूरत इन्तजाम करेंगे और हमारी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा जमीन पर रवी की फसल की काश्त करवाये।

चौ. हरि सिंह: स्पीकर साहब, जमीदारों ने लैड मारगेज बैंक से टयूबवैल के लिए कर्जे लिए हुए है और उनको साल भर हो गया है लेकिन अभी तक उनको कनैक्शन नही मिला है और उन गरीबों पर खाम्खवाह इन्ट्रैस्ट पड रहा है। क्या सरकार उस इन्ट्रैस्ट को माफ करवायेगी।

चौ. बंसी लाल: हम इन्ट्रैस्ट तो माफ नहीं कर सकेंगे लेकिन हम इन्ट्रक्शज जारी कर रहे है कि जिनकी टैस्ट रिपोर्ट आ गई है उनको फौरन कनैक्शन दे दिए जाए।

Pandit Chiranji Lal Sharma: May I ask the hon. Chief Minister as to what were the reasons which led to the delay in the completion of the power house at Faridabad? I understand that it was to be completed by April, 1972. May I know the reasons for the delay in its completion?

Ch. Bansi Lal: Non-availability of material is the main reason. And I don't think that it was to come up in April, 1972. It was to come up somewhere in 1973. But, it will be coming up 2/3 months earlier.

Pandit Chiranji Lal Sharma: Will the Hon. Chief Minister kindly state the year or date by which the Power Houses at Faridabad and Panipat are likely to be completed?

Ch. Bansi Lal: The work has not yet been taken in hand. But we are trying our best to do it as early as possible.

श्री निहाल सिंह: जिन ऐरियाज में नहरों से पानी नहीं मिलता और जहां टयूबवैल्ज आदि से सिचाइ होती है, क्या उनको पूरी बिजली दी जाएगी और क्या उनकी प्रैफरैन्स दिया जाएगा?

चौ. बंसी लाल: जरूर दिया जाएगा ओर हम तो आनरेबल मैम्बर के हल्के में नहर भी भेजने की सोच रहे हैं।

चौ. चांद राम: क्या चीफ मिनिस्टर साहब यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन दूसरी स्टेट्स से बिजली लेने के लिए बातचीत चल रही है उसका कब तक फैसला हो जाएगा और इसके अलावा जो थर्मल प्लांट लगाने जा रहे है उनसे कितनी मिकदार में बिजली हासिल होगी। क्या इसका कोई अन्दाजा है?

चौ. बंसी लाल: स्पीकर साहब, सारा हिसाब जबानी याद नहीं रखा जा सकता लेकिन ऐग्रीमैंट रिव्यू होते रहते हैं। कभी बिजली कम होती है और कभी पूरा मिलती है लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमको अधिक से अधिक बिजली मिलें।

New Mandi

***149. Sh. Gauri Shankar**: Will the Minister for Agriculture be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to set up a new Mandi between Narwana and Khanori; if so, the name of the place where it is proposed to be set up?

कृषि मंत्री (चौ. भजन लाल): (i) जी हां।

(ii) दाता सिंह वाला।

श्री गौरी शंकर: चौ. साहब ने अपने जवाब में दाता सिंह वाला का नाम लिया जहां पर कि सरकार मंडी बनाने जा रही है लेकिन उजाना या गढ़ी में अगर मंडी बनाई जाए तो ज्यादा अच्छा रहे क्योंकि इनसे सरकार को ज्यादा आमदनी होगी।

चौ. भजन लाल: मैम्बर साहब ने जिन जगहों के बारे में जिक्र किया है इसको ऐग्जामिन कर लेंगे अगर मुनासिब हुआ तो वहां भी बनाने के लिए कार्यवाही करेंगे।

चौ. चांद राम: क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि नई मंडी बनाने के वक्त किन–किन बातों का ख्याल रखा जाता है?

चौ. भजन लाल: स्पीकर साहब, नई मंडी बनाने के वक्त एक तो इस बात का ध्यान रखा जाता है कि उसके नजदीक दूसरी मंडी न हो। इसके अलावा उस इलाके में कितना अनाज पैदा होता है, कितना बिक्री के लिए आ सकता है कई बातों को ध्यान में रखकर नई मंडी की स्थापना की जाती है।

पंडित चिरंजी लाल शर्मा: क्या मिनिस्टर साहब यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या मंडी की डिमांड पब्लिक की तरफ से आती है या सरकार खुद इस बारे में डिसिजन लेती है?

चौ. भजन लाल: स्पीकर साहब, दोनों ही बातें है। डिमांड भी आती है और सरकार भी खुद देखती है कि यहां मंडी की जरूरत है वहां पर मंडी बना देती है।

चौ. दल सिंह: मंत्री महोदय ने जिस जगह का नाम कलया है वह जीन्द डिस्ट्रिक्अ का लास्ट विपेज है वहां मंडी बनाने का कैसे ख्याल आया?

चौ. भजन लाल: ऐसा लगता है कि चौ. दलसिंह ने यह गांव देखा नहीं है यह गांव लास्ट नहीं है। वहां से संगरूर डिस्ट्रिक्ट का बोर्डर सात–आठ मील पड़ता है। यहां से हरियाणा का ज्यादा अनाज पंजाब की मंडी में जाता है इस बात को ध्यान में रखकर यह मंडी बनाई जा रही है। उस एरिया में कोई और मंडी नहीं है।

पंडित चिरंजी लाल शर्मा: जिन चार–पांच जगहों पर मंडी बनाने का केस पेडिंग है उसकी क्या पोजीशन है मसलन बल्लबगढ़?

चौ. भजन लाल: बल्लबगढ़ में इस साल मंडी बनाने जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री (चौ. बंसी लाल): पंडित जी बल्लबगढ़ का ध्यान आपको कैस आ गया? (हंसी)

श्रीमती चन्द्रावती: वजीर साहब यह बताने की कृपा करंगे कि जहां पर मंडी बनती है वहां क्या इस बात का ध्यान रखा जाता है कि वह जगह रेल से तथा सड़क से कनैक्टिड हो?

चौ. भजन लाल: स्पीकर साहब यह बताने की कृपा करेंगे कि जहां पर मंडी बनती है वहां क्या इस बात का ध्यान रखा जाता है कि वह जगह रेल से तथा सड़क से कनैक्टिड हो?

चौ. फूल सिंह कटारिया: झज्जर की मंडी बनाने के बारे में क्या विचार है?

श्री अध्यक्ष: आप आये तो साल्हावास से हैं और सवाल झज्जर के बारे में पूछ रहे हैं। (हंसी)

चौ. भजन लाल: झज्जर में मंडी बनाने की प्रपोजल है और इस साल वहां पर मंडी बनाने जा रहे हैं।

चौ. दल सिंह: स्पीकर साहब, खनौरी मंडी दातासिंह वाला से छह मील के फासले पर है और वह पंजाब में है तो ऐसी हालत में दातासिंह वाला में मंडी बनाने की क्या जरूरत है?

चौ. भजन लाल: हमारे यहां से ज्यादा अनाज पंजाब की मंडी में चला जाता है इसलिये इस जगह पर हम मंडी बना रहे हैं।

चौ. बंसी लाल: यह तो छह मील का फासला है लेकिन यमुना नगर और जगाधरी तो नजदीक हैं लेकिन दोनों की जगह मंडी हैं।

चौ. फूल चन्द (मुलाना): बराड़ा में मंडी बनाने की मांग चल रही हैं वहां क्या ऐक्शन ले रहे हैं?

चौ. भजन लाल: वहां की भी प्रपोजल अन्डर कंसीड्रेशन है।

चौ. पीर चन्द: मंत्री महोदय को इल्म होगा कि हिसार की मंडी की मांग चार–पांच साल से है। वहां पर सड़कें भी है, प्लान और जो दूसरी चीजें चाहिये वे तैयार हैं, लेकिन आज यह पता नहीं कि वह बनेगी या नहीं। क्या वह प्रपोजल अभी है यह खत्म हो गई है?

चौ. भजन लाल: हिसार की मंडी के बारे में अगर सैपरेट नोटिस दें तो अच्छा रहेगा क्योंकि यह प्रश्न इस क्वैश्चन से अराईज नहीं होता। दातासिंह वाला के बारे में सवाल पूछा था और उसका जवाब दिया गया है। हिसार जहां सड़कें बन चुकीं हैं वहां अब देखना यह है कि सरकार कहां मंडी बनाये, शायद उस जगह को शिफ्ट करे क्योंकि वह जगह सूटेबल है या नहीं यह सारी बातें सरकार देखेगी। लेकिन जो सवाल पूछा गया है उससे यह सप्लीमैन्टरी अराईज नहीं होती।

चौ. फूल चन्द (रोहट): क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि क्या सरकार सब्जी मंडी भी बनाने का विचार रखती है क्योंकि कई जगहों पर सब्जी मंडियां बहुत ही तंग जगहों पर हैं।

चौ. बंसी लाल: हां एक सब्जी मंडी और एक फ्रूट मंडी भी आनरेबल मैंबर के के इलाके में बनाने जा रहे हैं जिन्हें खाकर वह मोटा हो जायेगा। (हंसी)

Starred Question No. 156

Speaker: Extension has been asked for in respect of starred.

Question No. 156. It is therefore postponed.*

Reorganisation of District Jind

***170. Ch. Dal Singh**: Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to reorganise district Jind by extending its boundaries; and

(b) if so, the time by which it is likely to be extended?

Chief Minister (Ch. Bansi Lal):

(a)No, Sir.

(b)Question does not arise.

चौ. दल सिंहः क्या मुख्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि कृपया पिछले दो साल में ब्लाक समितियों की तरफ से इस बारे में कोई रिप्रैजेन्टेशन मिला है?

चौ. बंसी लालः रिप्रैजेन्टेशन भी मिला है और डिस्ट्रिक्ट रिआर्गेनाइजेशन की बात एक बार हुई थी मगर वह मुलतबी कर दी गई। ट्रेजरी बेन्चिज के मैंबर और सभी अपोजीशन के मैंबर बैठकर सब डिस्ट्रिक्टस की डिमारकेशन की बात करना चाहें तो सरकार को कोई एतराज नहीं है लेकिन कोई कन्ट्रोवरशियल बात नहीं छिड़नी चाहिए। अगर सब मिलकर कोई बात करें तो गवर्नमैंट को कोई एतराज नहीं है।

चौ. मेहर चन्दः स्पीकर साहब, मेरा एक सवाल था उसका क्या हुआ?

श्री अध्यक्षः उसके लिये ऐक्सटेन्शन मांगी थी वह दे दी गई है।

चौ. दल सिंहः स्पीकर साहब, जींद डिस्ट्रिक्ट एक बहुत छोटा डिस्ट्रिक्ट है जिसकी आबादी बहुत थोड़ी है और असगन्ध, राजोंध, नारनोंद ब्लाक हैं अगर उसके नुमाइन्दे मिलकर एक प्रस्ताव पास करें तो क्या सरकार उसको कंसीडर करने के लिये तैयार है?

चौ. मेहर चन्द: स्पीकर साहब, मेरा एक सवाल था उसका क्या हुआ?

श्री अध्यक्ष: उसके लिये ऐक्सटेन्शन मांगी थी वह दे दी गई है।

चौ. दल सिंह: स्पीकर साहब, जींद डिस्ट्रिक्ट एक बहुत छोटा डिस्ट्रिक्ट है जिसकी आबादी बहुत थोड़ी है और असगध, राजोंध, नारनौंद ब्लाक हैं अगर उसके नुमाइन्दे मिलकर एक प्रस्ताव पास करें तो क्या सरकार उसको कंसीडर करने के लिये तैयार है?

चौ. बंसी लाल: मैं मानता हूं कि जींद डिस्ट्रिक्ट छोटा है लेकिन सभी एम.एल.एज. सारी जनता, ब्लाक समिति सब के सब मानेंगे, सभी मिलकर कहेंगे तो मुझे कोई एतराज नहीं है।

Dearness Cut From The Pay of J.B.T. Teachers

***175. Rao Dalip Singh**: Will the Chief Minister be pleased to state

*प्रश्नोतर बाद में प्राप्त हुआ जो कि परिशिष्ट के रूप में छापा गया है।

whether any amount is being deducted from the pay of the J.B.T. teachers in the name of dearness cut?

Chief Minister: (Ch. Bansi Lal): No.

राव दलीप सिंह: क्या चीफ मिनिस्टर साहब बतायेंगे कि कुछ जे.बी.टी. टीचर्ज के डी.ए. पर 18 रूपये का कट लगता रहा है और कुछ पर 45 रूपये का कट लगता रहा है उस फर्क को वे खत्म करेंगे?

चौ. लाल बंसी: स्पीकर साहब, हमने रैशनेलाईजेशन आफ सैलरीज कर दी थी इसलिये ऐसा कोई कट जिसमें फर्क हो, नहीं लग रहा है।

Treasury Officers

***100. Sh. K.N. Gulati:** Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) whether it is a fact that for two Treasury Officers Ballabhgarh and Faridabad, only one Treasury Officer is working; and

(b) if so, the time by which the Government intends to post separate Treasury Officers for Ballabhgarh and Faridabad.

Chief Minister (Ch. Bansi Lal):

(a) No. A separate Treasury Officer is working for the Treasury Faridabad and a separate Assistant Treasury Officer for the Sub-Treasury Ballabhgarh.

(b) Does not arise.

Harijan Kalyan Nigan

***129. Ch. Chand Ram:** Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) the total number of applications for loans which have been submitted to the Harijan Kalyan Nigan right from the date of its registration/formation;

(b) the total number of persons together with the total amount which have been given as loan so far;

(c) whether there is any proposal. under socnsideration of the Government to increase the paid up and subscribed capital of the above said Nigam to meet the demand for loans to the Harijans;

(d) the rate of interest charged by the Government and whether there is any balance available with the Harijan Kalyan Nigam to advance loans at present; and

(e) whether each applicant is now being asked to get his thumb or signature attested by a gazetted officer or District Welfare Officer; if so, the reasons therefore?

Development Minister (Sh. Shyam Chand):

(a) 12286.

(b) Rs. 23,97750 have been disbursed to 584 loanees upto-date.

(c) No.

(d) The rate of interest varies from 3% to 7% for various trades/professions. The Nigam has about Rs. 10 lakhs for advancing loans to Harijans.

(e) Yes. The procedure has, however, now been modified. Attestation can not also be done by a Sarpanch or Secretary, (Gram Sachiv) of the Gram Panchayat concerned. This has been done to verify the genuineness of the thumbimpression/signature of the applicants.

चौ. चांद राम: मिनिस्टर साहब ने बताया है कि 12,286 दरख्वास्तें आई हैं और 584 लोगों को तकरीबन 24 लाख रूपया लोन के तौर पर दिया गया है। क्या मैं जान सकता हूं कि जो बाकी एप्लीकैन्ट्स रह गये हैं उनको निपटाने के लिये गवर्नमैंट कुछ और मजीद रूपये का प्रबन्ध कर रही है?

Sh. Shyam Chand: Yes, we are doing.

श्री अमर सिंह: मंत्री साहब ने बताया है कि 12,286 एप्लीकेशन्ज थीं और उन में से 584 लोनीज को लोन दिया है। क्या वे बताने की कृपा करेंगे कि कितनी एप्लीकेशन्ज अभी बाकी पैंडिग पड़ी हैं और उनके लिये कितनी अमाउंट रिक्वायर्ड है?

श्री श्याम चन्द: यह तो सीधा हिसाब है, बाकि की सारी एप्लीकेशन्ज पैंडिग हैं जिनको अभी लोन नहीं दिया गया।

चौ. शिव राम वर्मा: क्या वजीर साहब बतायेंगे कि जो रूपया वह पिछले दो सालों में बांट नहीं सके क्या अब उसको बांटने की कोशिश करें गे जबकि बहुत एप्लीकेशन्ज उनके पास पैंडिंग पड़ी हुई हैं?

श्री श्याम चन्द: मैं मैंबर साहब को बताना चाहता हूं कि इस रूपये के लैप्स होने की तो कोई संभावना नहीं रहती।

पंडित चिरंजी लाल शर्मा: क्या मैं जान सकता हूं कि लोन्ज को डिस्ट्रिब्यूट करने का क्या क्राइटेरिया है, इसके लिये कौन सी अथारिटी गवर्नमैंट ने मुकरर्र की हुई है और क्या लोन देने से पहले कोई तसदीक वगैरा भी की जाती है?

Sh. Shyam Chand: There is a Board of Directors of the Nigam. On the recommendations of the Board of Directors, loan is granted.

श्रीमती चन्द्रावती: क्या वजीर साहब, बातयेंगे कि लोन देते वक्त वे इस बात का ध्यान रखते हैं कि सब जिलों में बराबर से लोन डिस्ट्रिब्यूट हो या ऐसा है कि किसी एक ही जिले के लोगों को ज्यादा दिया गया है?

Sh. Shyam Chand: Due consideration is given to every aspect.

चौ. चांद राम: स्पीकर साहब, इनके पास कोई 12 हजार दरख्वास्तें आई और उनकी अटैस्टेशन की जैनुअननैस देखते के लिये कि आया उनके ऊपर अंगूठे वगैरा ठीक लगे हुये हैं वे 12 हजार की 12 हजार ही वापिस भेज दी गई। इससे पहले लोगों को दरख्वास्तें भेजने में खर्च करना पड़ा और दोबारा सरकार पर खर्चा पड़ा। मगर लोन सरकार ने सबको नहीं दिया। इसलिये मैं यह जानना चाहता हूं कि गवर्नमैंट कोई ऐसा प्रोसीजर बना सकेगी कि केवल जिनको कर्जा देना हो उनकी ही दरख्वास्तें तसदीक कराने के लिये भेजी जाया करें। इन्होंने 12 हजार को तो लोन देना ही नहीं इसलिये सबकी दरख्वास्तें तसदीक के लिये नहीं भेजी जानी चाहियें।

श्री अध्यक्ष: आपका सवाल आ गया अब आप मिनिस्टर साहब का जवाब सुन लें।

Sh. Shyam Chand: Mr. Speaker, Sir, not all applications had been sent back: only those applications which were incomplete in one respect or the other were sent back for competion.

चौ. शिव राम वर्मा: क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि जो पिछली बार रूपया बांटे बिना रह गया था हालांकि दरख्वास्तें बहुत थीं लेकिन रूपया कम बांटा गया, इसकी क्या वजह थी, क्या उन्होंने इस बात की जांच की है कि क्या नुकायस थे जिनकी

वजह से ऐसा हुआ और आयंदा के लिये उन नुकायस को दूर किया जायेगा?

श्री श्याम चन्द: रूपया कम बांटने की तो कोई बात नहीं है। इस वक्त सिर्फ दस लाख रूपया बाकी है और 20 लाख निगम को और मिलेगा जो कि सारे का सारा बांट दिया जायेगा।

चौ. फूल चन्द (मुलाना): क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि हरिजन की क्या डैफिनिशन है, महज कास्ट के आधार पर हरिजन समझा जाता है या कि इकनौमिक पोजीशन के हिसार से हरिजन माना जाता है?

श्री श्याम चन्द: इसकी तो डैफिनिशन विधान में दी हुई है आप वहां से देख सकते हैं।

श्री ओम प्रकाश गर्ग: क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि जो हरिजनों की पहले दरख्वास्तें आई हुई हैं, उन सबको लोन देने के बाद आगे के लिये और दरख्वास्तें ली जायेंगी या उन केसिज को खत्म किये बगैर आगे और दरखास्तें लेकर उनको भी लोन दिये जायेंगे?

श्री श्याम चन्द: हरिजनों को हम खत्म नहीं करेंगे उनकी एप्लीकेशन्ज को डिसपोज आफ किया जाता है। जो डिजरविंग केसिज होते हैं उनको पहले देखकर फिर नई एप्लीकेशन्ज वालों को दिया जाता है।

श्री अमर सिंह: मंत्री महोदय ने बताया था कि 12,286 ऐप्लीकेशन्ज उनके पास आई और उनमें से 584 को उन्होंने लोन दिया है। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि यह सब ऐप्लीकेशन्ज गवर्नमैंट के पास आई और उनके डिसपोज आफ करने के लिये गवर्नमैंट ने कोई टाईम लिमिट मुकरर्र की है?

श्री श्याम चन्द: इसके लिये टाईम लिमिट मुकरर्र नहीं हो सकती। एज सून एज फण्ड्ज अवेलेबल हो जाएंगे हम उनको डिसपोज आफ कर देंगे।

Pandit Chiranji Lal Sharma: Sir, in view of the reply that attestation by a Sarpanch would be sufficient, may I know from the hon. Minister whether it is in his knowledge that in the proforma prescribed for the purpose, the affidavit has got to be attested by an oath Commissioner or a Magistrate? If so, will the Sarpanch be able to attest the affidavit also?

Sh. Shyam Chand: Yes, We have sent instructions to all the District Welfare Officers and Inspectors about this.

चौ. चांद राम: स्पीकर साहब, वजीर साहब के जवाब में एक कन्ट्राडिक्शन आ गई जोकि आपने भी औबजर्ब की होगी। पार्ट (सी) में मैंने पूछा था :–

"whether each applicant is not being asked to get his thumb or signature attested by a gazetted officer or District Welfare Officer; If so, the reasons therefor?"

लेकिन उन्होंने जवाब दिया है कि हम जिनकी इनकम्पलीट हैं सिर्फ उन एप्लीकेशन्ज को भेजते हैं, सबको नहीं भेजते। इन्होंने जो लिखा हुआ जवाब भेजा है और जो जबानी जवाब दिया है उन दोनों में कन्ट्राडिक्शन है। इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि कौन से जवाब को ठीक माना जाये?

Sh. Shyam Chand: In May this year we have asked applicants to get attestation either by Sarpanch or Gram Sachiv and before May, 1972 if any application was incomplete in this respect application was sent back for completion and there was not mention that incomplete form was to be attested by a Gazetted Officer or anybody else.

Pandit Chiranji Lal Sharma: May I know from the hon. Minister whether the Government is aware of the fact that thousands of Harijans have to wander from pillar to post from morn till eve simply for attestatation; if so, whether the Government would issue instructions specifically that attestation by Sarpanch or Lambardar would be sufficient without any need for going to towns for this purpose?

Sh. Shyam Chand: We have already isued instructions in May, 1972.

चौ. रिजक राम: मिनिस्टर साहब ने फरमाया है कि अटैस्टेशन सरपंच भी कर सकता है। उन्होंने देखा होगा कि फार्म में अब भी मैजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल और दर्जा दोम का खाना है कि वह अटैस्टेशन करें। दूसरे जो अनपढ़ सरपंच हैं, जो लिखे पढ़े

हुए नहीं हैं क्या अटैस्टेशन के लिये आप उन्हें कम्पीटैन्ट समझते हैं?

Sh. Shyam Chand: Sir, In the previous form there was no mention that it should be attested by a gazetted officer. Secondly, the Sarpanch is an elected representative and if the M.L.A. is illiterate, we cannot help.

श्री अमर सिंह: क्या वजीर साहब बताएंगे कि इस निगम के अकाउंट्स अफसर, जो हरिजनों की लोन ऐप्लीकेशन्ज डील करने के लिये हैं, ऐम्बैजलमैंट के केस में अरैस्ट हुये हैं?

श्री श्याम चन्द: इसके लिये सैपरेट नोटिस दें।

चौ. रिजक राम: अभी वजीर साहब ने फरमाया है कि इस साल के लिये 40 लाख रूपया मिलता था। क्या मैं पूछ सकता हूं कि वह रूपया कब तक मिलना था, कब तक मिलने की उम्मीद है और वह किस सोर्स से मिलना था गवर्नमैंट से या किसी प्राईवेट सोर्स से मिलना था?

श्री श्याम चन्द: गवर्नमैंट से मिलना था और वह जल्दी ही मिल जायेगा।

Theft Cases in the State

***135. Ch. Ram Lal Wadhwa**: Will the Minister for Home be pleased to state –

(a) the district-wise total number of cases of theft committed in the State during the years 1970-71 and 1971-72;

(b) the nubmer of cases out of those referred to in part (a) above, have been detected so far; and

(c) the reasons for the increase of cases of theft if any, in comparisan to the years 1968-69 and 1969-70?

Home Minister (Sh. K.L. Poswal):

(a) 2,517 and 2,534 cases of theft were committed during the years 1970-71 and 1971-72 respectively. District-wise break-up is given below :-

District	1970-71	1971-72
Hisar	472	416
Gurgaon	359	537
Rohtak	413	436
Ambala	377	391
Narnaul	119	76
Jind	132	119
Karnal	645	559

(b) 1,210 and 1,389 cases of 1970-71 and 1971-72 respectively were detected. The district-wise position is mentioned below :-

District	1970-71	1971-72
Hisar	181	243
Gurgaon	202	328
Rohtak	214	207
Ambala	236	229
Narnaul	77	26
Jind	48	50
Karnal	252	306

(c) During 1968-69 and 1969-70, 2,823 and 2645 cases were reported respectively Thus there is no increase.

चौ. राम लाल वधवा: क्या वजीर साहब बतायेंगे कि गुडगांव में 1970–71 में 359 से बढ़कर 1971–72 में चोरियां 537 हो गई और पार्ट बी. में करनाल में 292 की बजाये 306 हो गई इसका क्या रीजन है?

श्री के.एल. पोसवाल: इसका रीजन यह है कि हमने इन्सट्रक्शनज की हुई हैं कि जो भी केस आये, पुलिस उसे रजिस्टर करे। हमने एफिशिमेंसी बढ़ाई है।

Pandit Chiranji Lal Sharma: Will the Home Minister kindly state if it is a fact that a majority of the cases of theft in Gurgaon district were registered in his own constituency?

Ch. Minister (Ch. Bansi Lal): And that too by Gujars.

श्री के.एल. पोसवाल: अब तो स्पीकर साहब सभी जात करने लग गई। (हंसी)

श्री निहाल सिंह: क्या वजीर साहब बतायेंगे कि क्या यह ठीक है कि जब से वह होम मिनिस्टर बने हे। गुड़गांव में चोरियां ज्यादा बरामद होने लगी हैं?(हंसी)

श्रीमती चन्द्रावती: वजीर साहब ने बताया है कि उन्होंने हिदायत कर दी है कि चोरियों के केसिज की रजिस्ट्रेशन हो। क्या इस तरह से रूल्ज या इन्सट्रक्शन्ज हैं कि इससे कम या इससे ज्यादा चोरियों के केसिज दर्ज नहीं होने चाहिये?

श्री के.एल. पोसवाल: हमारी हिदायत तो यह है कि जो भी केस आये उसे रजिस्टर करें।

चौ. पीर चन्द: वजीर साहब बतायेंगे कि क्या उन्होंने चोरों की हिदायत कर दी है कि वे ज्यादा चोरियां करें या पुलिस को कह दिया है कि वे ज्यादा केस रजिस्टर करें? (हंसी)

श्री के.एल. पोसवालः वैसे तो हमने दोनों को ही कहा हुआ है।(हंसी)

चौ. शिव राम वर्माः वैसे तो मैं यह मुख्यमंत्री जी की अक्लमंदी समझता हूं जो यह चोरों और पुलिस का महकमा छांट कर इनको दिया है। (हंसी) तो मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार के अलावा उनके जो अपने निजी रिसोर्सिज भी होते हैं उनसे चोरियों को कम करवाने की कोशिश करेंगे .... विघ्न ... यह जो चोरियां होती हैं बजाये इसके कि इनके केस दर्ज होकर बीच में पड़े रहें क्या उनकी ज्यादा से ज्यादा बरामदगी के लिये भी कोशिश करेंगे?

श्री के.एल. पोसवालः स्पीकर साहब, मैं अपना निजी रसूख भी इस्तेमाल करता हूं लेकिन इस भाई का कुनबा थोड़ा मानता नहीं है। (हंसी)

श्री के.एल. गुलाटीः क्या वजीर साहब बतायेंगे कि पिछले 6 महीने में फरीदाबाद में घरों में कितनी चोरियां हुई और कितनी ट्रेस हुई?

श्री अध्यक्षः तो अब तक कौन सी चोरियां का जिक्र था? घरों का ही था।(हंसी)

श्रीमती चन्द्रावतीः क्या वजीर साहब बतायेंगे कि यह चोरियां कम हों इसके लिये सरकार क्या कदम उठा रही है?

श्री अध्यक्ष: एक कदम तो यह उठाया है कि पोसवाल साहब को होम मिनिस्टर बनाया है। (हंसी)

Civil Hospital Building Hansi

***139. Sh. Amar Singh**: Will the Chief Minister be pleased to state –

(a) whether it is a fact that the Civil Hospital building at Hansi has been declared unserviceable by the P.W.D. (B & R); if so, the action, if any, taken thereon by the Government;

(b) the total amount spent on the completion of the above said building along with the date of its completion; and

(c) whether it is a fact that the roof of operation theatre mya collapse at any moment; if so, the steps, if any, taken by the Government in this respect so far?

Deputy Minister (Smt. Sharda Rani):

(a) Yes. The question of carrying out special repairs to the building is under consideration.

(b) The building was constructed by the donors in January, 1967, at their cost and the amount spent by them is not known.

(c) Yes. The dangerous portion of the building has been discarded and alternative arrangements have been made.

श्री अमर सिंहः सवाल के (ए) पार्ट का जवाब हां में दिया गया है। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि यह इमारत कब से अनसर्विसेबल डिक्लेयर की हुई है और उसके लिये आल्टरनेटिव अरैंजमैंट क्या किया हुआ है?

श्रीमती शारदा रानीः उसकी स्पैशल रिपेयर्ज के लिये 41,250 रूपये मंजूर किये हुये हैं और वह काम जल्दी होने वाला है।

श्री अमर सिंहः मैं यह जानना चाहता हूं कि इस अमारत को कब से अनसर्विसेबल डिक्लेयर किया हुआ है?

Chief Minister (Ch. Bansi Lal): In December last.

चौ. श्याम लालः क्या वजीर साहिबा, बतायेगी कि पलवल हस्पताल जिसका फाउंडेशन स्टोन लगभग एक साल पहले रखा जा चुका है उस पर काम कब तक जारी हो जायेगा?

श्रीमती शारदा रानीः अगले साल तक।

श्री अमर सिंहः मैंने सवाल के पार्ट (बी) में टोटल अमाउंट के बारे में पूछा था लेकिन यह बताया नहीं गया है। क्या यह बतायेंगे कि टोटल अमाउंट कितना है? इसके अलावा मैं जानना चाहता हूं कि वह इमारत 1967 में कम्पलीट होने के बाद लास्ट सितम्बर में इतनी जल्दी अनसर्विसेबल क्यों डिक्लेयर की गई ओर इसका क्या रीजन है?

चौ. बंसी लाल: स्पीकर साहब, इसमें बात ऐसी है कि चौ. शेर सिंह रघुबीर सिंह नाम के मैटर्निटी हास्पीटल की बिल्डिंग श्रीमती सरस्वती देवी और श्रीमती मनोहर देवी जोकि हांसी के रहने वाली हैं उन्होंने उनके अन्दाजा के मुताबिक दो लाख की लागत से बनवा कर हमें दी थी। इसलिये हम बीच में नहीं आते हैं हमें हस्पताल की बिल्डिंग बना कर दी गई है इसलिये हम ऐक्शन किस के खिलाफ लें। अभी डिप्टी मिनिस्टर साहिबा ने बताया कि उसकी रिपेयर के लिये कोई 40/41 हजार रूपये मंजूर किये गए हैं। लेकिन कल रात के बाद मैंने इस पर सैकिंड थाट दिया है और मैं सोच रहा हूं कि बजाये इसके कि मुरम्मत की जाये क्योंकि मुरम्मत करने के बाद भी उसकी वही हालत रहेगी क्यों न नया हस्पताल बनाया जाये। For the time being we will stop repairs and we will think on the lines of constructing a new building there.

श्री अमर सिंह: रिपेयरिंग से तो काम नहीं चलेगा जब तक बिल्डिंग नहीं बनायेंगे। इसका कोई न कोई आल्टरनेटिव अरेन्जमैंट होना चाहिये।

चौ. बंसी लाल: आल्टरनेटिव अरैंजमैंट कर दिया है। तीन कमरे जो अनसर्विसेबल डिक्लेयर किये गये थे, लेबर रूम, आप्रेशन थियेटर और डिस्पैन्सरी, इन तीन कमरों का काम होस्पिटल के दूसरे प्राइवेट वार्ड के कमरों में किया जा रहा है यानी प्राइवेट वार्ड के कमरो को इस्तेमाल किया जा रहा है।

Co-operative Sugar Mills

***143 Ch. Shiv Ram Verma**: Will the Chief Minister be pleased to state the time by which the work of setting up the Co-operative Sugar Mills at Sonepat and Kaithal will be started and the time by which it will be completed and the procurement of sugarcane will be started?

कृषि मंत्री (चौ. भजन लाल): जहां तक सोनीपत मिल की स्थापना के कार्य का सम्बन्ध है वह पहले ही आरम्भ हो चुका है। भारत सरकार ने सोनीपत सहकारी का सम्बन्ध है वह पहले ही आरम्भ हो चुका है। भारत सरकार ने सोनीपत सहकारी चीनी मिल लगाने के लिये लैटर आफ इन्टैट जारी कर दिया हैं इस चीनी मिल की गन्ना पेलने की क्षमता प्रतिदिन 1250—1500 टन होगी। चीनी मिल लगाने में लगभग 280 लाख रूपया लग जायेगा। गन्ना उत्पादकों से 60 लाख रूपये के हिस्से पूंजी एकत्रित करने की योजना है। यदि गन्ना उत्पादकों ने इस बारे में उत्साह दिखाया और 60 लाख रूपये के हिस्सा पूंजी मार्च 1973 तक एकत्रित हो गये तो चीनी मिल नवम्बर/दिसम्बर, 1974 तक कार्य आरम्भ कर देगी। जहां तक कैथल सहकारी चीनी मिल का सम्बन्ध है अभी तक 'लैटर आफ इन्टैन्ट जारी नहीं हुआ है। इस समय यह नहीं कहा जा सकता कि कैथल में चीनी मिल कब तक कार्य आरम्भ कर सकेगी?

पंडित चिरंजी लाल शर्मा: क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि सोनीपत में शुगर मिल लगाने के लिये जमीन एक्वायर हो चुकी है और कम्पनसेशन की असैसमैंट हो चुकी है?

चौ. भजन लाल: स्पीकर साहब, इस काम के लिये एक कमेटी बनी हुई है। अभी कमेटी ने जमीन सिलैक्ट नहीं की कि कोन सी जगह मिल लगानी है। कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद अगली कार्यवाही की जायेगी।

चौ. शिव राम वर्मा: स्पीकर साहब, क्वैश्चन मैंने करनाल के बारे में भी पूछा था लेकिन किसी कारण से इसमें नहीं आया। मैं अब पूछना चाहता हूं कि करनाल में शुगर मिल लगाने के बारे में क्या स्थिति है?

चौ. भजन लाल: करनाल शुगर मिल का काम स्टार्ट है। उस मिल में हमने किसानों को शेयर दिये हैं और 20 लाख के करीब शेयर जमा हो चुके हैं। यहां पर भी कमेटी बनी हुई है। यह कमेटी जमीन सिलेक्ट करके अपनी रिपोर्ट सरकार को भेजेगी और उसके बाद सरकार जमीन एक्वायर करके आगे कार्यवाही की जायेगी।

श्री अध्यक्ष: मैं आपकी सूचना के लिये बता देता हूं कि चौ. राम लाल जी का क्वैश्चन इस सिलसिले में आया था, इसीलिये इसका जिक्र इसमें नहीं है।

चौ. राम लाल वधवा: पिछले सैशन में इसका जवाब आ चुका है।

चौ. शिव राम वर्मा: क्या मंत्री महोदय बतायेगे कि करनाल में जमीन हासिल करने में क्यो मुश्किलात हैं? काफी दिनों से जमीन एक्वायर करने की बात चल रही है लेकिन पता नहीं क्यों नहीं ली जा रही? क्या मंत्री महोदय इस देरी का कारण बतायेंगे?

चौ. भजन लाल: यह तो कमेटी का काम है, वह देखेगी कि कहां पर जमीन एक्वायर करनी है, कौन सी जगह सुटेबल है। जब कमेटी की रिपोर्ट आ जायेगी तो आगे कार्यवाही होगी।

पंडित चिरंजी लाल शर्मा: क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि जिस जगह को पहले लेने का फैसला किया गया था उस साईट को अब चेंज करने की प्रोपोजल है? अगर ऐसा फैसला है तो उसके कारण क्या हैं?

चौ. भजन लाल: जगह तजवीज ही नहीं की गई, इसलिये बदलने का सवाल ही पैदा नहीं होता।

चौ. दल सिंह: स्पीकर साहब, पानीपत करनाल जिले में है और कैथल भी करनाल जिले में है यानी करनाल में तीन शुगर मिल्ज हैं लेकिन जींद में एक भी नहीं है। क्या सरकार इस बात का ध्यान रखेगी कि जिस जिले में एक भी मिल नहीं है, वहां पर मिल लगाने के प्रश्न पर विचार करेगी?

मुख्यमंत्री (चौ. बंसी लाल): लोहारू में शुगर मिल कैसे लगेगी? (हंसी) स्पीकर साहब, चौ. शिव राम वर्मा पूछा था कि साईट कहां पर है। वहां पर सिफारिश करने का आइडिया यह था कि करनाल में शुगर मिल लगने से करनाल पानीपत के नजदीक पड़ता है। नीलोखेड़ी, शाहबाद में अगर कोई सिचुएशन तलाश की जाये तो मेरी राय में यह अच्छी है। अगर चौ. शिव राम कोई अच्छी सुजैशन देंगे, कोई ऐसी तजवीज बतायेंगे जिससे ज्यादा एरिया कवर हो जाये तो उस जगह को लेने के लिये तैयार हैं।

चौ. शिव राम वर्मा: मैं इसकी साईट के लिये एक सुझाव देना चाहता हूं। तरावड़ी, जो रेलवे स्टेशन के पास है, बहुत अच्छी जमीन है। वहां पर न पानी का खतरा है और न कोई और झगड़ा है। जी.टी.रोड भी नजदीक है ओर खादर का एरिया भी नजदीक है।

चौ. बंसी लाल: सिचुएशन फाइनल करने से पहले आनरेबल मैंबर को कान्फीडैंस में लेंगे, इनसे बात कर लेगें, डिस्कम कर लेंगे और जो जनता के भले की बात होगी उसको मानने में हमें कोई झिझक नहीं होगी।

पंडित चिरंजी लाल शर्मा: क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि सोनीपत में शुगर मिल के सिलसिले में आफिस ऐस्टेबलिश हो चुका है? क्या स्टाफ पहले से इम्पलायड है, अगर है तो उस पर कितना खर्च हो चुका है?

चौ. भजन लाल: स्पीकर साहब, हमने एक कमेटी बनाई हुई है रजिस्ट्रर की अध्यक्षता में। यह कमेटी सारी बात को देखेगी और कार्यवाही करेगी। अभी हमने आफिस वगैरा के लिये कोई जगह नहीं ली।

श्री ओम प्रकाश गर्ग: स्पीकर साहब, जैसा कि करनाल में शुगर मिल लगाने की योजना बनाई गई है। अगर इस मिल को पीपली में लगाने के लिये तजवीज दी जाये तो क्या मुख्यमंत्री साहब इसको कंसीडर करने की कोशिश करेंगे? पीपली शाहबाद और करनाल के दरम्यान है और यमुनानगर से दूर है। पीपली या कुरूक्षेत्र में अगर मिल लगाई जाये तो सारा पर्पज सर्व हो जाता है।

चौ. बंसी लाल: जहां ज्यादा गन्ना पीड़ने के लिये मिल सके वहीं मिल लगाई जा सकती है। इसके इलावा वहां लगाई जा सकती है जहां से यमुनानगर दूर हो और पानीपत भी दूर हो। ज्यादा गन्ना खादर के इलाके में पैदा होता है इसलिये खादर के इलाके में ही लगाई जानी चाहिये।

लाला रूलिया राम: स्पीकर साहब, जैसा कि शिवराम वर्मा ने कहा कि तरावड़ी में लगाई जाये। मैं आपके जरिये उन्हें बताना चाहता हूं कि वहां गन्ने की जमीन नहीं है, इसलिये गन्ना कहां से आयेगा? ज्यादा गन्ना तो खादर के एरिये में होता है, इसलिये करनाल के खादर के इलाके में ही यह मिल लगाई जायें।

श्री अध्यक्ष: आप प्रश्न पूछें यह तो सुझाव है।

चौ. दल सिंह: स्पीकर साहब, जींद में काफी गन्ना होता है और खादर का इलाका जींद से काफी दूर पड़ेगा और पानीपत भी दूर पड़ेगा। क्या सरकार उन काश्तकारों के लिये, जो जींद में गन्ना पैदा करते हैं, मिल खोलने की सहूलियत देने के लिये तैयार हैं ताकि वे अपना गन्ना मिलों को सप्लाई कर सकें।

चौ. बंसी लाल: करनाल के इलाके को कवर करने के लिये सरकार मौजूं प्रबन्ध करेगी। जहां तक जींद का ताल्लुक है, जींद से रोहतक नजदीक पड़ता है और कुछ इलाके पानीपत के नजदीक पड़ते हैं। यह जो मिल लगेगी इसको लगाते समय यह ध्यान रखा जायेगा करनाल के इलाके और दूसरे इलाकों और दूसरे इलाकों को सहूलियत मिल सके।

पंडित चिरंजी लाल शर्मा: स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने जवाब में बताया कि 280 लाख रूपया खर्च होगा और यह अक्तूबर, 1974 तक मुकम्मल हो जायेगी। इस मिल के लिये गन्ने के उत्पादकों से 60 लाख के शेयर इकट्ठे करेंगे। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि अगर 60 लाख के शेयर स्पैसिफिक पीरियड में बिक न सके तो क्या यह काम डिले तो नहीं हो जायेगा?

चौ. भजन लाल: स्पीकर साहब, किसानों से 20 लाख रूपया शेयर के रूप में लेना है। बाकि दो तिहाई इन्डस्ट्रियल फाईसैंस कारपोरेशन लोन देती है। 20 लाख में से सवा ग्यारह

लाख रूपया सोनीपत मिल के लिये इकट्ठा हो चुका है, बाकी 9 लाख के करीब रहा है। उम्मीद है बहुत जल्दी रूपया इकट्ठा हो जायेगा और आगे कार्रवाई जल्दी शुरू हो जायेगी।

चौ. शिव राम वर्मा: स्पीकर साहब, मिनिस्टर साहब ने बताया कि करनाल के लिये शेयर का 20 लाख से ज्यादा रूपया इकट्ठा हो चुका है। क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि रिजर्व बैंक से जो लोन लेना है उसको लेकर काम शुरू कर दिया जायेगा?

चौ. भजन लाल: बहुत जल्दी करनाल में काम स्टार्ट हो जायेगा।

Installation of Government Tubewells

***150. Sh. Gauri Shanker**: Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to instal any Government tubewells in Tehsil Narwana.

Ch. Minister (Ch. Bansi Lal): No.

I.A.S. Officers

***157. Ch. Mehar Chand**: Will the Chief Minister be pleased to state the number of I.A.S. officers in the State in

the rank of of Commissioner and above as on 31st March, 1967 and 31st March, 1972, separately?

Ch. Minister (Ch. Bansi Lal): The number of I.C.S./I.A.S. Officers in the State in the rank of Commissioner and above was as under :-

(1) on 31-3-1967	6
(2) on 31-3-1962	8

Ch. Mehar Chand: May I know from the Hon'ble Chief Minister the total number of I.A.S. Officers as on 31st March, 1967 and 31st March, 1972 also?

Ch. Bansi Lal: Sir, the total number of IAS Officers sanctioned is 101 and actually it is 88.

Ch. Mehar Chand: May I know from the Hon'ble Chief Minister why the number of officers (in the rank of Commissioner and above) has gone up from 6 to 8?

Ch. Bansi Lal: Because of heavy rush of work.

Shortage of Accommodation for Advocates and Public in District Courts at Jind

***176. Ch. Dal Singh**: Will the Chief Minister be pleased to state:-

(a) whether it is in the knowledge of the Government that roofed accommodation for Advocates and the Public in the District Courts at Jind is insufficient; and

(b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to provide sufficient roofed accommodation for the Advocates and the Public at District Courts at Jind?

Chief Minister (Ch. Bansi Lal):

(a) Yes.

(b) No specific proposal for providing roofed accommodation for Advocates and the Public at District Courts at Jind is under consideration of Government.

चौ. दल सिंह: स्पीकर साहब, मुख्यमंत्री जी ने मेरे क्वैश्चन के पार्ट (ए) के जवाब में यह माना कि हां यह बात ठीक है कि जींद के जिला न्यायालयों में वकीलों और जनता के लिये रूफड अकमोडेशन इनसफिशिएंट है मगर पार्ट (बी) के जवाब में कहा कि सफिशिएंट रूफ्ड अकमोडेशन प्रोवाइड करने के लिये कोई स्पैसेफिक प्रपोजल गवर्नमैंट के विचाराधीन नहीं है। क्या मैं जान सकता हूं कि इसका कारण क्या है? .... व्यवधान .....

चौ. बंसी लाल: स्पीकर साहब, हकीकत यह है कि जींद में मिनि सैक्रेटेरियेट बनाने की जो प्रपोजल है is under active consideration of the Government. So keeping in view the mini Secretariat we are not taking in hand any new building in the present campus of the court.

Pandit Chiranji Lal Sharma: May I know from the Hon'ble Chief Minister whether the Government would consider the desirability of allotting small portions/pieces of lands to Advocates so that they can build their Chambers thereon in the alternative to let out the Chambers constructed by the Government?

Ch. Bansi Lal: Chambers will be constructed by the Government and they will be given on rent to the Advocates.

श्री अमर सिंह: क्या चीफ मिनिस्टर साहब यह बताने की कृपा करेंगे कि मिनिसैक्रिटेरियेट के लिये जिला जींद में कोई जगह सिलैक्ट कर ली गई है या अन्डर कन्सीड्रेशन है।

Ch. Bansi Lal: The actual place I do not know. But there is no difficulty in finding out the land – it may be somewhere either with some Department of the Government or we can acquire it somewhere. The construction of this mini Secretariat is under active consideration oif the Government.

Ch. Phool Chand (Mullana): This scheme for mini Secretariats is so expensive and lengthy, but there is no provision for the Lawyers and their clients at Ambala courts. Will the Chief Minister make any provision for them?

चौ. बंसी लाल: स्पीकर साहब, वहां तो बड़े–बड़े दरख्त लगे हुये हैं वहां बैठ जायें। (हंसी)

Pandit Chiranji Lal Sharma: The Hon. Chief Minister was pleased to state that chambers would be built by

the Government. May I know whether his reply applies to Jind only or to all Districts?

Ch. Bansi Lal: All the Districts wherever mini Secretariats will be constructed: either at district headquarters or at sub-divisional headquarters.

Sh. Hari Singh: Will the Chief Minister tell the House if there is any proposal to provide accommodation for the Taxation Lawyers practising at the Taxation Officers' offices?

Ch. Bansi Lal: If they are Advocates within the meaning of Advocates' Act then they will be provided otherwise we cannot help.

Pandit Chiranji Lal Sharma: Will the Hon. Chief Minister kindly state whether the Government would provide Chambers to the Advocates at places where there are no mini Secretariats?

Ch. Bansi Lal: No.

श्री अध्यक्ष: पंडित जी, अपने लिए रिर्जव करवाना चाहते हैं।

Pandit Chiranji Lal Sharma: The reply to my question has been given in negative. May I ask the hon. Chief Minister if the Government would consider the desirability of giving small pieces of land to Advocates where they can build their onw Chambers?

Ch. Bansi Lal: I think that will create may problems.

चौ. चांद राम: क्या मुख्यमंत्री जी बतलायेंगे कि मौजूदा हालात में भी, जबकि स्टेट को माली मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, मिनि सैक्रिटेरियेट बनाने का मामला सरकार के जेरे गौर है? .... व्यवधान ....

चौ. बंसी लाल: स्टेट को कोई माली मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ रहा है।

श्रीमती चन्द्रावती: स्पीकर साहब, चौ. फूलचन्द जी के प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अम्बाला कोर्टस में चैम्बर्ज नहीं बनवायेंगे लेकिन पेड़ लगायेंगे.....

चौ. बंसी लाल: मैंने यह नहीं कहा कि पेड़ लगायेंगे, मैंने तो कहा कि पेड़ लगे हुये हैं। .... व्यवधान ....

श्रीमती चन्द्रावती: वे तो कहते हैं कि पेड़ भी लगे हुये नहीं हें इसलिये कम से कम पेड़ तो लगवा दें।

चौ. बंसी लाल: हां, पेड़ खूब लगवा देंगे, आप कोई चिंता न करें।

श्री अमर सिंह: क्या मुख्यमंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जैसे तीस हजारी कोर्टस दिल्ली में लायर्ज के लिये शैड्स

प्रोवाइड किये गये हैं उसी तरह से शैड्स यहां भी प्रोवाइड करने की कोई बात विचारधीन है?

चौ. बंसी लाल: स्पीकर साहब, लायर्ज को शैड्स में तो क्या बिठायेंगे, इनको चैम्बर्ज ही बना कर दे देंगे।

चौ. दल सिंह: स्पीकर साहब, मुख्यमंत्री जी ने बताया कि मिनि सैक्रिटेरियेट बनने जा रहा है। क्या उस वक्त तक जब तक वह बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट नहीं होती कोई टैम्परेरी अरेंजमैंट वकीलों के लिये और पब्लिक के लिये ये करने को तैयार हैं?

चौ. बंसी लाल: स्पीकर साहब, जींद में इस वक्त 68 वकील हैं और वहां के बार–रूम के जो दो कमरे हैं उनका क्षेत्रफल 820 वर्गफुट है। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्टी वहां हो।

Pandit Chiranji Lal Sharma: The hon. Chief Minister has been pleased to state just now that lawyers could not be expected to sit under sheds and that they would be provided with Chambers. The two replies are self-contradictory. May I get it clarified from the Chief Minister if the lawyers at all stations would be provided Chambers?

Ch. Bansi Lal: All stations wherever we construct mini Secretariats. I have clarified it earlier also.

Police Stations at Faridabad

***101. Sh. K.N. Gulati**: Will the Minister for Home be pleased to state:-

(a) whether it is a fact that police stations at Faridabad are running short of sanctioned police starength; and

(b) if so, when Government intends to provide full strength of Police in the said Police Stations?

Home Minister (Sh. K.L. Poswal): (a) Yes.

(b) Shortage will be made good as soon as men who are under training resume their duty.

श्री के.एन. गुलाटी: क्या मिनिस्टर साहब यह बताने की कृपा करेंगे कि यह ट्रेनिंग कब तक खत्म होगी और कब तक यह पुलिस फोर्स आ जायेगी? (व्यवधान)

मुख्यमंत्री (चौ. बंसी लाल): आप आज ही गड़बड़ करके देखो, वह आपको तैयार मिलेगी। (हंसी)

श्री के.एल. पोसवाल: स्पीकर साहब, कुछ हैड–कांस्टेबल्ज की कमी है। कुद छुट्टी पर गए हुये हैं और कुछ ट्रेनिंग में हैं ज्यों ही आयेंगे हम लगा देंगे।

Augmentation Canal

***130. Ch. Chand Ram**: Will the Chief Minister be pleased to state:-

(a) the total amount spent on Augmentation Canal upto June, 1972, and

(b) whether the above said canal has been approved by the Planning Commission and Central Water and Power Commission, if so, when?

Chief Minister (Ch. Bansi Lal): (a) Rs. 598.54 Lacs.

(b) The Project is under consideration of the Planning Commission.

चौ. चांद राम: एक बात का जवाब, नहीं आया। क्या मैं पूछ सकता हूं कि यह योजना सैन्ट्रल वाटर एंड पावर कमीशन से स्वीकृत हो गई है?

चौ. बंसी लाल: प्लानिंग कमीशन और सैन्ट्रल वाटर एंड पावर कमीशन का कुछ अपना इन्टर्नल मामला होता है। हमको तो प्लानिंग कमीशन से क्लीयरैन्स मिली है।

चौ. चांद राम: अगर सैन्ट्रल वाटर एंड पावर कमीशन की मंजूरी नहीं, प्लानिंग कमीशन की मंजूरी नहीं तो क्या गवर्नमैंट आफ इंडिया ने इस कैनाल के लिये मदद दी है?

चौ. बंसी लाल: जी हां, चार करोड़ अठाईस लाख रूपये।

चौ. चांद राम: क्या उनकी बगैर मंजूरी के स्टेट के लिये यह उचित था कि यह स्कीम जारी की जाये? क्या इस नहर को बनाने की इजाजत हमको है? क्या इस तरह नहर बनाने की कि इस तरह से पानी इधर जायेगा, उधर जायेगा.....

चौ. बंसी लाल: चौधरी साहब, पानी तो एक ही तरफ जाता है नहर में दोनों तरफ नहीं।

3.00 P.M.

श्री अध्यक्ष: प्रश्न काल समाप्त। ....(व्यवधान)

चौ. चांद राम: स्पीकर साहब, मेरे मुंह में सवाल है, इसलिये अगले दिन तक यह जारी रहेगा।

श्री अध्यक्ष: जी नहीं।

चौ. चांद राम: वह तो कायदा है कि यदि जवाब पूरा न आये तो सवाल पोस्टपोन होना चाहिये। ....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: जब चार करोड़ रूपये की सहायता दी है सरकार ने, तो उनकी मंजूरी तो आपने आप हो गई।

चौ. चांद राम: जनाब, पीछे जैसे यू.पी. गवर्नमैंट के साथ इनका कुद समझौता हुआ है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस नहर की खुदाई का काम बन्द कर दिया गया है?

चौ. बंसी लाल: काम बदस्तूर जारी है। काम जारी रखने के लिये सैन्ट्रल गवर्नमैंट ने चार करोड़ अट्ठाईस लाख रूपया दिया है और चाहा है कि दिसम्बर एंड तक इसे तैयार कर दें।

चौ. चांद राम: स्पीकर साहब, अखबारों में लिखा था कि टयूबवैल उस एरिया में न लगाये जायें। ....(विघ्न)...........

श्री अध्यक्ष: आप तशरीफ रखिये। प्रश्नोत्तर काल समाप्त हो चुका है। (विघ्न)

चौ. प्रताप सिंह दौलता: मैं पसर्नल ऐक्सप्लेनेशन के लिये ....(विघ्न)...

श्री अध्यक्ष: दौलता साहब, आप क्या कहना चाहते हैं?

चौ. प्रताप सिंह दौलता: स्पीकर साहब, मैं पसर्नल ऐक्सप्लेनेशन के लिये टाईम चाहता हूं। लास्ट सैशन में, लास्ट डेट की सीटिंग में मेरे बारे में कुछ कहा गया था। इसलिये उन बातों का जवाब देने के लिये मुझे आबच्यूरी रैफरेन्सीज के बाद समय दिया जाये। ....(विघ्न)....

नियम 45 के अन्तर्गत मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

Murder Cases in the State

***136. Ch. Ram Lal:** Will the Minister for Home be pleased to state –

(a) the district-wise total number of cases of murder committed in the State during the years 1970-71 & 1971-72;

(b) the number of cases out of those referred to in part (a) above, which have been detected so far; and

(c) the reasons for the increase of cases of murder; if any, in comparison to the years 1968-69 & 1969-70?

Home Minister (Sh. K.L. Poswal):

(a) 187 and 188 cases of murder were committed during the years 1970-71 and 1971-72 respectively. District-wise break-up is as under:-

District	1970-71	1971-72
Hisar	61	53
Gurgaon	22	21
Rohtak	23	31
Ambala	25	23
Narnaul	7	8

Jind	15	8
Karnal	34	44

(b) 165 and 173 cases of 1970-71 and 1971-72 respectively were detected. The district-wise position is as under :-

District	1970-71	1971-72
Hisar	58	51
Gurgaon	18	19
Rohtak	21	26
Ambala	21	22
Narnaul	6	8
Jind	10	5
Karnal	31	42

(c) During 1968-69 and 1969-70, 204 and 199 cases of murder were reported. Thus there is no increase.

Elections to the Municipal Committees

***144. Ch. Shiv Ram Verma, Ch. Ram Lal Wadhwa**: Will the Chief Minister be pleased to state the reasons for not holding elections to the Municipal Committees in Haryana which are overdue together with the hindrance in holding these elections soon and the time by which these are expected to be held?

Chief Minister (Ch. Bansi Lal): Government had contemplated to hold elections to the Municipal Committees in December, 1971, but keeping in view the emergency in the country, the elections were postponed. Government have now decided to hold the Municipal elections on the basis of the Census figures of 1971. As the delimitation of constituencies and the preparation of voter's lists shall have to be done afresh, it is likely to take some more time to hold these elections.

Irrigation of Land from the Barwala Link

***151. Sh. Gauri Shankar**: Will the Chief Minister be pleased to state:-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to irrigate those lands from teh Barwala Link through which it passes; and

(b) if not, the reasons thereof?

Chief Minister (Ch. Bansi Lal):

(a) No.

(b) It is only a Feeder Channel.

Starred Question No. 158

As Extension had been asked for it was, therefore, postponed.*

Transfer of Villages

***159. Ch. Amar Singh**: Will the Minister for Home be pleased to state whether it is a fact that Lohari Jatu and Sui villages have ben transferred from Police Station, Hansi to Police Station, Bhiwani and Kirawar, Baliali, Nalwa, Kanwari and Balawas villages have recently been transferred from Police Station, Hansi to Police Station Tosham; if so, the reasons thereof?

Home Minister (Sh. K.L. Poswal): Yes, This was done for better administrative control over the area and also for the convenience and easy accessibility of the public who had to cover a long distance previously in order to reach the Police Station.

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Sale of Stamps

70. Ch. Chand Ram: Will the Chief Minister be pleased to state:-

(a) the total amount realised from the sale of stamps in the

*प्रश्नोत्तर बाद में प्राप्त हुआ जोकि परिशिष्ट के रूप में छापा गया है।

State during the years 1967-68, 1968-69, 1969-70, 1970-71, and 1971-72,

(b) the district-wise total number of registered sale deeds in 1967-68, 1968-69, 1969-70, 1970-71, and 1971-72,

(c) the total number of sale deeds which have been registered in the months of January, February, March and April, 1972 ?

Chief Minister (Ch. Bansi Lal):

(a)	(Year)	(Rs.) (paise)
	1967-68	28053899.91
	1968-69	39496020.01

	1969-70	42842215.12
	1970-71	48527052.09
	1971-72	51300744.75

(b)		(Year) 1967-68	(Year) 1968-69	(Year) 1969-70	(Year) 1970-71	(Year) 1971-72
	Hisar	14310	14275	12582	13399	13177
	Rohtak	9011	8053	7621	7620	7511
	Gurgaon	8217	7120	7663	7944	9020
	Karnal	9646	9086	9153	8956	9889
	Ambala	7449	6856	7438	7480	7556
	Jind	2264	1975	1973	2514	2117
	Mohindergarh	2151	1898	2227	2188	2033

(c)		
	January	3474
	February	3467

	March	4118
	April	6422

71. Sh. Amar Singh: Will the Minister for Agriculture be pleased to state the district-wise percentage of annual increase in the Agricultural production to the State, since 1966 to date?

कृषि मंत्री (चौ. भजन लाल): अपेक्षित सूचना संलग्नित विवरण न. में **I-IV** दी जाती है।

(I) हरियाणा राज्य में वर्ष 1966–67 से जिलेवार

खाद्यान्य (000 टन)

जिला	1965–66	1966–67		1967–68		1968–69		1966–67		1967–68		1971–72	
		उत्पादन	%वार्षिक वृद्धि / कमी (+) (–)	उत्पादन	%वार्षिक वृद्धि / कमी (+)(–)	उत्पादन	%वार्षिक वृद्धि / कमी (+)(–)	उत्पादन	%वार्षिक वृद्धि / कमी (+)(–)	उत्पादन	%वार्षिक वृद्धि / कमी (+)(–)	उत्पादन	%वा वृद्धि / कमी (+)(–
ार	325	608	+87.1	1022	+68.1	501	–50.9	1122	+123.5	1164	+3.7	898	–22.
तक	390	435	+11.5	630	+44.8	476	–24.3	744	+56.3	753	+1.2	674	–10.
गांव	300	393	+31.0	585	+8.5	414	–29.2	597	+44.2	573	–4.0	522	–8.9
नाल	590	666	+12.9	936	+40.5	898	–4.1	1265	+40.9	1441	+13.9	1542	+7.0

बाला	153	168	+9.8	244	+45.2	204	−6.4	318	+55.9	295	−7.2	337	+14.2
द	122	191	+56.6	314	+64.4	196	−37.6	338	+72.4	312	−7.7	312	
न्द्र गढ़	105	131	+24.8	239	+8.4	75	−69.6	242	+222.7	233	−3.7	240	+3.0
य	1985	2592	+30.6	3970	+53.2	2764	−30.4	4626	+67.4	4771	+3.1	4525	−5.2

(II) हरियाणा राज्य में वर्ष 1966–67 से जिलेवार

गन्ना गुड (000 टन)

जिला	1965–66	1966–67		1967–68		1968–69		1966–67		1967–68		1971–72	
		उत्पादन	%वार्षिक वृद्धि / कमी (+) (–)	उत्पादन	%वार्षिक वृद्धि / कमी (+) (–)	उत्पादन	%वार्षिक वृद्धि / कमी (+) (–)	उत्पादन	%वार्षिक वृद्धि / कमी (+) (–)	उत्पादन	%वार्षिक वृद्धि / कमी (+) (–)	उत्पादन	%वार्षि वृद्धि / कमी (+) (
ार	86	70	–18.6	58	–17.1	115	+98.3	130	+13.0	87	–33.1	51	–41.4
तक	288	173	–39.9	118	–31.8	219	+85.6	205	–6.4	235	+14.6	163	–30.6
गांव	54	26	–51.9	24	–7.7	35	+45.8	59	+68.6	46	–22.0	28	–39.1
ाल	174	126	–27.6	153	+21.4	141	–7.8	215	+52.5	171	–20.5	128	–25.1

बाला	83	74	−10.8	65	−12.2	57	−12.3	93	+63.1	95	+2.2	92	−3.2
द	32	34	+6.3	45	+32.4	89	+97.8	81	−9.0	64	−21.0	48	−25.0
न्द्रगढ़		7		8	+14.2	13	+62.5	9	−30.8	9		4	−55.6
य	717	510	−28.9	471	−7.6	669	+42.0	792	+18.4	707	−10.7	514	−27.3

(III) हरियाणा राज्य में वर्ष 1966–67 से जिलेवार

कपास (गांठे)

जिला	1965–66	1966–67		1967–68		1968–69		1966–67		1967–68		1971–72	
		उत्पादन	%वार्षिक वृद्धि / कमी	उत्पादन	%वार्षिक वृद्धि / कमी	उत्पादन	%वार्षिक वृद्धि / कमी	उत्पादन	%वार्षिक वृद्धि / कमी	उत्पादन	%वार्षिक वृद्धि / कमी	उत्पादन	%वार्षिक वृद्धि / कमी

			(+) (–)		(+) (–)		(+) (–)		(+) (–)		(+) (–)		(+) (
सार	226.2	217.0	–4.1	295.8	+36.3	289.6	–2.1	291.5	+0.7	302.0	+3.6	385	+27.5
तक	17.8	18.2	+2.2	27.2	+49.5	12.8	–52.9	11.3	–11.7	12.0	+6.2	15	+25.0
गांव	1.9	1.6	+18.8	2.0	+37.5	1.6	–20.0	2.2	+37.5	3.0	36.4	2	–33.3
ाल	20.1	26.1	+29.9	24.8	–5.0	15.8	–36.3	16.4	+33.8	17.0	+3.7	16	–5.9
बाला	3.4	2.3	–32.4	3.3	+47.8	3.1	–6.1	2.0	–35.5	2.0		3	+0.0
द	20.4	22.1	+8.3	20.0	–9.5	14.3	–28.5	16.2	+13.3	17.0	+4.9	19	+11.8
न्द्रगढ़	1.8	0.3	–27.8	0.8	+166.30								
य	291.6	287.6	–1.4	373.9	+30.0	337.2	–9.8	339.6	+0.7	353.0	+3.9	440	+24.6

नोटः– 1968–69 मं सूखे के कारण उत्पादन कम रहा।

(IV) हरियाणा राज्य में वर्ष 1966–67 से जिलेवार

तेल के बीच (000 टन)

जिला	1965–66	1966–67		1967–68		1968–69		1966–67		1967–68		1971–72	
		उत्पादन	%वार्षिक वृद्धि / कमी (+) (–)	उत्पादन	%वार्षिक वृद्धि / कमी (+) (–)	उत्पादन	%वार्षिक वृद्धि / कमी (+) (–)	उत्पादन	%वार्षिक वृद्धि / कमी (+) (–)	उत्पादन	%वार्षिक वृद्धि / कमी (+) (–)	उत्पादन	%वा वृद्धि / कमी (+) (
ार	35.1	45.3	+29.1	59.8	+32.0	6.3	–89.5	33.6	+433.3	33.4	+2.4	39.0	+16.8
तक	4.9	4.2	–14.3	14.0	+233.3	3.0	–78.6	3.6	+20.0	6.0	+66.6	8.0	+33.3
गांव	15.5	10.0	–35.5	9.5	–5.0	12.0	+26.3	18.9	+57.5	21.2	+12.2	22.0	+3.8
ाल	7.9	10.4	+31.6	9.6	–7.7	8.3	–13.5	14.0	+50.5	18.9	+35.0	9.0	–52.4

बाला	10.1	14.1	+39.7	18.7	+32.6	10.3	−44.9	10.8	+4.9	9.2	−14.8	8.0	−3.0
द	1.9	4.0	+110.5	3.3	−17.5	2.2	−33.3	2.8	+27.3	3.1	+10.7	3.0	−3.3
न्द्रगढ़	8.2	3.8	−53.7	5.9	+55.3	1.0	−83.1	4.9	+390.0	7.0	+42.8	12.0	+71.4
य	83.6	91.8	+9.8	120.8	+31.6	43.1	−64.3	88.6	+105.6	98.8	+11.5	101.0	+2.2

नोटः– 1968–69 में सूखे के कारण उत्पादन कम रहा।

Bus Stand Property sold by Municipal Committees Hansi

72. Sh. Amar Singh: Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct Bus Stand at Hansi, if so when; and

(b) whether it is a fact that the Municipal Committee Hansi has recently sond the property of Bus Stand to the Government; if so, the details thereof be laid on the Table of the House?

Chief Minister (Ch. Bansi Lal):

(a) Yes. The work in question is likely to be taken up during the financial year 1973-74.

(b) Yes. the Details of the property are as under :-

(1)	Land		
	Area	23747.80	
	Cost of land @ Rs. 20 per square yard.	Rs. 4749.56/-	

(2)	Building		
	Municipal Bus Stand Building		
(i)	Booking Room	4	Cost Rs. 58,000/-
(ii)	Waiting Room	2	
(iii)	Enquiry Room	1	
(iv)	Bath Room and Latrine	4	
(v)	S.S. room		
(vi)	Hall	1	
	Total		Rs. 532956.00

Buses Depotwise in Haryana Roadways

73. Sh. Amar Singh: Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) the depot-wise total number of buses in the State at the time of the formation of Haryana;

(b) the depot-wise total number of buses in the State at present and

(c) the total number of buses purchased by the Government from November, 1966 to date alongwith the total amount spent on their purchase?

Chief Minister (Ch. Bansi Lal):

(a)	Name of Depot	No. of buses
	Haryana Roadways, Ambala	174
	Haryana Roadways, Gurgaon	247
	Haryana Roadways, Chandigarh	54
	Total	475

(b)	As on 31st July, 1972	No. of buses
	Haryana Roadways, Ambala	202
	Haryana Roadways, Gurgaon	250
	Haryana Roadways, Chandigarh	117
	Haryana Roadways, Rohtak	261
	Haryana Roadways, Karnal	247
	Haryana Roadways, Hisar	211
	Total	1288

(c)	Total No. of Buses purchased	Total amount spent on their purchase (inclusive of expenditure incurred on Fabrication of bodies).
	1172	Rs. 78886697/-

Jui Canal

74. Sh. Amar Singh: Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) the total amount spent on the Jui Canal so far;

(b) the total area irrigated through this canal from 15 August, 1970 to date, and

(c) whether the Government has received any representation from the people of the area regarding the above said canal; if so, the action taken thereon be laid on the table of the House?

Chief Minister (Ch. Bansi Lal):

(a)		Rs. 2.71 crores	
(b)	(i)	Irrigation during 1970	432 acres.
	(ii)	Irrigation during 1971	6459 acres.
	(iii)	In 1972, the irrigation is in progress	
(c)	(i)	No representation regarding the Canal was received by the State Government	
	(ii)	In view of (i) above, the question does not arise.	

Station Supervisors in the Transport Department

75. Sh. Amar Singh: Will the Chief Minister be pleased to state–

(a) whether any posts of station supervisors in the Transports Department were to be filled up by promotion which occurred in or after January, 1967, to date; if so, the deistrictwise number of such posts alongwith the names of the stations;

(b) whether the posts mentioned in part (a) above were regular or short term;

(c) the name of the persons who were appointed against those posts alongwith the dates of their appointments together with the number and names of those persons who belong to Scheduled Castes; and

(d) whether any representation was received from any senior official in 1969 in this respect, if so, the action taken thereon be laid on the Table of the House?

Chief Minister (Ch. Bansi Lal):

(a)	(i)	Yes.		
	(ii)	Name of District	Number of posts of Station Supervisor	Name of the Station
		Hisar	4	Hisar, Hansi, Sirsa and Bhiwani
		Rohtak	2	Rohtak, Jhajjar
		Gurgaon	2	Rewari, Faridabad

		Mohindergarh	1	Dadri
(b)		Regular		

(c)	Sr. No.	Name of Official	Date of appointment as Station Supervisor	Name & number of the official belonging to Scheduled Castes
	1	2	3	4
		Sarvshir		
	1	M.P. Singh	13-2-67	
	2	Jagdish Lal	13-2-67	None of these belongs to Scheduled Castes
	3	S.P. Chopra	15-7-67	
	4	O.P. Ahulwalia	13-2-71	
	5	Mohan Singh	10-3-71	
	6	N.N. Suri	10-3-71	
	7	Madan Lal	11-3-71	
	8	Mohan Lal	20-8-71	

		Sharma		
	9	Pyare Lal	8-2-72	

(d) no representation from any senior official against the promotion enlisted in para (c) above appears to have been received in 1969.

Sales Tax Arrears

77. Sh. Amar Singh: Will the Chief Minister be pleased to state the district-wise total amout of arrears of Sales Tax in the State upto the end of January, 1972 together with the details of the steps, the Government proposes to take to expedite the recovery of the said arrears?

Chief Minister (Ch. Bansi Lal):

Part I

Name of the District	Total arrears	Amoutn held under stay	Net amount recoverable
Hisar	4170454	3697389	473065

Rohtak	1112758	709494	403264
Gurgaon	2467165	482431	1984734
Karnal	4603514	4089729	513785
Ambala	646409	92545	553864
Mohindergarh	4859		4859
Jind	741575	590550	151025
Grand Total	13746734	9662138	4084596

Part II

(i) The position of arrears is reviesed by the Council of Ministers every three months.

(ii) The position in respect of each District is reviewed every month in the monthly comparative statements of targets and actual collection. The reasons for shortfalls in collections and increase in arrears are investigated, and the concerned District Officers are directed to accelerate the pase of recovery and minimise the outstanding arrears.

(iii) Recovery compaigns are launched from time to time to minimise the outstanding arrears.

Advocates on Approved List for Conducting Government Cases

78. Sh. Amar Singh: Will the Chief Minister be pleased to state–

(a) the number and names of the Advocates of the Punjab and Haryana High Court who are on the approved list of the State Government for conducting Government cases at present;

(b) the number of cases given to each of the Advocates referred to in part (a) above during the year 1970-71 together with the amount paid to each such advocate; and

(c) the criteria, if any, laid down by the Government while giving cases to such advocates?

Chief Minister (Ch. Bansi Lal):

(a) 26. Their names are as under :-

(1) Sh. D.D. Jain.

(2) Sh. A.S. Nehra.

(3) Sh. J.S. Malik.

(4) Sh. M.L. Nanda.

(5) Sh. C.B. Kaushik.

(6) Sh. R.K.Chhokar.

(7) Sh. H.S. Hooda.

(8) Sh. Jaswant Jain.

(9) Sh. K.D. Singh.

(10) Sh. Amar Dutt.

(11) Sh. V.M. Jain.

(12) Sh. Satya Bhushan.

(13) Sh. C.P. Sapra.

(14) Sh. S.C. Amba.

(15) Sh. S.K. Lamba.

(16) Sh. Amarjit Chaudhry.

(17) Sh. Subhash Kapur.

(18) Sh. Rajesh Dhul.

(19) Sh. P.C. Mehta.

(20) Sh. G.L. Sanghi.

(21) Sh. Karan Singh Saini.

(22) Sh. Avinash Chander Jain.

(23) Sh. Rajinder Paul.

(24) Sh. Suresh Chand Sharma.

(25) Sh. J.P. Chaudhry.

(26) Sh. Maharaj Bakhash Singh.

(b) The requisite information is as under :-

Sr. No.	Name	No. of cases given	Amount paid
1	Sh. R.A. Saingh, Advocate	26	1694.00
2	Sh. D.D. Jain, Advocate	40	1774.00
3	Sh. A.S. Nehra, Advocate	19	1390.00
4	Sh. J.S. Malik, Advocate	17	1612.00
5	Sh. M.L. Nanda, Advocate	19	1789.00
6	Sh. C.B. Kaushik, Advocate	9	288.00
7	Sh. Prem Partap, Advocate	14	516.00
8	Sh. R.K. Chhokar, Advocate	29	900.00
9	Sh. H.S. Hooda, Advocate	20	640.00
10	Sh. Jaswant Jain, Advocate	25	1076.00

11	Sh. K.D. Singh, Advocate	17	762.00
12	Sh. Amar Datt, Advocate	7	224.00
13	Sh. Vigyan Mohan Jain, Adovcate	23	888.00
14	Sh. Satya Bhushan Lal, Advocate	6	300.00
15	Sh. Karan Singh Saini, Advocate		
16	Sh. Avinash Chander Jain, Advocate	13	542.00
17	Sh. Rajinder Paul, Advocate	5	480.00
18	Sh. Suresh Chander Sharma, Advocate	1	150.00
19	Sh. J.P. Chaudhry, Advocate	7	200.00
20	Sh. Maharaj Bakhash Singh, Advocate		

(c) No criteria has been laid down for giving cases to these Advocates. It depends on the availability of a cousel and the nature of the case.

Retrenched Employees of P.W.D. B&R

79. Sh. Amar Singh: Will the Chief Minister be pleased to state whether the Government has received any representation from teh retrenched employees of Public Works Department (B & R), if so, the action taken thereon for their alternative employment?

Chief Minister (Ch. Bansi Lal):

No regular employee has been retrenched. Some Work charged staff has been retrenched for which representations from Haryana P.W.D. Workers Union and from individuals has been received by the Executive Engineers/Superintending Engineers concerned. some of them will be employed in the Buildings and Roads Branch after the monsoons are over and when the working season again starts. Employment opportunities for some will also be available in other Government Departments.

Cases Registered in Police Stations

80. Sh. Amar Singh: Will the Minister for Home be pleased to state –

(a) the police station-wise total number of cases registered in districts of Gurgaon and Hisar since 1st

November, 1966 to date together with the nature of the crime thereof and;

(b) the police station-wise total number of theft cases out of those mentioned in part (a) above where recovery has not been made, in districts of Gurgaon and Hisar since 1st March, 1971, together with the dates of registation and the numbers of F.I.R. in each case?

Home Minister (Sh. K.L. Poswal):

The time and labour involved in the preparation of answer to the Assembly Question will not be commensurate with any possible benefit to be obtained.

Amenities to the Ministers

81. Sh. Amar Singh: Will the Chief Minister be pleased to state –

(a) the total cost of all the amenities made available by the Government to a Minister in the State excluding the salary per month;

(b) the total strength of staff attached to or placed at the disposal of a Minister in his office and at his residence together with the designations and monthly emoluments of the staff; and

(c) the quantity of petrol allowed to a State vehicle allotted to a Minister.

Chief Minister (Ch. Bansi Lal): (a) & (b) A statement is laid on the Table of the House.

(c) A State Vehicle is allotted to each Minister. No limit on consumption of petrol on official journeys has been laid down.

Statement showing the information in respect of part (a) of the Question

(a) A Minister required to be provided with a free furnished house by the Government. If a Government house is not available a private house is hired for the Minister up to a monthly rent of Rs. 900/- If the monthly rent exceeds the limit of Rs. 900/- the excess amount is recovered from the pay of the Minister concerned.

(b) The limit for furnishing the house of a Minister is Rs. 25000/-

(c) A Minister is entitled to use free electricity and water upto Rs. 2500/- per annum. The excess is recovered from his pay.

(d) The limit for maintenance of lawns and flower pots is Rs. 250/- per annum.

(e) A Minister is provided with a telephone at his residence and an inter-communication telephone set in his

office. No limit has been fixed for the local calls and trunk calls, made for official purposes.

(f) A minister is provided with a State Car for performing his official duties. For priviate journeys within a radius of ten miles from the place of halt while on tour of the head quarters, nothing is charged from teh Minister but in respect of such protions of private journeys which are beyond a radius of ten miles, the Minister is required to make payment. If the palce of halt is Delhi, 20 miles shall be substituted for 10 miles.

Statement showing the information in respect of part (b) of the Question.

		Average total emoluments
1	Secretary or a Private Secretary	Rs.
	(a) Secretary	1158.00
	(b) Private Secretary	740.00
2	Personal Assistant (One)	654.00
3	Steno (One)	557.25

4	Clerks (Two)	557.00
5	Jamadar (One)	198.20
6	Peon (Two)	372.70
7	Mali (one) for residence	138.50
8	Chokidar (one) for residence	138.50
9	Driver for the State Car	523.50
10	Special Assistant	523.50

Note:- Since the staff is working in the running scales and as such the total emoluments increase from time to time.

Forceful Possession of Harijan Tailoring Centre, Jind

82. Sh. Amar Singh: Will the Minister for Development be pleased to state –

(a) whether the XEN P.W.D. (B & R) Jind occupied the building of Harijan Industiral Tailoring Centre, Jind, for store about 5 years ago and if so, the reasons therefor; and

(b) whether the Government has received any representation from the Harijan Colony Jind regarding the forceful possession of their Centre; if so, the steps, if any, taken by the Government in this behalf?

Development Minister (Sh. Shyam Chand): (a) Yes. A statement, showing the reasons therefore, is laid on the table of the House.

(b) Yes. A statement showing the factual position is laid on the table of the House.

STATEMENT

(a) The facts collected from the various quarters go to show that the building in question was constructed under the Centrally sponsored "Harijan Uplift Scheme" by the Industries Department in 1962, for housing the Harijan Industrial Tailoring Centre, Jind. The land on which the building was constructed was given by the Harijan Colony, Jind, on the clear understanding that whenever the Centre was closed for any reason, the building would be handed over for the common use of the Harijan Colony. A resolution is also stated to have been passed in this behalf.

The building in question was taken in possession by the P.W.D. (B & R) Branch on 7th August, 1966, i.e. before the formation of Haryana. The building in question was being used as a training Centre of the Industrial Training Department, but as the Centre was closed, the said department handed over the possession of the building to P.W.D. B & R. on 7th August, 1966. As there was no demand from any other department for the use of this building, the B & R Department used it as a store instead of hiring a separate building.

(b) In view of (a) above, it is not correct to say that forcible possession of the building was taken. Representations from the Harijan Colony, Jind, were received only after November, 1970. Subsequently the District Welfare Officer, Jind also sent a request separately for vacation of the building for putting up marriage parties and common gatherings etc.

The building in question has since been vacated on 1st September, 1972 and the people of Harijan Colony, Jind have been given possession of the same.

Interest Free Loans to Panchayats

82. Sh. Amar Singh: Will the Minister for Development be pleased to state the total amout of interest free loans advanced by the Government to the Panchayats of District Hisar during the years 1968-69, 1969-70, 1970-71, 1971-72, category-wise and scheme-wise together with the amout of loans, if any, returned by the Panchayats as unused and the reasons, if any, for non-implementation or failure of any of the Scheme?

Development Minister (Sh. Shyam Chand): (1) No interest free loans were advanced to Panchayats in Hisar District for Revenue Earning Schemes during the years 1968-69, 1969-70 and 1970-71.

(2) During the year 1971-72 an amount of Rs. 100000 was advanced to 16 Panchayats in Hisar District. For details the Statement is attached. This amount has been

withdrawn from the Government Treasury in the month of March, 1972. This amount is to be utilised by the Panchayats within 1½ years of its disbursement to them. Hence the question of returning the amount as unused at this stage does not arise.

Statement showing the details of Panchayats to whom interest free loans were advanced under the Revenue Earning Scheme in Hisar District during the year 1971-72

Sr. No.	Name of Panchayat	Block	Amount of loan (Advanced)	Purpose (Scheme)
			Rs.	Tube-well
1	Bharukan	Sirsa	6000	Tube-well
2	Bhamboor	Sirsa	6000	Tube-well
3	Ding	Sirsa	6000	Tube-well
4	Khawja Khera	Sirsa	6000	Tube-well
5	Darbi	Sirsa	6000	Tube-well
6	Shahpur Begu	Sirsa	6000	Tube-well
7	Patti Kirpal	Rania	6000	Tube-well

8	Balyala	Rania	6000	Tube-well
9	Nangal	Rania	6000	Tube-well
10	Mundhal Khurd	Hansi-II	8000	Construction of shops
11	Sorkhi	Hansi-II	7000	Construction of shops
12	Kapro	Narnaund	7000	Construction of shops
13	Aboobshahar	Dabwali	6000	Construction of shops
14	Kulan	Tohana	6000	Tube-well
15	Ratta Theh	Tohana	6000	Tube-well
16	Baragudha	Baragudha	6000	Residential Staff quarters
		Total	1,00,000	(One Lakh only)

Milk Processing Plants

85. Sh. Amar Singh: Will the Chief Minister be pleased to state –

(a) the total number of Milk processing plants so far set up in the State together with teh name of the places where

those have been set up and the total strength of the staff in each case;

(b) the quantity of Milk processed by each of the said plants during the last 3 years; and

(c) whether the Government intends to set upt new plants in teh future; if so, the name of the place and approximate time by which it is likely to be set up?

Ch. Minister (Ch. Bansi Lal):

(a) Plants set up/being set up: Three (3) as under:

(i) Composite Milk Plant, Jind Commissioned with effect from 5th December, 1970.

(ii) Sweetened Milk Plant, Bhiwani.

(iii) Fluid Milk Plant, Ambala

Staff			
	Jind	Bhiwani	Ambala
Class I	1	1	No staff appointed as yet.
Class II	8	4	
Class III	103	92	

Class IV	47	30	

(b) Jind : About 18800 litres daily (average). 1971-72.

Bhiwani: Nil. –The Plant is in the final stage of erection.

Ambala: Nil. Building of the plant which is still under construction is nearing completion.

(c) Yes. – Government intends to set up milk plants during the Fifth Five Year Plan period in every district or part of a district where adequate quantity of milk is available to feed the plant.

Allotment of Cars and Scooters Etc.

87. Sh. Amar Singh: Will the Chief Minister be pleased to state –

(a) The number and names of the legislation and officers who have been allotted cars and scooters from the State Quota from 1968 to date;

(b) The criteria, if any, laid down regarding teh allotment of cars and scooters out of the State quota be laid on the table of the House; and

(c) The number and names of the applicants together with the date of receipt of their applicaitons by the Government alongwith the date of allocation and delivery of the vehicles from 1968 todate out of State quota?

Chief Minister (Ch. Bansi Lal): (a) and (c) The time and labour invovlved in collecting the information will not be commensurate with any possible benefit to be obtained from it.

(b) A copy of the rules with regard to allotment of cars/scooters is enclosed.

Criteria for Allotment of cars out of State Priority Quota

1. (a) The applicants will be divided into the following categories :-

(i)	Officers drawing a salary of Rs. 2250 p.m. and above including Judges of the Punjab High Court.	20% of the total available quota.
(ii)	Officers drawing salary between Rs. 1300 to Rs. 2250.	40% of the total available quota.

(iii)	Officers drawing a salary below Rs. 1300	40% of the total available quota.

Note (1) The doctors will be in a separate category and there would be no pay divisions or restriction for them. The principle of “First come first served would be followed in this category save for good and exceptional reasons to be recorded in writing. For this category an allocation of one standard and one Fiat/Ambassador car out of each quota, shall be reserved for them.

(2) Officers drawing below Rs. 750/- as basic salary will be considered only in exceptional cases and for reasons to be recorded.

(b) Officers who have sold cars less than four years old shall not be deemed eligible for allotment of a car.

(c) Officers having cars less than 4 years old shall not be deemed eligible.

(d) Normally an officer will be allotted a Car from the State Priority Quota only once during his service.

(e) Officers who have been offered a car but have refused to take it shall lose their turn. But if they renew thier requests, their case may again be considered on mertis.

(f) An officer whose car has met with an accident shall be allowed a replacement out of the State Priority Quota only where his accidented car is beyond repair.

II. (i) All eligible officers shall apply for allotment of cars in the prescribed form set forth in annexure I.

(ii) Officers allotted cars out of the State Priority by Government shall be sent an intimation in the prescribed form set forth in Annexure III. If they are able to secure a car in teh meanwhile from any other source, then allocations made to them shall stand cancelled and their names shal be scored out of the list.

Criteria laid down by the Scooters Allotment Board, Regarding allocation of the Scooters is as follows:

Priority 'A'

Government Departments for whose use the Government Vehicles Board has sanctioned a scooter.

Priority 'B'

Doctors and officers in Government service provided need of a scooter is well-established. They have no car or scooter or motor cycle less than five years old.

Their existing scooter met with an accident and a certificate to this effect is available for their use.

They have not booked any order and in the case booked, their turn is likely to materialise after one year or more and a certificate from the dealer is available.

Priority 'C'

Private institutions like hospitals etc. to be considered on merits.

The Board in its meeting held on 2nd March, 1965 has further decided as follows :-

(i) Applicants having a salary less then Rs. 250 p.m. or more than Rs. 1500 p.m. should be deemed ineligible. It should not be necessary to lay down any fruther categorization based on salary as the number of scooters availab,e for distribution is very small.

(ii) Applicants having Cars/scooters/Motor Cycles less than years old would be ineligible.

(iii) Applicants who have already been offered scooter of any particular make but refused to accept the same should not be considered again for further allotment.

(iv) In case where it is certified by a Minister, Secretary or Head of Department that particular official required a scooter for Government duty (excluding that of goiing to office or coming from Office) irrespective of the date of his application should be brought on the top of the list in the category concerned.

(v) Where an applicant has sold a scooter or motor cycle less than 5 years old during the last 5 years, he should not normally be entitled to allotment of any scooter from the priority quota.

Evacuee Land

88. Ch. Chand Ram: Will the Chief Minister be pleased to state –

(a) the lastest consolidated instructions of the Government regarding auction of unallotted and cancelled evacuee land;

(b) the tehsil wise area of land which remains for auction in the State and the time by which it is proposed to be auctioned;

(c) whether there is nay evacuee land in village Baholi, tehsil Panipat of Karnal district which remains to be auctioned; if so, the name of the persons under whose cultivating possession this land has reamained and since when;

(d) whether any evacuee land was auctioned in the years 1968-69, 1969-70 and 1970-71 to Non-Harijans in village Gumthala Rao of tehsil Thanesar; if so, the reasons thereof and whether it was under cultivating possession of the Harijans; and

(e) whether any other unallotted evacuee land has been auctioned to Non-Harijans in tehsil Charkhi Dadri of District Mohindergarh after 1967-68?

Chief Minister (Ch. Bansi Lal): (a) Auctio of unallotted and cancelled evacuee land is conducted as per Notification No. 9(3) (21) I & R/64, dated 1st October, 1964 issued by the Central Government unde rule 88 of the displaced Persons (C & R) Rules, 1955, Annexure ‘A’.

(b) Tehsilwise position of surplus evacuee land available for disposal may kindly be seen at Annexure ‘B’.

Detection and cancellation of excess/un-deserved/bogus allotments as alos the un-earthing of evacuee land is a continuous process and no definite time limit can be fixed for its disposal.

(c) Evacuee land to the extent of 209 A-1K-17M is still available in village Bahauli, tehsil Panipat, district Karnal. In case this land is not required for allotment in satisfaction of a verified claim, it will be disposed of as per Notification referred to in para (a) above.

The entire area is in possession of the Custodian as per entries in teh latest Khasra Girdawri.

(d) Year-wise details of the land auctioned amongst the non-Harijans in village Gumthala Rao together with the reasons thereof is given below :-

Name of the	Area	Reasons for

Year	Involved	disposal among non-Harijans.
1968-69	2-4	The area involved being less than one acre was put to sale in open auction.
	6-12	
1969-70	66-00	Attempts were made to put this land to sale in auction restricted to harijans but no harijan offered any bid. Consequently these lands were put to sale by open acution.
	45-00	
	40-00	
	45-00	
	38-00	
	39-00	
	48-00	

(e) Un-allotted evacuee land to the extent of 136A-1K-11M was auctioned to non-Harijans in tehsil Charkhi Dadri of district Mohindergarh, after 1967-68.

ANNEXURE 'A'

Government of India

Ministery of Rehabilitaiton

Office of the Chief Settlement Commissioner,

Jaisalmer House, New, Delhi.

Dated 1st October, 1964.

In pursuance of rule 88 of the Displaced Persons Compensation & Rehabilitation' Rule, 1955, I.G.D. Kashetrapal, Chief Settlement Commissioners, Government of India hereby determine that members of the Scheduled castes specified in part X of the Constitution (Scheduled Castes) Order 1950, shall alone be entitled to bid or to submit tender in respect of unallotted evacuee agricultural land situated in rural areas in the State of Punjab, with the exception of the following categories lands:-

(i) Lands retireved by the Directory Organisation set up by the State.

(ii) Lands already sold but sale of which had been set aside by Competent authority;

(iii) Lands which are sub-urban, potential residential or commercial sites or in the garden colonies;

(iv) Small fragments of land not exceeding one acre surrounded by holdings of owners who are not members of scheduled castes.

This is in supersession of the order issued vide No. 9(3) (21) I&R/64 dated the 11th June, 1964.

Sd/-

G.D. Kashetrapal,

Chief Settlement Commissioner,

No. 9(3) (21)/I&R/64.

ANNEXURE 'B'

Sr. No.	Name of District	Name of the Tehsil	Urban	Rural	
			A-K-M	SA-U and	A.K.M.
1.	Karnal	Karnal	15-0-0	365-8½	294-0-0
		Panipat	75-0-0	48-¾	539-0-0
		Kaithal	15-5-4		298-0-0
		Ghula			503-0-0
		Thanesar	21-2-18		750-0-0
2.	Ambala	Ambala	12-2-1	25-0	425-0-0
		Jagadhri	6-1-13	145-0	397-0-0
		Naraingarh	3-1-14	176-0	715-0-0
		Kalka	0-2-1	3-0	113-0-0
3.	Hisar	Hisar	49-6-3	137-0	58-0-0
		Sirsa		369-5	91-0-0

		Fatehabad		210-4	78-0-0
		Bhiwani		1127-14	235-0-0
		Hansi		27-0	70-0-0
4.	Gurgaon	Gurgaon	35-1-18	88-12	85-3-16
		Jhirka	32-7-17	86-14½	44-6-9
		Rewari	19-6-10	17-14	6-0-9
		Palwal	93-1-1	94-0	173-0-0
		Ballabgarh	0-4-40	64-0	9-0-0
		Nuh		61-9	8-5-5
5.	Mohindergarh	Mohindergarh		33-3 ¾	81-2-11
		Narnaul	44-3-7	62-9½	49-6-16
		Dadri	2-1-10	18-0	199-0-0
6.	Jind	Safidon	0-5-6		39-0-0
		Narwana			37-0-0

7.	Rohtak	Gohana		35-0	700-0-0
		Sonepat		20-0	665-0-0
		Rohtak		28-0	271-0-0
		Jhajjar		40-0	173-0-0

J.B.T. Students of Pehowa

89. Ch. Chand Ram: Will the Chief Minister be pleased to state –

(a) the total number of students belonging to Scheduled Castes who were studying in the J.B.T. Class of Govt. Hingh School, Pehowa of district Karnal in the years 1968-70 and whether their stipends/scholarships for the said period have been paid to them; and

(b) whether it is the responsibility of the Principals/Headmasters of Government/Private Colleges/Schools to see that all the students belonging to scheduled castes and backward classes studying in their institutions are paid their scholarships/stipends in time and property without any unauthorised deductions?

Chief Minister (Ch. Bansi Lal):

(a) (i) There were 4 students in 1968-69. Three students were paid their scholarship. The fourth student did not apply for scholarhip being a compartment case,

(ii) During the year 1969-70, there were 3 students in the school. One student was paid his scholarhip. the second student left the school soon after the start of the session and did not apply for scholarship. The scholarship of the third student for 1968-69 and 1969-70 has now been sanctioned or receipt of a clarification from the Government of India. The clarification was received on 11th August, 1972.

(b) Yes.

Exemption of Tuition Fees

90. Ch. Chand Ram: Will the Chief Minister be pleased to state whether there are any conditions prescribed for the exemption of tuition frees fro students belonging to Scheduled Castes and backward classes separately in the State and if so, a copy of the instructions issued be laid on the Table of the House?

Chief Minister (Ch. Bansi Lal):

(a) No conditions for exemption from tuition fees are laid down for students belonging to Scheduled Castes.

(b) For students belonging to Backward classes, fee concession is admissble only if the parent's/Guardian's

income does not exceed Rs. 1800 per annum. Copies of relevant instructions issued in this behalf are enclosed.

From

The Director of Public Instruction,

Haryana, Chandigarh.

To

1. The District Education officers in the State.

2. The Principal,

State College of Education, Kurukshetra.

Memo. No. 6/3-67-SD-II(4)

Dated, Chandigarh, the 22nd July, 1970.

Subject:- Fee concession to the children/wards of the parents belonging to Harijan and backward classes.

Your attention is invited to the instructions issued vide this office memo No. 6/3-67-SD-II(3), dated the 19th February, 1968, on the subject cited above.

It has been clearly state in para II(iv) of the communication under reference that all the students belonging to Harijan and backward classes should be totally exempted from the payment of tuition fees upto High/Higher Secondary/JBT Education, The term 'backward classes' referred to the rein includes all those persons as defined in

Punjab Government circular letter No. 2662-5-WG-II-6/6934, dated 20th April, 1963. In other words, the children belonging to the backward classes would only be entitled to the exemption from the payment of fees, if the income of their parents/guardians does not exceed Rs. 1800 per annum. All the heads of institutions under your jurisdiction should, be asked to follow these instructions both in letter and spirit, In the event of any voilation of these instructions, they will be held personally responsible.

3. Receipt of this communication should be acknowledged.

Sd/-

Deputy Director (Schools)

for Director of Public Instruction,

Haryana, Chandigarh

To

The Principal,

Government College, Gurgaon,

Memo No. 9204-22/134-70-C.

Dated, Chandigarh the 24th December, 1970.

Subject:- Fee concession to Harijan and backward class students.

Reference your D.O. letter No. 4473, dated the 13th October, 1970 on the subject cited above.

2. The fee concessions previously allowed to (a) all Harijans (b) Members of notified backward classes with the parents/guardians income of less than Rs. 1800 per annum and (c) other backward classes (with the parents?guardians income of less than Rs. 1000 per annum) has since been restricted to categoeies (a) and (b) only and should not be admissible to category (c).

3. The receipt of this communication may please be acknowledged.

Sd/-

Deputy Director (Schools)

for Director of Public Instruction,

Haryana, Chandigarh

Endst. No. 9204-22/134-70C.

Dated Chandigarh 24-12-1970.

Copy forwarded to the Principals of all Government and non-Government Colleges for information and similar necessary action.

The receipt of this letter may please be acknowledged.

Sd/-

Deputy Director (Schools)

for Director of Public Instruction,

Haryana, Chandigarh

Arrest of Sh. Hari Chand

91. Ch. Chand Ram: Will the Minister for Home be pleased to state –

(a) whether Sh. Hari Chand son of Sh. Lija Ram of Village Agondh, Police Station Guhla, District Karnal, was arrested by the Local Police on 26th April, 1972, if so, under what offence;

(b) whether it is in the knowledge of the Government that aforesaid Sh. Hari Chand died in Police custody, if so, the causes of his death;

(c) whether the aforesaid Sh. Hari Chand was subjected to postmortem, if so, the details of the post-mortem

report together with the name of the place where post-mortem was conducted; and

(d) whether any application was submitted to the Chief Minister or the Inspector General of Police for making enquiries in this behalf, if so, the action, if any, taken on such application.

Home Minister (Sh. K.L. Poswal):

(a) No.

(b) Sh. Hari Chand did not die in Police custody. However, he was knocked down by truck No. DLG-6499 on 29th April, 1972 on Ghuhla Cheeka road, near the rest house. He was first removed to Hospital at Guhla but since his condition was serious he was taken to the Rajendra Hospital, Patiala, where he expired at 12.45 P.M. In this connection a case F.I.R. No. 97 dated 29th April, 1972 under section 304-A I.P.C. was registered at P.S. Ghuhla. Truck No. DLG-6499, which caused the accident was taken into possession and the accused Ajmer Singh, driver of the truck, was arrested.

(c) Yes. The post-mortem of tghe deceased was conducted at Rajendra Hospital, Patiala, which disclosed no visible outside injury but revealed fracture of ribs No. 3 to 12. The cause of dealth was shock and haemorrhage due to injury to the left lung. The in-quest report was prepared by A.S.I. Police Post, Rajendra Hospital, Patiala.

(d) Yes. Applications were submitted to C.M. and I.G. Police which were forwarded to S.P. Karnal for enquiry

and report. D.S.P. conducted the enquiries and found the allegations to be baseless.

Recruitment of Class IV Employees

92. Ch. Chand Ram: Will the Ch. Minister be pleased to state –

(a) the total number of peons and class IV employees excluding sweepers recruited by the Deputy Commissioners district-wise during the years 1968-69, 1969-70, 1970-71 and 1971-72;

(b) the number and names of the employees referred to a part (a) above who belong to Scheduled Castes and Backward Classes separately; and

(c) whether the Deputy Commissioners and other District-authorities making recruitment to permanent, temporary or ad-hoc class IV posts are directed to make up teh quota reserved for members of Scheduled Castes and Backward Classes?

Chief Minister (Ch. Bansi Lal):

(a) and (b) the requisite information is given in the enclosed statement.

(c) Yes, Sir.

STATEMENT

Assembaly Question No. 57	D.C. Ambala	D.C. Gurgaon	D.C. Hisar	D.C. Jind
(a) Total No. of peons and Class IV employees excluding sweepers recruited by the D.C.s during the year				
1968-69	9		1	4

1969-70	2		6		1			
1970-71	2		1		3		2	
1971-72	4		8		11		5	
Total	17		15		16		11	
(b) The Number and names of the employees refered to in para (a) above who belong to Scheduled Caste's and Backward Classes	No. and names of Sheduled of castes	No. and names of Backward Classes.	No. and names of Scheduled Castes.	No. and names of Backward Classes.	No. and names of Scheduled Castes.	No. and names of Backward Classes.	No. and names of Scheduled Castes.	No. and names of Backward Classes.
	5	3	2	1	10	4	2	3
	Sarvshri	Sarvshri	Sarvshri	Shri	Sarvshri	Sarvshri	Sarvshri	Sarvshri
	Maghi Singh	Babu Lal	Nanak Chand	Hari Lal	Chabil Dass,	Daya Singh	Bali	Tek Chand
	Karnail Singh	Balu Lal	Daya Nand		Balwant Singh	Manga Ram	Manphool	Siri Ram
	Itwari	Dharam Singh			Hari Singh	Gurdial Singh		Ram Kumar

separately	Shakar				Balbir Singh	Radhe Sham			
	Parsan Singh				Chabil Dass,				
					Dilbag Singh				
					Sant Lal				
					Ved Parkash				
					Siri Chand,				
					Manphool Singh				

D.C. Karnal			D.C. Narnaul		D.C. Rohtak	
26			6		1	
15			2		8	
35			1		4	
25			1		4	
101			10		17	
No. and Name of Scheduled Castes		No. and Name of Backward Castes	No. and Name of Scheduled Castes	No. and Name of Backward Castes	No. and Name of Scheduled Castes	No. and Name of Backward Castes
34		18	1	3	3	3
Sarvshri	Mangal Singh	Sarvshri		Sarvshri	Sarvshri	Sarvshri
Bhim Singh	Sunder	Jit Singh	Sh. Raja	Gopal Singh	Ganni Ram	Tale Ram

	Singh		Ram			
Amar Singh	Arjun Singh	Ajit Kumar		Om Parkash	Dewan Singh	Roshan Lal
Tej Pal	Assa Nand	Suraj Bhan		Radhey Sham	Prem Kumar	Baldev Singh
Sigara Singh	Ishwar Singh	Kartava Ram				
Bal Singh	Jit Singh	Dharam Singh				
Inder Singh	Kulwant Singh	Tirvaini Parshad				
Bachan Singh	Ram Kumar	Des Raj				
Jit Singh	Kitab Singh	Man Singh				
Baij Nath	Telu Ram	Balkar Singh				
Sham Lal	Chand Singh	Subhash Chand				

Mohan Lal	Mauji Ram	Om Parkash				
Sadha Ram	Ishwar Singh	Dharam Pal				
Joginder Singh	Kirpa Ram	Raj Kumar				
Sunehra Ram	Prem Chand	Raghbir Singh				
Pirthi Singh	Ranjit Singh	Kesho Ram				
	Ram Sarup	Jagdish Singh				
	Ram Kishan	Jila Singh				
	Ram Sajiwan	Raghbir Singh				

Housing Schemes for Harijans and Landless Persons

93. Ch. Chand Ram. Will the Minister for Development be pleased to state –

(a) whether the Central Government has asked the State Govermnet to send schemes for the purchasee of house sites for landless persons and Harijans; and

(b) whether the State Goverment has asked for funds from the Central Government for providing free sites of houses to the, landless persons in the State?

Chief Minister (Ch. Bansi Lal).

(a) Yes.

(b) Not yet.

Minimum Wages

94. Ch. Chand Ram: Will the Chief Minister be pleased to state –

(a) whether any minimum wages have been fixed for casual labourers working on roads in the State; and

(b) whether there is any labour belonging to areas out-side the State employed on road construction in the State?

Chief Minister (Ch. Bansi Lal): (a) Yes.

(b) Yes, the labour belonging to areas outside the state has been employed on roads under construction in Haryana due to non-availability of local labour in adequate strength in certain places.

Schemes for the Welfare of Scheduled Castes etc.

95. Ch. Chand Ram: Will the Minister for Development be pleased to state –

(a) whether the amount earmarked for various schemes of the Welfare and uplift for Members of Scheduled Castes, Tribes and Backward classes during the year 1970-71 and 1971-72 under the State and Centrally sponsored Schemes have been spent;

(b) if not, the extent of amount unspent and the reasons therefor; and

(c) whether the Government would reallocate the unspent amounts in the budget for 1972-73 and fix responsibility for the unspent amount for 1970-71 and 1971-72?

Development Minister (Sh. Shyam Chand):

(a) A statement is laid on the table of the House.

(b) A statement is laid on the table of the House.

(c) The matter will be taken up with the appropriate quarters in another two or three months. It is not contemplated to fix responsiblity as teh amounts were not drawn keeping in view the public interest.

Part (A)	Statement showing the amoutn earmarked for various schemes of the Welfare and uplift for the members of Scheduled Castes, Tribes and Backward Classes during the year 1970-71 and 1971-72 under the State and Centrally sponsored Schemes and spent during the years 1970-71 and 1971-72.				
Sr. No.	Name of the Scheme	1970-71		1971-72	
		Amount earmarked	Expenditure	Amount earmarked	Expenditure
1	Loan for purchase of Agricultural Land	450000	391500	1998000	Nil
2	Subsidy for purchase of Agricultural Implements and inputs	36000	31320	120000	Nil
3	Subsidy for house/well under land purchase scheme	100000	93500	177000	Nil

4	Subsidy for purchase of pigs/poultry birds	100000	100000	120000	Nil
5	Loan for purchase of buffaloes		149400	364000	Nil
6	Subsidy for houses for Scheduled Castes other than those engaged on unclean occupation	145400	169600	180000	9000
7	Drinking Water Well Scheme	169600	2718	821000	Nil
8	Legal Assistance	9780	200000	15000	Nil
9	Subsidy for construction of Chaupals	200000	25000	1000000	997000
10	Girls Hostel	25000	76000	25000	Nil
11	Subsidy for construction of houses for sweepers	76000	30000	75000	Nil

12	Subsidy for construction of houses for Vimukat Jatis	30000	100000	30000	Nil
13	Interest Free Loan to deserving persons of Schedule Castes and Backward Classes	100000	111900	200000	Nil
14	Loan to Harijan students for purchase of books	112000	2287140		Nil
15	Loans to Harijans for starting business/expansion of trades	2288000			Nil
	Total	3845780	3768078	5125000	1006000

Statement showing the extent of amount unspent and the reasons therefor.

Sr. No.	Name of the Scheme	Amount unspent	Reasons
(1970-71)			
1	Loan for purchase of land	58500	Beneficiaries were not available.
2	Subsidy for purchase of Agricultural Implemnets/inputs	4680	Beneficiaries were not available.
3	Subsidy for houses/wells under land purchase scheme	6500	Beneficiaries were not available.
4	Legal Assistance	7062	Beneficiaries were not available.
5	Loans to Harijans for starting business/expansion of trades	860	Beneficiaries were not available.
6	Loans to Harijans students for	100	As the amount of loan is to be given at

	purchase of books.		the rate of Rs. 200 and Rs. 400 per student the lapsed amount could not be sanctioned.
	Total	77702	

Sr. No.	Name of the Scheme	Amount unspent	Reasons
(1971-72)			
1	Loan for purchase of agricultural land	1998000	The cases of loan/subsidy were being processed, General etections were announced in the State of Haryana a year ahead on 21-1-72 Government deliberately with held the sanctions of loan/subsidy under the various schemes, lest the impression should go roudn that the Government mis-used the
2	Subsidy for purchase of Agricultural implements/inputs.	120000	
3	Subsidy for houses/well under land purchase Scheme.	177000	
4	Subsidy for purchase of	120000	

	pigs/poultry birds		discretion of sanctioning loan/subsidy to its advantage during the elections.
5	Loan for purchase of buffaloes	364000	
6	Subsidy for houses for Scheduled Castes other than those engaged on unclean occupation	171000	
7	Drinking Water Wells	821000	
8	Legal Assistance	15000	
9	Subsidy for construction of Chaupals	3000	
10	Girls Hostel	25000	
11	Subsidy for construction of houses for sweepers	75000	
12	Subsidy for construction of houses for Vimukat Jatis	30000	
13	Interest Free Loan to deserving	200000	

	persons of scheduled Castes and Backward Classes		
	Total	411900	

Abduction of Minor Girl

96. Ch. Chand Ram. Will the Minister for Home be pleased to state –

(a) whether any Harijan minor girl was abducted from village Mangholi Ranghran of Police Station, Ladwa in district Karnal in March, 1972, if so, the copy of the report lodged with teh local police be laid on the table of the House; and

(d) whether the said girl has been recovered?

Home Minister (Sh. K.L. Poswal): (a) Yes. Case F.I.R. No. 51 dated 27th March, 1972 u/s 363 I.P.C. was registered at P.S. Ladwa, district Karnal, A copy of F.I.R. is laid on the table of the House.

(b) No. The case is still under investigation and vigorous efforts are afoot to apprehend the culprits.

लाड़वा एफ.आई. न. 51, जिला करनाल तारीख वक्त वकूह 4/5–3–72.

1. रपट न. 7, तारीख 27–3–72, समय 4 1/4 पी.एम.

2. बर बयाने कुन्दन वल्द खुलिया हरिजन चमार सकना भगोली रांगड़ान, उमर 50 साल।

3. जुर्म अ63 आई.पी.सी.

4. वाहद रकबा भगोली रांगड़ान देह न. 101 वा फासला 17 किलोमीअर जानब उत्तर पूर्व।

5. तुरन्त।

6. बजरीया डाक 28–3–72, एट 12 नून।

दरखास्त गुरदेव सिंह एस.आई./एस.एच.ओ.

मैं मौजा भगोली को रहने वाला हूं। खेती का काम करता हूं। मेरे तीन लड़के और तीन लड़कियां हैं। मुस्मात अजमेरो ऊमर 25 साल शादीशुदा है और दो लड़कियां मुस्मात चांदो, उमर 14 साल और कन्ता 8/9 वर्ष की है। जो कि क्वांरी है। मेरी लड़की चांदो की सगाई जो बालक हरिजन सकना सास समलेड़ी

थाना मुलाना के लड़के के साथ करीब एक साल हो गया, करी थी आज से 9/10 महीने पहले मेरा लड़का समेरसिंह और हरिया चमार वासी जैनपुर थाना नुकड़, जिला सहारनपुर सरदारा अमरसिंह वासी भगोला के पास बतौर सांझी इकट्ठे काम करते रहे हैं यह हरिया मेरे लड़के के साथ मेरे घर भी आया–जाया करता था मैंने शक होने पर कि मेरी लड़की चांदो जवान है। उससे कई बार बात करते हरिया मजकुर को देखा था तो उसे मना कर दिया कि वह मारे घर न आया करें। कई बार मेरी घरवाली मुस्मात गंगादेवी भी हरिया मजकुर को घर आने से मना करती रही। परन्तु हरिया ने साड़ के महीने से हमारे घर आना छोड़ दिया था परन्तु हमारे पड़ोस में जरूर आना जाना करता था कई बार सरदार भजन सिंह खत्री दुकानदार वासी भगोली का अमर सिंह वल्द मोना राम कौम चमार हरिजन ने भी हरिया मजकुर को मुस्मात चान्दो मजकुरी से हंस–हंस कर बातें करते देखा था। और तिथि 4/5–3–72 को मुस्मी हरिया उर्फ पाला वल्द मंगल उर्फ रेहलू, हरिजन सकना जैनपुर मेरी लड़की चांदो मजकुरिया को बहका फूसला कर कहीं भगाकर ले गया है। भागने से तीन–चार दिन पहले भी चांदो और हरिया को बातचीत करते हुये अमर सिंह मजकुर ने देखा था वकूबा वाले दिन मुस्मात चांदो मजकुरिया और मेरी औरत गंगादेवी अलग–अलग चारपाई पर कौठा में सोई हुई थी। जब सुबह उठी तो चांदो मजकुरिया चारपाई पर नहीं पाई। गांव में देखभाल करी तो हरिया मजकुर भी गांव में हाजिर नहीं पाया। सरदार ईश्वर सिंह के पास सांझी था वहां भी नहीं गया।

जो मुझे पूरा शक हो गया कि मेरी लड़की चांदो को हरिया उर्फ पाला बहका फूसला कर बराये हरामकारी ले गया आज तक मैं और मेरे लड़के व रिश्तेदारन तैलाश में यू.पी., हरियाणा, देहली, पंजाब फिरते रहे परन्तु आजतक कोई पता नहीं लगा है। थाना में आज बराये सूचना आया हू। कार्यवाही की जावे निशान अंगुठा (हस्ताक्षर गुरदेव एस.आई.) कार्यवाही पुलिस मुस्मी कुन्दन इतला देहिन्दा खाना न. 2 ने बाहाजरी थाना आकर इतला दी वा अपना ब्यान बाला तहरीर कराया जो जबत तहरीर में लाया जाकर मजकुरा को पढऋ कर सुनाया गया जिसने ठीक मान कर जेर ब्यान खुद मेरे मौआवजा में अपना अंगूठा लगाया जिसकी तसदीक करता हूं। ब्यान साईल से मामला सुरत जुर्म 363 आई.पी.सी. का पाया जाता है। जिस पर मुकदमा हैजा दर्ज हुआ ओर मन एस. आई. मय श्री राम 939 वराये तफतीश रबाना मौका का होता है। नकुलात अफसरान मिजाज को अरसाल होगी परत चाहराम हवाले मुददई हुई।

हस्ताक्षर

गुरदेव सिंह, एस.आई.

एस.एच.ओ, थाना लाड़वा।

27—3—72.

नकल वसुल पाई

निशान अंगूठा कुन्दन

नकल मुताबक असल है,

रघवीर सिंह ए.एस.आई.,

थाना लाड़वा।

27—3—72.

Harijan Girls Murdered

97. Ch. Chand Ram. Will the Minister for Home be pleased to state the total number of Harijan Girls murdered in the State during the years 1966-67, 1967-68, 1968-69, 1969-70, 1970-71 and 1971-72 together with the place and causes to murder in each case and the present postion of each case?

Home Minister (Sh. K.L. Poswal). (a) No. Harijan girl was murdered in the years 1966-67, 1967-68 and 1969-70. One, Folur and one Harijan girls were murdered in 1968-69, 1970-71 and 1971-72 respectively. The places, causes and present position of all these six cases are as under :-

1968-69 :

(1) Case F.I.R. No. 270 dated 1st September, 1968 u/s 302 I.P.C. P.S. Sadar, Hisar. This case was reported from village Bhagona. Mst. Sunheri was raped and murdered by Mange, Abeh Ram, Rattu, Balbir and Balwan, when she had gone to cut grass in the fields. Case ended in acquittal.

1970-71 :

(1) Cases F.I.R. No. 108, dated 23rd August, 1970 u/s 302 I.P.C. P.S. Mehem, District Rohtak. This case was reported from village P.S. Kharkara, Mst. Krishana w/o Ram Chander committed the murder of her sisters, infant daughter (2 months old). Both the sisters had quarrelled with each other during casual talks and the accused feeling aggrieved over the remarks of her sister murdered the child in her absence. The accused was convicted and sentenced to undergo life imprisonment.

(2) Case FIR No. 50 dated 12th April, 1970 u/s 302 IPC P.S. Narnaund, District Hisar. This case was reported from village Pali. In this case Mst. Kishni was murdered by her husband on account of her strained relations with him. Case ended in acquittal.

(3) Case F.I.R. No. 56 dated 28th March, 1971, u/s 302 I.P.C. P.S. Rania, District Hisar. This case was reported from Village Kalyan Patti, in which Mst. Nasib Kaur was raped and murdered by Mela Ram, Harbans and Didar Singh when she went to cut grass in the fields. Case ended in acquittal.

(4) Case F.I.R. No. 161 dated 28th July, 1970 u/s 302 I.P.C., P.S. Pundri, district Karnal. In this case Manga s/o Hira Balmiki R/o Kaul, P.S. Pundri murdered Smt. Kasturi w/o his brother with dagger because she used to abuse the accused. Case ended in conviction.

1971-72 :

(1) Cases F.I.R. No. 129, dated 9th September, 1971 U/s 302 I.P.C. P.S. Kalyat, District Jind. This case was reported from Village Kharak Pondu. In this case one Tekka s/o Mohka, Jat tried to commit rape on Mst. Sukhan, but having failed to commit rape, she was done to death. The case ended in acquittal.

Political Sufferers

98. Ch. Ram Lal Wadhwa: Will the Chief Minister be pleased to state –

(a) the total number of political sufferers in the State since 1947 to whom aid is being given by the Government together with their names and the amount being paid to each of them; and

(b) the names of such political sufferers whose aid or allowance has been stopped during the period from 1947 to 1972?

Chief Minister (Ch. Bansi Lal): The time and labour involved in collecting the information will not be commensurate with any possible benefit to be obtained.

Corruption Cases Registered with the Vigilance Department

99. Ch. Ram Lal Wadhwa: Will the Chief Minister be pleased to state –

(a) the total number of corruption cases registered with teh Vigilance Department during the year 1969-70, 1970-71 and 1971-72 separately;

(b) out of the cases referred to in part (a) above, the total number of cases finalised during the year 1969-70, 1970-71 and 1971-72 seaprately, togetherwith the action taken thereon and together with the number of cases pending with the Vigilance Department for the years mentioned above; and

(c) out of the cases referred to in part (a) above, the number of cases related to Gazetted Officers together with the number of such Officers prosecuted?

Chief Minister (Ch. Bansi Lal): (a) The total number of corruption cases registered with the Vigilance Department during the years are mentioned below :-

1969-70	132
1970-71	121
1971-72	267

(b) (i) Out of the cases referred to in part (a) above, the total number of cases finalised during the years :-

1969-70	1970-71	1971-72

103	98	223

(ii) Action taken in the cases at (i) above is as under :-

		1969-70	1970-71	1971-72
(1)	Regular Departmental action under rule 1 of Punishment & Appeal Rules	8	11	2
(2)	Action taken under rule 8 of the rules ibid	17	8	22
(3)	Cases brought to the notice of Admininstrative Departments for suitable action	22	27	42
(4)	Criminal cases registered	2	5	10
(5)	Cases filed	54	47	134
(6)	Cases in which recoveries were			13

	effected.			

(iii) Total number of pending cases with the Vigilance Department for the years

1969-70	1970-71	1971-72
5	18	73

(c) (i) Total number of cases related to Gazetted officers during the years :-

1969-70	1970-71	1971-72
107	98	206

(ii) No Gazetted Officer was prosecuted in the above cases.

Disttribution of Amount to Panchayat Samitis

102. Sh. Amar Singh: Will the Minister for Development be pleased to state –

(a) whether it is a fact that a huge amount was given to the Block Samitis in the State during the period from January, 1972 to 15th July, 1972 for distribution amongst the Panchayats for digging of village ponds;

(b) if the answer to part (a) above be in the affirmative the district-wise list of such Block Samitis alongwith the amount given to each Samiti, be laid on the Table of the House;

(c) whether the Government has received any representatinos against the misappropriation of the said amount, if so, the action, if any, taken thereon so far; and

(d) the criteria, if any laid down regarding the distribution of the said amount to each Panchayat be also laid on the Table of the House?

Development Minister (Sh. Shyam Chand): (a) No amount was given to the Block Samitis in the State during the period from January, 1972 to 15th July, 1972 for distribution amongst the Panchayats for digging of village ponds.

(b) Question does not arise.

(c) No.

(d) Question does not arise.

Fertilizer Factory at Taraori

100. Ch. Shiv Ram Verma: Will the Chief Minister be pleased to state –

(a) whether the Government is aware that a roof measuring 100" x 80" of a portion of the Fertilizer Factory which is being constructed by the Haryana State Co-operative Supply and Marketing Federation at Taraori, district Karnal has fallen while under construction;

(b) the number of persons killed and wounded, separately, in teh above said incident;

(c) the total amount of loss suffered by the Haryana State Co-operative Supply and Marketing Federation and the Government separately, as a result thereof togetherwith the reasons for the falling of the said roof; and

(d) whether any enquiry is being conducted by the Government; if not; whether the Government propose to get an enquiry conducted now?

कृषि मंत्री (चौ. भजन लाल):

(क) ज्ञात है।

(ख) एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई तथा चार व्यक्ति घायल हुए।

(ग) इससे सरकार को तथा हरियाणा स्टेट कोआप्रेटिव सप्लाई एंड मारकीटिंग फैडरेशन को कोई हानि नहीं हुई है।

ठेकेदार की निर्माण कार्यकुशलता में अभाव के कारण छत गिर गई है।

(घ) इस दुर्घटना की जांच स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है तथा ठेकेछार के विरूद्ध हरियाणा स्टेट कोआप्रेटिव सप्लाई एंड मारकीटिंग फैडरेशन द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

Co-Operative Socities in the State

101. Ch. Ram Lal Wadhwa: Will the Chief Minister be pleased to state –

(a) the total number of Co-operative Societies which are functioning in the State in the line of industry of Agricultural implements, Transport, Cottage Industries and other categories, distirct-wise and categorywise, separately; and

(b) the total number of new Co-opeative Societies which have been registered during the year 1970-71 and 1971-72 and the total number of Co-operative Societies which have been cancelled during these two years?

कृषि मंत्री (चौ. भजन लाल): (क) और (ख) संलग्न विवरण के अनुसार।

(152 Alongwith 152-A)

Statement showing total No. of Societies functioning in the State as on 30-06-1972 category-wise & District-wise are as under :-

Name of District	Agricultural implements	Cottage Industry (Khadi & Village Industry)	Other Industrial Societies	Transport	Agricultural Credit	Marketing	Primary Land Mortgage Banks	Labour and Constr-uction	Other	To
Ambala	14	80	141	9	996	4	2	58	424	17
Gurgaon	7	177	232	13	1447	6	5	52	360	22
Hisar	23	352	363	22	1207	16	5	125	477	25
Jind	4	93	43	4	323	5	2	24	234	73
Karnal	27	281	415	25	1236	17	6	116	514	26
Mohindergarh	12	116	164	14	485	4	3	16	155	96
Rohtak	75	267	234	35	964	9	4	75	487	2

Total	162	1366	1592	122	6658	61	27	466	2651	13

		1970-71	1971-72
1	Total No. of Societies Regd.	467	734
2	Total No. of Societies cancelled	297	254

Surplus Land

103. Sh. Gauri Shankar: Will the Chief Minister be pleased to state –

(a) the area of land found surplus with the landowners owning more than 30 acres of land in Haryana;

(b) the area of surplus land ot of that referred to in part (a) above, which has been allotted to tenants together with teh remaining area of such land; and

(c) the area of allotted land out of that referred to in part (b) above, which is still in possession of the tenants together with the area of such land which has been taken out of their possession?

राजस्व मंत्री (पंडित चिरंजी लाल शर्मा):

(क)		174828	मानक एकड
(ख)	(i)	58106	मानक एकड
	(ii)	116722	मानक एकड

(ग)	(i)	49940	मानक एकड
	(ii)	1361	मानक एकड

Betterment Levy

104. Sh. Amar Singh: Will the Chief Minister be pleased to state –

(a) the district-wise and year-wise total amount collected so far from betterment levy since 1st Novembert, 1966, and

(b) the total amount spent so far by the Government on remodelling various canals in the State?

Ch. Minister (Ch. Bansi Lal): (a) A Statement showing district-wise and year-wise total amount of advance betterment levy collected so far since 1st November, 1966 is enclosed.

(b) The amount spent on remodelling of the various canals in the State is as follows :-

		Rs.

(i)	Petwar Distributary R.D.O. to tail and Deosar Feeder R.D.O. to 8400	7000000
(ii)	Delhi Branch from R.D. 145250 to R.D. 292636	38542
(iii)	Delhi Parallel Branch	32834710
(iv)	Bhakra System	8819461
(v)	Western Jamuna Canal system	41274187
	Total	Rs. 89966900

STATEMENT

Name of the District

Year	Rohtak	Hisar	Karnal	Ambala	Jind	Gurgaon	Mohindergarh	Total
1.11.66 to 31.3.67	413625	5557314	717893	37737	684538		109349	7520456
1967-68	1104595	11510128	2373878	170891	1759469	3355	311371	17233687
1968-69	1198436	11648640	2060094	127439	2355663	220522	353819	17964613
1969-70	1226556	10092456	2154393	134091	2103550	142907	228297	16082250
1970-	112711	1062552	2176720	10960	2276249	170001	310361	1679558

71	9	9		1				0
1971-72	1169982	10224209	1066716	111677	2349342	160876	255753	15338555
Total	6240313	59658276	10549694	691436	11528811	697661	1568950	90935141

Water Works at Sultanpur and Umra

105. Sh. Amar Singh: Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct water works at Sultanpur and Umra, if so, when?

Chief Minister (Ch. Bansi Lal):

(a) Yes.

(b) The scheme will be taken in hand as soon as funds are made available and beneficiaries share is deposited by the village Panchayat.

Water Supply Scheme of Nalwa

106. Sh. Amar Singh: Will the Chief Minister be pleased to state whether it is a fact that water supply scheme Nalwa has not been fully completed so far; if so, the reasons for the same be laid on th Table of the House?

Chief Minister (Ch. Bansi Lal): A group scheme covering seven villages including Nalwa was administratively approved by the Sanitary Board, Haryana under the National Water Supply and Sanitation Programme and the work was started in 1971-72. Water supply to two villages i.e. Nalwas and Balwas was commissioined on 19th March, 1972. Balance work is in progress.

Post of Deputy Director/Joint Director

107. S. Amar Singh: Will the Minister for Development be pleased to state whether it is a fact that the post of Deputy Director or Joint Director, Welfare of Scheduled Castes & Backward Classes Department has been lying vacant for the last two years; if so, the reason thereof?

Development Minister (Sh. Shyam Chand): No Sir. A statement showing the names of officers who held this post or discharged its duties, is laid on the table of the House.

STATEMENT

Post	Period	By whom held
Deputy Director in the scale of Rs. 450-900 was created on 17/19-9-69	17/19-9-69 to 4-12-1969	The work of the post of Deputy Director was looked after by Miss. P.K. Makhan Singh, Deputy Director (Relief), in addition to her own duties, without any remuneration.
	15-12-69 to 17-12-	Sh. H.S. Parbhakar, District Employment Officer, on deputation from the Labour and

	69	Employment Department worked as Deputy Director, The service record of this officer was, however, not found satisfactory and he was reverted to his parent Department.
	18-12-69 to 16-2-1970	Again, Miss P.K. Makhan Singh, Deputy Director (Relief), Social Welfare Department, looked after the work of this post in addition to her own duties, without any remuneration.
	17-2-70 to 19-3-1970	Sh. S.K. Handa, on deputation from Social Welfare Department, Delhi Administration, worked as Deputy Director. He was reverted to his parent Department at his own request.
	20-3-70	Again, Miss. P.K.

	to 27-1-1971	Makhan Singh, Deputy Director (Relief) took over in addtion to her own duties and looked after the work of this post without any remuneration.**
Joint Director in the scale of Rs. 700-1250 was created on 28-1-71 and was to take effect from the date of its entertainment, by keeping the post of Deputy Director in abeyance.	28-1-71 to 28-1-71	Miss. P.K. Makhan Singh, however, continued to look after the duties of the post in addition to her own duties without any remuneration.**
	1-3-71 to 30-6-71 (A.N.)	Dr. Miss. Manmohan Kaur was appointed on ad-hoc basis on 28th January, 1971 but she joined on 1st March, 1971 and was relieved on 1st July, 1971 (FN), consequent upon her appointment as Deputy Secretary, Haryana

		Red Cross.
	1-7-71 to 18-7-71	Miss. P.K. Makhan Singh, Deputy Director Relief looked after the work of Joint Director in addition to her own duties without any remuneration.
	19-7-72 to up-to-date	Miss P.K. Makhan Singh, Deputy Director Relief has now been apointed as Joint Director on ad-hoc basis with effect from 19th July, 1972.
	**Note:-	Throughout the period mentioned above, i.e. 17/19th September, 1969 to 28th February, 1971, Mis. P.K. Makhan Singh continued to be the drawing & disbursing Officer for the office.

Enquiries Held by the Vigilance Department

108. Sh. Amar Singh: Will the Chief Mininster be pleased to state:-

(a) the district-wise total number of enquiries held by the Vigilance Department against the officers/officials in the State, during the period from January, 1971 to date together with the details of the charges, levelled against each;

(b) the total number of cases referred to in part (a) above which have been dropped together with the reasons therefor; and

(c) the total number of cases still pending with the Department?

Chief Minister (Ch. Bansi Lal): Time and trouble involved in collecting the information will not be commensurate with any possible benefit to be obtained.

Lapsed Amount

109. Ch. Amar Singh: Will the Minister for Development be pleased to State whether it is a fact that some amount which was to be spent on the Welfare of Harijans in the year 1971-72, lapsed on 31st March, 1972, if so, a statement showing the total amount lapsed together with the reasons thereof be laid on the Table of the House?

Development Minister (Sh. Shyam Chand): Yes. A statement showing the total amount that lapsed during the year 1971-72 together with the reasons therefor, is laid on the Table of the House.

STATEMENT

The amount lapsed during the year 1971-72 is as under:-

Sr. No.		Name of Scheme	Amount lapsed on 31-3-72
			Rs.
1	(i)	Loan for purchase of Agricultural land	1998000.00
	(ii)	Subsidy for house/wells	177000.00
	(iii)	Subsidy for Agricultural implements	120000.00
2		Subsidy for purchase of pigs/poultry birds	120000.00
3		Subsidy for house of Scheduled Castes other than those engaged on unclean occupation.	171000.00

4		Drinking Water wells	821000.00
5		Legal aid	15000.00
6		Loan for purchase of buffaloes	364000.00
7		Subsidy for construction/repair of Chaupals	3000.00
8		Subsidy for houses for scavengers and sweepers	75000.00
9		Subsity for construction of Houses for Vimukat Jaties	30000.00
10		Interest free loan for various profession	200000.00
11		Girls Hostel	25000.00
		Total	4119000.00

2. During 1971-72, no loan/subsidy could be sanctioned for the reason that as these cases were being processed, the General Elections were announced in the State of Haryana a year ahead, on the 21st January, 1972. Government deliberately with-held the sanctioning of loans or subsidies under the scheme last an impression should be created that Government had misused the discretion of sanctioning loans or subsidies to its advantage, during the elections.

Demands of Teachers

110. Sh. Amar Singh: Will the Chief Minister, be pleased to state whether the Government has recently received any charter of demands from the Teachers' Union; if so, the details thereof and the action, if any, taken thereon.

Chief Minister (Ch. Bansi Lal): Yes. The statement is laid on the table of the House.

Statement showing the main demands raised by Government teachers Union, Haryana in their representation dated 1st February, 1972 and action taken/being taken thereon is indicated hereunder:-

(1)	Providing D.A. to Haryana Govt. School teachers at par with other employees of the State Government.	The demand was considered and rejected as unjustified.
(2)	Scrapping of the unsympathetic transfer policy of teachers.	This policy was framed after thorough examination and needs no further consideation.
(3)	Granting of interim relief on the Central pattern to all the employees of the	The interim relief has already been granted to all the employees.

	State Government.	
(4)	Granting of medical allowance and House rent at flat rate to all teachers without any discrimination.	The medical allowance at flat rate cannot be given to the teachers alone as the actual amount incurred by the treatment of teachers on their family members is reimbursed to them as is done in the case of other Haryana Govt. employees. The teachers who are working in such villages which are within 5 miles of the periphery of Municipal Towns are also allowed house rent allowance in case they do not get residential accommodation in these villages.
(5)	Full payment of amount for the un-justified suspension of the workers of the Union and also the payment of three days strike period which the employees had undergone under the banner of H.S.S.F. on January10, February 8 & 9, 1968	The cases of officials placed under suspension are to be decided by the respective competent authorities keeping in view the merits of the case. As regards payment of three strike days pay Govt. have released the same in favour of those employees who were punished by stopping their grade increments.
(6)	Adoption of Hon'ble attitude towards teachers	There is no such instance where unsympathetic attitude has been

	by Minister, M.L.As. M.Ps. and higher officials of the Government.	shown by the Officers/M.L.As./Ministers.
(7)	Due representation to the elected nominees of teachers in the Board of School Education set up by the Haryana Government.	Sh. Dale Singh, Headmaster, C.R.Z. High School, Sonepat (Rohtak) and Smt. Sudarshan Malik, Headmistress, Dhanwanti Arya Girls School, Rohtak have already been nominated as members of the Board of School Education, Haryana, by the Government vide notification No. 8476-Ed. II-71/22075, dated 6th September, 1971.
(8)	Establishment of Whitley type Council for the permanent settlement of the teachers problems in their relations with the State Government.	The matter is under consideration.
(9)	An enquiry against D.E.O. Rohtak for his un-authorised Collections and mis-use of official machinery to create party friction amongst teachers.	This charge is baseless and hence it is ignored.
(10)	Pensionary benefit to all provincialised teachers as	The matter is under

	has been granted in Punjab.	consideration.

Licences for English wine and Beer Shops

111. Ch. Ram Lal Wadhwa: Will the Chief Minister be plesed to state:-

(a) the district-wise total number of Licences issued for English Wine and beer Shops in the State during the year 1971-72.

(b) the total number of shops of English Wine and Beer Shops exist at present in the State; and

(c) the total and districtwise revenue collected by the Government from the English Wine and Beer Shops Licencees during the year 1971-72?

Sr. No.	Name of District	Number of English Wine Shops	Number of Beer shops
(a)	Hisar	12	1
	Rohtak	9	
	Karnal	9	
	Gurgaon	9	1
	Ambala	14	

	Jind	3	
	Total	56	2
(b)*	Hisar	43	1
	Rohtak	48	
	Karnal	44	2
	Gurgaon	56	1
	Ambala	32	1
	Jind	12	1
	Total	235	6

* Position as on 31st August, 1972.

Sr. No.	Name of District	Revenue Collected
(c)	Gurgaon	2455999
	Ambala	2847892
	Jind	58276
	Hisar	350201

	Rohtak	150000
	Karnal	464504
	Total	6326872

Land Owners in the State

113. Rao Dalip Singh: Will the Chief Minister be pleased to state –

(a) the district-wise total number of owners who hold more than 30 acres of land in the state:

(b) the total number of land owners who hold land in between:-

(1) 30 Acres and 20 Acres;

(2) 20 Acres and 15 Acres;

(3) 15 Acres and 5 Acres; and

(4) less than five Acres; and

(c) the number of families which own and hold land in between:-

(1) 30 Acres and 20 Acres;

(2) 20 Acres and 15 Acres;

(3) 15 Acres and 5 Acres; and

(4) less than five Acres?

राजस्व मंत्री (पंडित चिरंजी लाल शर्मा)

(क)	हिसार	9494
	अम्बाला	2249
	करनाल	212
	रोहतक	1488
	गुड़गावां	4871
	जीन्द	521
	महेन्द्रगढ़	945
	कुल	19780

(ख)	1.	63587
	2.	82052
	3.	406330
	4.	1397430

(ग)	1.	52399
	2.	61495
	3.	261655
	4.	1093448

नोटः अतारांकित प्रश्न सं. 112 का उत्तर बाद में प्राप्त हुआ है जिसे परिशिष्ट के रूप में छापा गया है।

Number of Haryana Roadways Workshops

117. Rao Dalip Singh: Will the Chief Mininster be pleased to state the district-wise total number of Haryana Roadways Workshops together with the cost of constrcution on each of such workshops?

Chief Minister (Ch. Bansi Lal):

Name of District	Number of workshops	Cost of construction

		Rs.
Ambala	1	519702.48
Gurgaon	1	579930.00
Hisar	1	1072478.00
Rohtak	1	786000.00
Karnal	1	668900.00

Construction of Bus Stand at Mohindergarh

118. Rao Dalip Singh: Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a bus stand at Mohindergarh?

Chief Mininster (Ch. Bansi Lal):

No.

Harijan Kalyan Nigam

119. Comrade Ram Kishan Azad, : Will the Minister for Development be pleased to state:-

(a) whether it is fact that the Harijan Kalyan Nigam has been established by the Haryana Government for giving financial help to Harijans; if so, the amount of funds with

which the Harijan Kalyan Nigam has been established together with the date from which the said Nigam has started advancing loans;

(b) the number of co-operative societies and firms, profession-wise and district-wise to whom the loan has been advanced by the Harijan Kalyan Nigam since its inception to-date together with the amount of loan advanced to them; and

(c) whether there are any co-operative societies and firms from which the loans are not being recovered regularly; and whether it has come to the notice of the Government that some co-operative societies and firms which do not exist at all have taken loans; if so, the district-wise names and addresses of such co-operative societies/firms?

Development Minister (Sh. Shyam Chand):

(a) (i) Yes.

(ii) Share capital of Rs. Two Crores.

(iii) 6th April, 1971.

(b) A statement is laid on the table of the House.

(c) (i) No.

(ii) No.

(iii) Question does not arise.

Statement showing the Firms and Co-operative Societies who have been granted loan by teh Haryana Harijan Kalyan Nigam

Sr. No.	District	Name of the firms or Co-operative Societies to whom loan sanctioned/advanced	Trade for which granted	Amount sanctioned	Amount paid/ advanced
1	Hisar	M/s Guru Ravidass Automobile Company Sirsa, District Hisar	Sub Dealership of Tractors	50000	50000
2	Hisar	M/s Bhiwani Janta Furniture Production-cum-sale Co-operative Industrial Society, Bhiwani, District Hisar	Furniture	20000	20000
3	Hisar	M/s Fatehabad Authomobile Dealers Fatehabad, District Hisar	Sub Dealership of Tractors	50000	50000

4	Hisar	The Hisar Shoe Makers Production Sale Co-operative industrial Society, Hisar	Export of Shoes	17500	17500
5	Karnal	M/s United Leather Goods Industrial Co-operative Society, Kaithal	Manufacture of attachee cases etc.	15000	5000
					10000
6	Karnal	M/S Dehora Leather Production Industrial Co-operative Society, Dehora	Tanning of Leather	9000	5000
					4000
7	Karnal	M/s Parkash Mill Store, Kaithal	Sale of new machinery and Agricultural implements	20000	10000
					5000

					5000
8	Karnal	M/S Kheri Naru Footwear Production Co-operative Society Ltd., Kheri Naru, Karnal	Manufacture of leather shoes	30000	30000
9	Karnal	The Kaithal Tanners Production Co-operative Industrial Society Ltd., Kaithal	Leather Tanning	10000	5000
					5000
10	Gurgaon	M/S Mahabir and Co., Gurgaon	Sub Dealership of Tractors	50000	50000
11	Gurgaon	M/S Chhaju Ram, Ram Kishan, Rewari, District Gurgaon	Sub Dealership of Tractors	50000	50000
12	Rohtak	M/S Reliable Automobile	Sub Dealership of	50000	50000

		Dealers, Bahadurgarh	Tractors		
13	Rohtak	M/s Bhag Chand, Banwari Lal, Rohtak	Sub Dealership of Tractors	50000	50000
14	Jind	M/s Kakrod Automobile and General Traders, Jind	Sub Dealership of Tractors	50000	50000
15	Mohindergarh	The Narnaul Leather Tanning Production Sale Co-operative Industrial Society, Narnaul	Leather Tanning	20000	20000

Harijan Societies

120. Comrade Ram Kishan Azad: Will the Minister for Development be pleased to State :-

(a) whether it is a fact that the Harijan Welfare Department has in collaboration with the Co-operative Societies department set up Harijan Societies in some districts of the State and got distributed land to them for cultivation after having purchased the same; if so, the district-wise names of the places where Harijans have been settled on such land; and

(b) the number of Harijans, settled in the beginning on such land and the number of such Harijans who settled as at present separately?

Development Mininster (Sh. Shyam Chand):

(a) No.

(b) Question does not arise.

Land to Harijans

121. Comrade Ram Kishan Azad: Will the Minister for Development be pleased to state whether any land was purcahsed by the Harijan Welfare Department in some parts of the State and allowed some individual Harijans to purchase the said land for cultivation with the free aid given by the Department and the loan given by teh Land Mortgage Bank; if so, the district-wise name of the persons, who have settled on such land from 1968 to-date?

Development Mininster (Sh. Shyam Chand): The reply to all parts of the question is in the negative.

Loans to Harijans

122. Comrade Ram Kishan Azad: Will the Minister for Development be pleased to state whether it is a fact that an amount of Rs. 4500 is given as loan or grant by the Harijan Welfare Department to the Harijans for purchasing agricultural land; if so, the district-wise names of the persons, who received the said amount from 1969 to-date?

Development Minister (Sh. Shyam Chand):

(i) Yes.

(ii) A statement is attached.

Statement Showing the District-wise Names of the persons who received the loans at the rate of Rs. 4500 per head for purchasing agricultural land from 1969 to-date. No grant/subsidy was given after 1968-69.

Sr. No.	Name of District	Sr. No.	Name of the persons
1	Ambala	1	Sh. Date Ram S/o Sh. Bhudh Ram

		2	Sh. Dalipa Ram S/o Sh. Nathu Ram
		3	Sh. Nihala S/o Sh. Fathu Ram
		4	Sh. Maru Ram S/o Sh. Mangaloo Ram
		5	Sh. Sadhu Singh S/o Sh. Udham Singh
		6	Sh. Parshotam S/o Sh. Basanta
		7	Sh. Jasmer Singh S/o Sh. Sardha Singh
		8	Sh. Sugan Chand S/o Sh. Chatru Ram
		9	Sh. Kishna S/o Sh. Nandoo Ram.
		10	Sh. Kirpa Ram S/o Sh. Gaju Ram.
		11	Sh. Naurate S/o Sh. Chhaju Ram.
		12	Sh. Lehna Singh S/o Sh. Gata Ram
		13	Sh. Ratia Ram S/o Sh. Rangu Ram.
		14	Sh. Kalu Ram S/o Sh. Jhandu Ram
		15	Sh. Jai Pal S/o Sh. Sawan Ram.

		16	Sh. Rudu Ram S/o Sh. Sawan Ram.
		17	Sh. Narain Dass S/o Sh. Jaggi Ram.
		18	Sh. Kundan Ram S/o Sh. Mangal Ram.
		19	Sh. Antu Ram S/o S. Jaggi Ram.
2	Gurgaon	20	Sh.Kartar Singh S/o Murli Dhar.
		21	Sh. Sanwal S/o Sh. Shadi.
		22	Sh. Gopi Ram S/o Sh. Parbhati.
		23	Sh. Bhule Ram S/o Sh. Parbhati.
		24	Sh. Kanhia S/o Sh. Amar Singh.
		25	Sh. She Ram S/o Sh. Bakhtawar.
		26	Sh. Mam Chand S/o Sh. Badlu Ram
		27	Sh. Manglia S/o Sh. Sukh Ram.
		28	Sh. Chittar S/o Sh. Nathan
		29	Sh. Sham Lal S/o Sh. Mam Rai.
		30	Sh. Ram Singh S/o Sh. Ramula
		31	Sh.Nihal S/o Sh. Balwant Shai.
		32	Sh. Sheo Chand S/o Sh. Jai Ram.

		33	Sh. Mam Chand S/o Sh. Siri Chand.
		34	Sh. Same Singh S/o Sh. Baulat Ram.
		35	Sh. Net Ram S/o Sh. Daulat Ram.
		36	Sh. Bhajju Ram S/o Sh. Rura Ram.
3	Hisar	37	Sh. Charia S/o Sh. Udmi.
		38	Sh. Chander Bhan S/o Mange Ram
		39	Sh. Dhoop Singh S/o Sh. Phino
		40	Sh. Balwant Singh S/o Sh. Bhura Singh
		41	Sh. Chanchal Singh S/o Sh. Gurdit Singh.
		42	Sh. Diwana S/o Sh. Pattu.
		43	Sh. Net Ram S/o Sh. Mangla Ram.
		44	Sh. Sudhan S/o Sh. Sohan.
		45	Sh. Ramji Lal S/o Sh. Mohra.
		46	Sh. Dana S/o Sh. Tilla.
		47	Sh. Hari Singh S/o Sh. Sukh Dayal.

		48	Sh. Ram Sarup S/o Sh. Pohlu.
		49	Sh. Sanwari Lal S/o Sh. Sahi Ram.
		50	Sh. kansi Ram S/o Sh. Chandu.
		51	Sh. Brij Lal S/o Sh. Molu
		52	Sh. Sarup Singh S/o Sh. Sultana.
		53	Sh. Man Phool Singh S/o Sh. Chhotu.
		54	Sh. Tara Chand S/o Sh. Maya.
		55	Sh. Tattan Singh S/o Sh Chanchal.
		56	Sh. Sadhu Ram S/o Sh. Rawat Singh
		57	Sh. Tarsem Singh S/o Sh. Banta Singh.
		58	Smt. Tulsa Bai S/o Sh. Sheo Lal.
		59	Sh. Harbans Singh S/o Sh. Magher Singh.
		60	Sh. Puran Singh S/o Sh. Fatta Singh.
		61	Sh. Hari Ram S/o Sh. Jee Sukh.
		62	Sh. Ganga Bishan S/o Sh. Khayali Ram.

		63	Sh. Chandgi Ram S/o Sh. Mai Diya.
		64	Sh. Chandgi Ram S/o Sh. Teja.
		65	Sh. Kanshi Ram S/o Bhola.
		66	Sh. Richhpal S/o Ganga Ram.
		67	Sh. Bhim Singh S/o Sh. Harnam.
		68	Sh.Chandgi Ram S/o Sh. Singha.
		69	Sh. Gopi Ram S/o Sh. Begu.
		70	Sh. Ram Lal S/o Sh. Mam Chand.
		71	Sh. Diwan Singh S/o Siri Chand.
4	Jind	72	Sh. Om Parkash S/o Sh. Neki Ram.
		73	Sh. Jagar S/o Sh. Kanwa.
		74	Sh. Surjit S/o Sh. Keso.
		75	Sh. Bhajna S/o Sh. Vir Singh.
		76	Sh. Bhale Ram S/o Sh. Ram Jan.
		77	Sh. Prabhu S/o Sh. Sundu.
5	Karnal	78	Sh. Piara S/o Sh. Munshi.
		79	Sh. Sunera S/o Sh. Jhunku.
		80	Sh. Partapa S/o Sh. Churja.

		81	Sh. Hari Ram S/o Sh. Rangi Ram.
		82	Sh. Khazan Singh S/o Sh. Chandgi Ram.
		83	Sh. Baru S/o Sh. Sarupa.
		84	Sh. Nathu Ram S/o Sh. Chandu Ram.
		85	Sh. Bishana S/o Sh. Mathu.
		86	Sh. Hari Ram S/o Sh. Jhanda Ram.
		87	Sh. Mangra Ram S/o Sh. Kanha.
		88	Sh. Rachhpal S/o Sh. Chandgi.
		89	Sh. Surja S/o Sh. Chokha.
		90	Sh. Phool Chand S/o Sh. Lal Chand.
		91	Sh. Raj Kumar S/o Sh. Ram Parshad.
		92	Sh. Sarupa S/o Sh. Baldeva.
		93	Sh. Ram Dhari S/o Sh. Gopal Ram.
		94	Sh. Harkesh S/o Sh. Nihal Singh.
		95	Sh. Ruldu Ram S/oSh. Basanta Ram.

		96	Sh. Rahtu Ram S/o Sh. Bichha Ram.
		97	Sh. Ram Sarup S/o Sh. Kishan Chand.
		98	Sh. Ved Parkash S/o Sh. Bhola Ram.
		99	Sh. Lachhman s/o sh. Mangta.
6	Narnaul	100	Sh. Amar Singh S/o Sh. Har Chand.
		101	Sh. Chanolia S/o Sh. Bholar.
		102	Sh. Chet Ram S/o Sh. Nathu Ram.
		103	Sh. Sheo Chand S/o Sh. Ram Dayal.
		104	Sh. Chander S/o Sh. Man Sukh.
		105	Sh. Siri Chand S/o Sh. Jhabar Ram.
		106	Sh. Umrao Singh S/o Sh. Kanhi Ram.
		107	Sh. Hari Chand S/o Sh. Mukh Ram.
		108	Sh. Udmi Ram S/o Sh. Kanha Ram.
		109	Sh. Hardawari Lal S/o Sh. Harji

			Ram.
7	Rohtak	110	Sh. Roop Chand S/o Sh. Ram Sahai.
		111	Sh. Raje Ram S/o Sh. Mange Ram.
		112	Sh. Giasu Ram S/o Sh. Mange Ram.
		113	Sh. Mouji Ram S/o Sh. Nathu.
		114	Sh. Ram Kishan S/o Sh. Teku.
		115	Sh. Chiranji S/o Sh. Sobha Chand.
		116	Sh. Lal Chand S/o Sh. Hira Lal.
		117	Sh. Chander Bhan S/o Sh. Umrao Singh.
		118	Sh. Prem Dass S/o Sh. Mange.

Aid to Harijans for Constructing Houses

123. Comrade Ram Kishan Azad, : Will the Minister for Development be pleased to state –

(a) whether it is a fact that Rs. 900/- per head is given as free aid by the Harijan Welfare Department to scavengers for constructing houses; and

(b) the year-wise number of persons who have been given the said grant in the State from 1969 to 1972 to-date?

Development Minister (Sh. Shyam Chand):

(a) Yes.

(b) The required information is as under:-

Year	No. of persons
1969-70	55
1970-71	84
1971-72	Nil

Aid to Harijans for Wells and Hand Pumps Etc.

124. Comrade Ram Kishan Azad: Will the Minister for Development be pleased to state whether it is a fact that the Harijan Welfare Department gives free aid to Harijans for wells, hand pumps, chopals and Dharamshalas in the State; if so, the amount of the said aid given to the Harijans during the period from 1969 to-date?

Development Minister (Sh. Shyam Chand):

Yes.

A Statement showing the amount given to the Harijans during the period from 1969 to-date is laid on the take of the House.

STATEMENT

The amount given to the Harijans during teh period from 1969 to-date is as under:-

Sr. No.	Name of Scheme	**Aids given during the period from 1969 to-date**			
		1969-70	1971-72	1972-73	Total
1	2	3	4	5	6
	Subsidy for construction of new Wells, repair of old ones and installation of Hand Pumps.	159800	169600		329400
	Subsidy for construction of Chaupals/Dharamsalas		200000	997000	1197000

Road from Uchana to Litani

114. Sh. Gauri Shankar: Will the Chief Minister, Haryana be pleased to state the time by which the road from Uchana to Litani which is under construction at present, is likely to be completed?

Chief Minister (Ch. Bansi Lal): A road from Uchana to Jind District Boundary has been completed upto

1st coat of surface painting. But there is no proposal to extend it to Litani in Hisar District.

Road from Kalayat to Date Singhwala

115. Sh. Gauri Shankar: Will the Chief Minister, Haryana be pleased to state whether the road from Kalayat to Data Singhwala which was under construction, has been completed, if not, the time by which it is likely to be completed?

Chief Minister (Ch. Bansi Lal): No, It is still under construction. No time limit has been fixed fro the completion of this road.

Supply of Electricity

116. Sh. Gauri Shankar: Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to make any special arrangements for supplying electricity to the factories like Milk Plant, Medicinal, Chemical and Metal Factories which suffer a great loss due to the break-downs of electricity; if not the reasons therefor?

Chief Minister (Ch. Bansi Lal): All industries which are essential and involve continuous process are already being given special consideration. Every precaution is taken to limit the interruptions in supply, to the minimum possible.

शोक प्रस्ताव

मुख्यमंत्री (चौ. बंसी लाल): स्पीकर साहब, हमारे अधिवेशन की पिछली सीटिंग खत्म होने के बाद से आज तक हमारे कई एक साथी हमसे बिछुड गये हैं। उनके लिये मैं शोक प्रस्ताव इस सदन के सामने पेश करता हूं। वे हमारे साथी हैं –

1. श्री जे.वी. नरसिंह राव, भूतपूर्व उप–मुख्यमंत्री, आंध्र प्रदेश,

2. श्री हरिभाउ उपाध्यक्ष, भूतपूर्व मंत्री, राजस्थान,

3. मेजर हरिन्द्र सिंह, भूतपूर्व मंत्री, पंजाब,

4. उस्ताद अलाउदीन खां, संगीतज्ञ,

5. श्री बाल कृष्ण गुप्ता, संसद सदस्य,

6. श्री चन्दू लाल चूनीलाल देसाई, संसद सदस्य,

7. स्वामी रामानन्द शास्त्री, संसद सदस्य,

8. स्वामी केशव चन्द एक्स मैंबर पार्लियामैंट।

स्पीकर साहब, श्री जे.वी. नरसिंह राव का निधन 3 सितम्बर, 1972 को हुआ। वे आन्ध्र प्रदेश के जिला अदलाबाद के रहने वाले थे। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की। सन् 1954 में राज्य के पुनर्गठन के समय हैदराबाद कांग्रेस समिति के अध्यक्ष बने। इसके बाद सन् 1963

में आन्ध्रे प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त हुये। सन् 1967 में राज्य विधान सभा के लिये चुने गये और मंत्रिमंडल में संचार मंत्री के रूप में सम्मिलित हुये। सन् 1972 के आम चुनाव में राज्य विधान सभी के लिये पुनः भी निर्वाचित हुये।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय का निधन 26 अगस्त, 1972 को हुआ। श्री हरिभाऊ उपाध्याय का जन्म मध्यप्रदेश के उज्जेन जिले के भोनरसा गांव में सन् 1893 में हुआ। वे सन् 1920 से 1925 तक महात्मा गांधी के सम्पर्क में रहे। इस अवधि में उन्होंने 'नव जीवन' का सम्पादन किया। उन्होंने सन् 1932 में नमक सत्याग्रह में भाग लिया और बन्दी बना लिये गये। उसके बाद 'भारत छोडो आन्दोलन' में भाग लिया और पुनः गिरफतार हुये। श्री उपाध्याय सन् 1952 में हुये पहले आम चुनाव में लड़े और वे अजमेर रियासत के प्रथम तथा अन्तिम मुख्यमंत्री थे जोकि उस समय 'सी' क्लास रियासत थी। सन् 1957 में वे राजस्थान विधानसभा के लिये चुने गये। सन् 1957 से सन् 1962 तक वे राजस्थान मन्त्रिमंडल में फाईनैंस मिनिस्टर तथा सन् 1962 से 1965 तक शिक्षा मंत्री रहे। सन् 1966 में उनको पदम भूषण से अलंकृत किया गया।

मेजर हरेन्द्र सिंह का स्वर्गवास 31 अगस्त, 1972 हो हुआ। मेजर हरेन्द्र सिंह का जन्म 27 फरवरी, 1917 में हुआ था। उन्होंने एचीसन चीफ कालेज लाहौर से तथा खालसा कालेज अमृतसर में शिक्षा ग्रहण की। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान फौज में भर्ती हुये। उन्हें केन्द्रीय विधानसभा का सदस्य मनोनीत

किया गया और सन् 1954 में और सन् 1960 में पंजाब विधान परिषद् के लिये भी सदस्य चुने गये।

सन् 1962 में पंजाब विधान सभा के सदस्य चुने गये और रेवन्यू मिनिस्टर बने। मेजर हरेन्द्र सिंह को सभी जानते हैं कि वे हमारे एक बड़े नेक, बड़े अच्छे, बड़े चतुर और कुशल साथी थे।

उस्ताद अल्लाउदीन खां का निधन 6 सितम्बर, 1972 को हुआ। इनका जन्म 8 अक्तूबर, 1862 में तिप्पेरह के शिवपुर गावं में हुआ जो कि अब बंगला देश में है। खां साहब को मध्य प्रदेश की मेहर रियासत के शासक ने अपना गुरू नियुक्त किया। खां साहब 30 वर्ष तक उस राजा को गायन विद्या तथा वाद्‌य संगीत सिखाते रहे। सन् 1935 में वे उदय शंकर के बैल्टट्रप के साथ यूरोप गये। 1952 में उन्होंने संगीत एकादमी का हिन्दुस्तानी वाद्य संगीत पुरस्कार प्राप्त किया। दो वर्ष के बदा वे एकादमी के फैलो चुने गये। सन् 1958 में उन्हें पद्‌मभूषण की उपाधि दी गई।

श्री बालकृष्ण गुप्ता का स्वर्गवास 18 सितम्बर, 1972 को हुआ। उनका जन्म भादरा (राजस्थान) में सन् 1909 में हुआ था। इस समय भी वे मैंबर थे।

श्री चन्दू लाल चूनी लाल देसाई का 22 सितम्बर, 1972 को निधन हुआ। श्री देसाई का जन्म 27 अप्रैल, 1900 को गुजरात राज्य के जिला कैरा में हुआ। उन्होंने अपनी शिक्षा एलफैस्टन कालेज, बम्बई से प्राप्त की। उन्होंने बी.ए. की डिग्री

कैग्ब्रेज से ग्रहण की। एन् 1923 में उन्होंने भारतीय सिविल सेवा में प्रवेश किया तथा केन्द्रीय सरकार में कई पदों पर आसीन रहे। सन् 1943 में वे सिविल सप्लाई के महा–नियन्त्रक बने तथा 1945, में वे टैरिफ कमीशन के सदस्य–सचिव बने। सन् 1948 से 1953 तक वे वाणिज्य निर्माण कार्य, आवास एवं पूर्ति तथा उत्पादन मंत्रालयों के सचित रहे। श्री देसाई मार्च, 1953 में श्री लंका में भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त हुए तथा नवम्बर, 1954 तक वे इस पर पर आसीन रहे। वे 1955 से 1958 तक पाकिस्तान में भारत के हाई कमिश्नर रहे। श्री देसाई सन् 1967 में लोक सभी के सदस्य चुने गये तथा 1971 में फिर लोक सभा के लिये चुने गये।

स्वामी रामानन्द शास्त्री का 27 सितम्बर, 1972 को निधन हुआ। उनका जन्म 1908 में हुआ था। वे सन् 1950 से सन् 1955 तक उत्तर प्रदेश दलित वर्ग संघ के अध्यक्ष रहे तथा भारतीय रविदास सेवा संघ हरिद्वारा के अध्यक्ष एवं संस्थापक भी थे। सन् 1952 में वे उत्तर प्रदेश के बिजनौर निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के लिये चुने गये तथा देहावसान तक वे इस सदन के सदस्य रहे।

स्पीकर साहब, इन सब साथियों के निधन पर हमें बड़ा अफसोस है। मे। इस सदन से प्रार्थना करूंगा कि इन दिवगत नेताओं के शोक संतप्त परिवारों से हम गहरी सहानुभूति प्रकट करें।

Ch. Hardwari Lal (Bahadurgarh). Mr. Speaker, Sir, I must associate myself with what the Leader of the

House has said about the departed souls and the loss which their departure means to the country.

I did not have the privilege of personal acquaintance with all of them. But we all know, Sir, that there was something great, very great about the fifty years or so of Indian History which preceded 1947, the year of Indian Independence. There was something very great about the way the battle for freedom was fought, about the moral heights to which the whole Nation rose, and Sir, there was something supremely uplifting about the atomosphere of the Gandhian Era. So those who had the privilege of operating on the political sence in those days as some of these souls had – cannot and should not be forgotten by us or by the country as a whole.

Major Harinder Singh and Mr. Desai, I knew even personally. Major Harinder Singh – I knew ever intimately. He was the scion of a wealthy family and was thus born with a silver spoon in his mouth. But throughout his life he sucessfully resisted the corrupting influence of money and imparted to public life a sense of dignity and honesty.

Mr. Desai was a man of many parts and he was known by his colleagues as a civil servant and later as a politician. He was known by them all for his remarkabel sense of independence of mind and thought.

With these words, Sir, I associate myself withe every word that the Leader of the House has said about all these departed souls.

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, जब भी कुछ अवकाश के पश्चात हम यहां, इस पवित्र सदन में इकट्ठे होते हैं तो हमें

कुछ हमारे नेताओं के प्रति श्रद्धांजति भेट करनी पड़ती है। हमारे महान नेता, जिन्होंने देश की बड़ी भारी सेवा की, बलिदान किये, देश का मार्ग दर्शन किया, वे आहिस्ता–आहिस्ता हमसे विदा होते जा रहे हैं और बड़े खेद की ओर चिंता की बात यह है कि उनका स्थान लेने के लिये उतने योग्य व्यक्ति मैदान में आगे नहीं आ रहे। आज जिन महानुभावों और जिन महान नेताओं के निधन पर सदन के नेता तथा विपक्षी दल के नेता ने जो विचार, जो भावनायें व्यक्त की हैं, मैं भी अपने आपको उन विचारों के साथ सम्बन्धित करता हूं और मैं समझता हूं कि इनमे से कुछ महानुभाव ऐसे थे, जो स्वतन्त्रता सैनानी थे जिन्होंने देश की आजादी हासिल करने में बलिदान किये, बड़े कष्ट और तकलीफों का सामना किया। कुछ इनमें बड़े अच्छे पार्लियामैंटेरियन थे, अच्छे ऐड–मिनिस्ट्रेटर थे, उन सब से हमें विदा होना पड़ा, यह देश की एक भारी क्षति है जो कभी पूरी नहीं हो सकती। मैं, जो भावनायें यहां व्यक्त की गई हैं, वे इन नेताओं के शोक संतप्त परिवारों तक पहुंचाने का प्रबन्ध करूंगा और हम सबकी सम्वेदना उन तक पहुंचाऊंगा। मैं चाहूंगा कि उन नेताओं के प्रति श्रद्धांजलि प्रकट करने के लिये आप सब दो मिनट के लिये खड़े होकर मौन धारण करने का कष्ट करें।

(इस समय सदन में दो मिनट का मौन धारण किया गया तथा मौन की समाप्ति पर उपाध्यक्षा पदासीन हुई।)

विशेषाधिकार प्रश्न

Deputy Speaker: I have gota privilege motion from the honourable Member, Sh. Ishwar Singh. The motion is in order. So, I give my consent to move the motion.

चौ. प्रताप सिंह दौलता: डिप्टी स्पीकर मोहतरिमा, मैंने पहले अर्ज किया था कि मैं पसर्नल ऐक्सप्लेनेशन देना चाहता हूं .....

Deputy Speaker: Please take your seat.

Ch. Ishwar Singh: Madam, I beg to give a notice of breach of privilege against Sh. Ram Lal, M.L.A., on the ground that he while addressing a public meeting at Karnal on the 24th September, 1972, criticised the conduct and ruling of the Speaker in the discharge of his duty and the words uttered by him tended to lower the dignity of the Honourable Speaker in the eyes of the public. The words which are considered objectionalbe by me are as below:-

''श्री राम लाल ने कहा कि मैं इक दूजा प्रस्ताव दित्ता बनारसी दास नूं जेहड़ा कि बंसी लाल दा चमचा है। एह प्रस्ताव सी मंहगाई उत्ते अज्ज जनता मंहगाई दे नाल पिस रही है। .... मैं स्पीकर साहब नूं किहा कि मेरे दो प्रस्तावां दा जवाब दो। स्पीकर साहब कहन लगे कि तुहाडे प्रस्ताव विचार अधीन हन्। तुहानू जवाब दे दित्ता जावेगा। असैम्बली दा अखीरला दिन सी ते मैं किहा कि मेरे प्रस्तावां दा जवाब नहीं मिलिया। कहन लगे कि तूहाडे घर भेज दित्ता गिया है। मैं किहा सी कि मैं तां जींदा जागदा हां, मैनूं ऐत्थे जवाब दे दें।''

I beg to move that the privilege motion against Sh. Ram Lal, M.L.A., be referred to the Privileges Committee for investigation and report to be presented to the House.

उपाध्यक्षा: मैं अब हाउस से रिक्वैस्ट करूंगी कि जो सदस्यगण इस मोशन के फेवर में हैं वे कृपया खड़े हो जायें।

(इस समय सरकारी बैंचिज के सदस्य तथा कुछ विरोधी दल के सदस्य अपनी सीटों में खड़े हुये)

चौ. राम लाल वधवा: डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं सिर्फ एक मिनट के लिये अर्ज करना चाहूंगा ....(व्यवधान एवं शोर). ....

Deputy Speaker: The House is in favour of the motion.

मेरे विचार मं यह मोशन जैसे कि आनरेबल मैंबर ने यानी मूवर ने हाउस से रिक्वैस्ट की है, प्रिविलेज कमेटी को रैफर कर दिया जाये।

चौ. चांद राम: डिप्टी स्पीकर साहिबा, आनरेबल मैंबर तो यहां मौजूद हैं, आप उनको तो अपनी बात कहने का मौका दें ....(व्यवधान एवं शोर)........... उसकी बात तो सुन लेनी चाहिये थी, आखिर इलैक्टिड मैंबर हैं।

Deputy Speaker: Ch. Chand Ram Ji, I would request you to please take your seat.

देखिये! इस हाउस के सामने एक प्रिविलेज मोशन आया जो एक आनरेबल मैंबर ने हाउस के सामने पेश किया

था। इसको पहले मैंने कन्सैन्ट दी और फिर हाउस ने खड़े होकर कन्सैन्ट दे दी। अब आनरेबल मैंबरान ने हाउस से यह रिक्वैस्ट की है कि इस प्रिविलेज मोशन को कमेटी के पास भेज दिया जाये। आनरेबल मैंबर, प्रिविलेज कमेटी के सामने जो भी बात कहना चाहते हैं, कहें, क्योंकि अभी हाउस को इस विषय में और कोई फैसला नहीं करना है। अगर हाउस ने इस विषय में और कोई फैसला करना होता तो मैं आनरेबल मैंबर की बात को अवश्य सुनती। अभी तो प्रिविलेज कमेटी के सामने यह चीज आ रही है। इसलिये आनरेबल मैंबर अपनी बातें प्रिविलेज कमेटी के सामने रख सकते हैं। मेरे ख्याल में अब इसे प्रिविलेज कमेटी को रैफर कर दिया जाये।

कृषि मंत्री (चौ. भजन लाल): ठीक है जी! यह मामला प्रिविलेज कमेटी को भेज दिया जाये क्योंकि वह ही इसके लिये कम्पीटैन्ट है।

उपाध्यक्षा: इस बारे में एक बात और है, वह यह है कि प्रिविलेज कमेटी इस बारे में फस्ट मार्च, 1973 तक अपना फैसला अवश्य दे दे।

चौ. चांद राम: डिप्टी स्पीकर साहिबा, आपने जो कुछ किया है, उस बारे में मेरा निवेदन यह है कि आपकी नजर एक तरफ ही रही। आनरेबली मैंबर यहां मौजूद हैं, अगर मैंबर मौजूद नह हों, हाजिर न हो तो दूसरी बात है लेकिन जब मौजूद हों तब उन्हें कुछ कहने का तो मौका देना चाहिए। ....(व्यवधान)........... डिप्टी स्पीकर साहिबा, मेरा चेयर की तरफ

डिस–रिस्पैक्ट शो करने को कोई इरादा नहीं है। हम इस बात से भी जागृत हैं कि इस बारे में फैसला अवश्य लेना चाहिये लेकिन आपकी नजर उधर रही, वह तो बोलते रहे कि मैं कुछ बोलना चाहूंगा और आपने कोई गौर नहीं किया। जब आपने एक मैंबर का नाम ले दिया है और वह मैंबर हाउस में मौजूद है तो इस हाउस को फैसला उसी वक्त ले लेना चाहिये था कि आखिर उस मैंबर का क्या कहना है? अब तो यह मालूम होता है कि सदस्य चुप रहें और चुप रहने का मतलब यह है कि हाफ कन्सैन्ट। जब मैंबर कुछ कहना चाहता है तो आप उनकी बात सुन लें और सुनने के बाद अपना फैसला दे दें।

चौ. भजन लाल: चौधरी साहब, उनकी बातों को कमेटी सुनेगी। 6 महीने का टाईम पड़ा है। ....

उपाध्यक्षा: मैं चौधरी साहब की बात का जवाब दे दू। बात यह है कि जो चीज आपके सामने प्रिविलेज मोशन के रूप में आई, वह यहां हाउस में तो डिस्कस हो नहीं रही यह तो प्रिविलेज कमेटी को जा रही है। हाउस इसका फैसला नहीं कर रहा है।

The Hon. Member can put his case before the Privileges Committee.

Ch. Rizaq Ram: That might be very correct, Madam.

परन्तु डिप्टी स्पीकर साहिबा, यहां पर एक प्रिविलेज मोशन आया और उसमें जिस मैंबर के खिलाफ कुछ बातें कही गई हैं, वह कुछ कहने के लिये खड़ा भी हुआ था लेकिन उसको मौका

नहीं दिया गया। अब क्वैश्चन यह है कि जहां कहीं इस किस्म का प्रिविलेज मोशन आये, उसमें जिस मैंबर के खिलाफ कोई बात कही जाये उसको कोई बात कहने का हक है या नहीं है कि जो कुछ कहा गया है वह गलत है या ठीक है। सरकारी बैंचिज की तरफ से हमारे एक साथी यह मोशन लायें कि स्पीकर साहब के खिलाफ ये—ये बातें कहीं गई जो कि उचित नहीं थीं और स्पीकर साहब के शान के शाया नहीं थी। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि किसी को भी ऐसी बातें नहीं कहनी चाहियें। कोई शब्द डैरोगेटरी है और कहे गये हैं, वह ठीक नहीं हुआ। स्पीकर साहब की हाउस के अन्दर भी और बहार भी ज्यादा से ज्यादा इज्जत हो, यह बात तो ठीक है लेकिन जिस मैंबर के खिलाफ मोशन आया, उसको कुछ कहने का मौका नहीं दिया गया। वे कुछ कहना चाहते थे। मेरा ख्याल है उन्हें पूरा मौका देना चाहिये था। मौका देने के बाद आप फैसला करते और हाउस से एप्रूवल लेते। सबको उनकी बात का पता लग जाता कि आया वे इस बात को मानते है या नहीं मानते हैं या वह रिग्रैट जाहिर करते हैं या कोई दूसरी पोजीशन वे बतलाते हैं। आपको उन्हें मौका तो देना चाहिये ताकि उनकी भी बात हाउस के सामने आये। प्रिविलेज कमेटी से पहले हाउस सुप्रीम है। यह तो देखना चाहिए कि मैंबर का ऐक्सप्लेनेशन रीजनेबल है या नहीं और यदि वे इसके लिये प्रायश्चित करता है ....

मुख्यमंत्री (चौ. बंसी लाल)ः प्रायश्चित से माफी नहीं मिलती। इस मामले में हमारे पास माफी का शब्द नहीं है।

चौ. रिजक राम: यह तो प्रोसीजर की बात है, वह अलहिदा बात है कि हाउस इस बात को मानता है यह नहीं मानता। मैं अर्ज करना चाहता हूं, डिप्टी स्पीकर साहिबा, कि उसको मौका तो मिलना चाहिये अपनी बात कहने का। हाउस में मैंबर को अपनी बात कहने का मौका तो दें। आखिर मैंबर की भी कुछ पोजीशन है। प्रिविलेज कमेटी में भेजने से पहले कम से कम उसको सुना तो जाये ....

चौ. बंसी लाल: डिप्टी स्पीकर साहिबा, एक चीज में मैंशन करूंगा। यह रूल 271 है। इसमें लिखा है:–

"The Speaker, if he gives consent under rule 268 and holds that the matter proposed to be discussed is in order, shall, after the questions and befor the list of business is entered upon, call the member concerned who shall rise in his place and, while asking for leave to raise the question of privilege, make a short statement relevant thereto..."

Statement of the member who moves the motion and then the other thing is that –

"If leave under rule 271 is granted, the question shall be referred to a committee of Privileges on a motion made either by the member who has raised the question of privilege or by any other member."

So there is no question of giving any opportunity to the Member against whom motion is brought. He will get ample opportunity to appear before the Privilege Committee and after that when the Privileges Committee's Report comes on the floor of the House then he may be given a

hearing. At this stage there is no question. We cannot change the rules.

चौ. चांद राम: डिप्टी स्पीकर साहिबा, इस वक्त हाउस डिस्कशन की स्टेज पर नहीं है। हाउस एक कोर्ट की स्टेज में है। हाउस के सामने केस है वह उसकी रैफर तो तभी करेगा पहले वह यह देख ले कि वह प्राइमा फेसाई केस बनता है या नहीं। मैंबर जब हाजिर है तो उसको सुना जाये। यह प्रोप्राइटी का केस है। रूल में सीर बातें नहीं हो सकती।

Ch. Bansi Lal: Madam all that is wrong. That is to mislead the House.

उपाध्यक्षा: प्रिविलेज मोशन हाउस के सामने आया, उसके बाद हाउस ने खड़े होकर प्रिविलेज कमेटी को भेजने का निर्णय लिया। उसके बाद सम्बन्धित मैंबर की बात सुनने का क्वैश्चन ही अराइज नहीं होता। (सरकारी पक्ष की ओर से तालिया) ......(व्यवधान)...... आनरेबल मैंबर को प्रिविलेज कमेटी में अपनी बात कहने का पूरा मौका मिलेगा और उसके बाद जब मामला हाउस में आयेगा तो उस पर डिस्कशन होगी। (व्यवधान) ....

चौ. शिव राम वर्मा: डिप्टी स्पीकर साहिबा, एक मोशन आया, उधर आप बोलती रहीं इधर ध्यान ही नहीं दिया। इस तरह से अगर किसी मैंबर को बोलने का मौका ही नहीं मिलेगा तो यहां पर लोग कैसे सुरक्षित रह सकेंगे? यहां पर प्रिविलेज मोशन आया और एकदम ही प्रिविलेज कमेटी को भेज दिया ....।

चौ. बंसी लाल: बाकी तो और मैंबर ही नहीं हैं एक ही असुरक्षित रहेंगे।

चौ. शिव राम वर्मा: इस तरह से फैसला दिया जाये तो इस बारे में आप ही देख लीजिए।

उपाध्यक्षा: यह चीज पूरी तरह हाउस के सामने आई और हाउस ने फैसला किया कि इस मामले को प्रिविलेज कमेटी को भेज दिया जाये।

चौ. बंसी लाल: डिप्टी स्पीकर साहिबा, पोजीशन बिल्कुल क्लीयर है। रूल बड़ा कम्प्रीहेन्सिव है। रूल कहता है:—

"..... shall, after the questions and before the list of business is entered upon call the member concerned who shall rise in his place ...."

उठने का प्रोसीजर भी ले डाउन कर दिया है। डिप्टी स्पीकर साहिबा रूल में आगे लिखा है कि (मूवर) ....

"....while asking for leave to raise the question of privilege, make a short statement relevant thereto..."

The rule is very clear about it. जिसके अगेंस्ट मोशन है he can appear before the Privileges Committee and he can give a written statement; he can give oral statement; he can produce evidence. There is no question now. Now the matter has been referred to the Privileges Committee. That closes the matter.

उपाध्यक्षा: जब कमेटी की रिपोर्ट आयेगी तो डिस्कशन होगा। हाउस में जब कमेटी की पूरी कार्यवाही आयेगी उस वक्त हाउस सोच लेगा।

चौ. शिव राम वर्मा: दूसरे को कहने का मौका तो मिलना चाहिये..

चौ. राम लाल वधवा: डिप्टी स्पीकर साहिबा, मोशन आया और चन्द शब्द लिखकर मूव कर दिया गया। यह मैंबर को सुनकर फैसला होना चाहिये कि प्रिविलेज कमेटी को जाना चाहिये या नहीं जाना चाहिये। कागज पर लिखकर आने से तो इसको प्रिविलेज कमेटी को नहीं भेजना चाहिये। ऐसा नहीं होना चाहिये कि चन्द शब्द लिखकर मोशन मूव कर दिया और मैंबर को सुना तक नहीं ....

कृषि मंत्री (चौ. भजन लाल): टेप रिकार्डर है हमारे पास ....

चौ. बंसी लाल: पूरे हाउस को सुना देंगे।

चौ. राम लाल वधवा: कम से कम मैंबर को तो सुनना चाहिये। (व्यवधान)

उपाध्यक्षा: यह केस कमेटी में इसलिये भेजा गया है जिससे मैंबर साहब पूरी तहर से अपने आप को ऐक्सप्लेन कर सकें।

चौ. बंसी लाल: डिप्टी स्पीकर साहिबा, इनकी पूरी तसल्ली कर देंगे अच्छी तरह से।

उपाध्यक्षा: अब सेक्रेटरी साहब कुछ अनाउंस करेंगे।

सचिव द्वारा घोषणा

Secretary: Madam I beg to lay on the Table of the House a Statement showing the Bills which were passed by the Haryana legislative Assembly during its sittings held from 14th August to 23rd August, 1972 in the current Session and which have since been assented to by the Governor.

STATEMENT

1. The Patiala Municipal (Executive Officers) Haryana Amendment Bill, 1972.

2. The Punjab Legislative Assembly (Allowances of Members) Haryana Amendemnt Bill, 1972.

3. The Punjab Gram Panchayat (Haryana Amendment) Bill, 1972.

4. The Punjab Agricultural Produce Markets (Haryana Validation) Bill, 1972.

5. The Punjab Motor Vehicles Taxation (haryana Amendment) Bill. 1972.

6. The Haryana Appropriation (No. 3) Bill, 1972.

7. The Punjab Motor Spirit (Taxation of Sales) Haryana Amendment Bill, 1972.

कार्य मन्त्रणा समिति का छठा प्रतिवेदन

Deputy Speaker. I have to report the time table fixed by the Business Advisory Committee in regard to various business.

The Committee met in the Chamber of the Speaker, on Monday, the 2nd October, 1972, at 5.00 P.M.

The Committee after some discussion, recommended that the business on the 3rd, 4th, 5th and 6th October, 1972, be transacted as follow:-

3rd October, 1972:

1. Questions.

2. Obituary References.

3. The Haryana Ceiling on Land Holdings Bill, 1972.

4th October, 1972:

1. Questions.

2. Resumption on the Haryana Ceiling on Land Holdings Bill, 1972.

3. Official Resolution regarding the ratification of the Constitution (Thirtieth Amendment) Bill, 1972, as passed by the two Houses of Parliament.

5th October, 1972:

1. Questions.

2. Non-Official Business.

6th October, 1972:

1. Questions.

2. Any other pending Legislative Business.

Home Minister (Sh. K.L. Poswal): Madam, I beg to move –

That this House agrees with the recommendations contained in the Sixth Report of the Business Advisory Committee.

Deputy Speaker: Motion moved –

That this House agrees with the recommendations contained in the Sixth Report of the Business Advisory Committee.

Deputy Speaker: Question is –

That this House agrees with the recommendations contained in the Sixth Report of the Business Advisory Committee.

The motion was carried.

हरियाणा सीलिंग आन लैंड होल्डिग्ज बिल, 1972

Chief Minister (Ch. Bansi Lal). Madam, I beg to introduce the Haryana Ceiling on Land Holdings Bill (हरियाणा भूमि–धारण की अधिकतम सीमा विधेयक)

Madam, I beg to move –

That the Haryana Ceiling on Land Holdings Bill (हरियाणा भूमि–धारण की अधिकतम सीमा विधेयक) be taken into consideration at once.

(At this stage Ch. Partap Singh Daulta rose on a point of Personal Explanation)

उपाध्यक्षा: मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आप इस वक्त कैसे खड़े हो रहे हैं? यह चीज तो जीरो आवर्ज में होती है। उस वक्त आप खड़े होकर कह सकते थे।

Ch. Partap Singh Daulta. I have followed the procedure laid down in the Rules Book verbatim. As soon as the obituary references were to be made, I pointed out to the Speaker that I will rise on a personal explanation after the obituary references are made, and if you do not give time I will sit.

उपाध्यक्षा: अब तो हाउस के सामने दूसरा बिजनैस आ गया है, इसलिये मैं आप को कैसे इजाजत दे सकती हूं? हाउस के सामने एक मोशन आ गई है, इसके बीय में आप किस तरह अपना पर्सनल ऐक्सप्लेनेशन दे सकते हैं?

Motion moved –

That the Haryana Ceiling on Land Holdings

(Interruption by Ch. Partap Singh Daulta)

चौ. प्रताप सिंह दौलता: डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं अपना पर्सनल ऐक्सप्लेनेशन देना चाहता हूं।

उपाध्यक्षा: दौलता साहब, मैं मोशन मूव कर रही हूं आप तशरीफ रखिये।

कृषि मंत्री (चौ. भजन लाल): डिप्टी स्पीकर साहिबा, मोशन मूव करने के बाद मैंबर साहब को एतराज करने की इजाजत नहीं होनी चाहिये।

Deputy Speaker. Motion moved –

That the Haryana Ceiling on Land Holdings Bill (हरियाणा भूमि–धारण की अधिकतम सीमा विधेयक) be taken into consideration at once.

(इस समय चौ. प्रताप सिंह दौलता बोलने के लिये फिर खड़े हुये)

उपाध्यक्षा: अब मैं मोशन मूव कर चुकी हूं।

चौ. रिजक राम: डिप्टी स्पीकर साहिब, मेरी प्रार्थना है कि आप देख लिखा करें कि एक मैंबर खड़े हो रहे हैं आप आप अपने रस्ते पर हैं ....(विध्न)....

उपाध्यक्षा: मैंने आप को भी देख लिया है और चौधरी साहब को भी देख लिया है।

चौ. रिजक राम: डिप्टी स्पीकर साहिबा, तीन चार दफा आनरेबल मैंबर खड़े हुये हैं मगर आप उन्हें टाईम नहीं दे रहीं हैं।

चौ. बंसी लाल: डिप्टी स्पीकर साहिबा, आप चौ. रिजक राम को बोलना शुरू करवा दें वे धीरे–धीरे बोल लें। ....(हंसी)....

चौ. प्रताप सिंह दौलता: डिप्टी स्पीकर साहिबा, लीडर आफ दी हाउस की ऐडवाइस मैंने ग्रेसफुली ऐक्सैप्ट कर ली है और अब मैं कोई पर्सनल ऐक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूं। (इस समय चौ. प्रताप सिंह दौलता अपने कागज इकट्ठे करके बाहर वाक आऊट करने के लिये तैयार होने लगे)

उपाध्यक्षा: मैं मोशन मूव कर चुकी हूं अब चौ. हरद्वारी लाल अपनी स्पीच करें।

चौ. भजन लाल: डिप्टी स्पीकर साहिबा, आप पहले दौलता साहब को दो मिनट के लिये इजाजत दे दें।

उपाध्यक्षा: दौलता साहब क्या आप इस बिल पर बोलना चाहते हैं।

चौ. प्रताप सिंह दौलता: मैं तो जी पर्सनल ऐक्सप्लेनेशन देना चाहता हूं। पिछले सैशन के पिछले दिन के पिछले टाईम पर चौ. हरद्वारी लाल जी की तरफ से जो कुछ कहा गया था उसके बारे में मैं अपना पर्सनल ऐक्सप्लेनेशन देना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष: अच्छा आप दो मिनट के लिये अपनी बात कह लीजिये।

व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

चौ. प्रताप सिंह दौलता: मोहतरिमा डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं सिर्फ एक मिनट ही बोलकर खत्म कर दूंगा। मेरी अर्ज यह है कि पहले 22 तारीख को मैंने कुछ बोला, मैंने दोबारा उसको बड़े ध्यान से जो कुछ उस दिन मैंने बोला पढ़ा है। 23 तारीख को आनरेबल मैंबर फोम बहादरगढ़ ने कहा कि उनको पर्सनल ऐक्सप्लेनेशन पर बोलने के लिये वक्त दिया जाये। मेरी पहली अर्ज तो यह है कि रूल 63 में मातहत उनको इजाजत नहीं दी जा सकती थी क्योंकि उनका कोई पर्सनल ऐक्सप्लेनेशन देने का केस नहीं बनता था। जो उस वक्त मैंने कहा था उसकी ऐग्जैक्ट लाईन्ज यह हैं कि एक आनरेबल मैंबर ने इलामा इकबाल का नाम लेकर एक शेयर सुनाया है, मैं यह अर्ज किए चाहता हूं कि इलाना इकबाल बड़े नफीस पोयट थे और उन्होंने मुस्लिम लीग में हजम होने से पहले बड़ी अच्छी नजमें और गजलें लिखी हैं लेकिन यह शेयर उनका नहीं है

किसी और का है, वह एक और शायर का है, जिसकी नजम का अनुवान दरोगे दरवेश है। मैंने फिर वह पढ़ी दोबारा, मुझे अपनी इस लाइलमी पर अफसोस है, मुझे पता ही नहीं चला कि इलामा इकबाल ने भी इस पर कुछ लिखा हैं मैंने तो इमानदारी से जिस नजम से मैंने यह शेयर पढ़ा था वही मैंने कह दिया था और साि में उसका तर्जुमा कर दिया ''संत की ठग्गी'' यह शेयर परशियन का है। तो डिप्टी स्पीकर साहिबा एक नजम के अनुवान का तर्जुमा कर देने से या किसी शेयर का तर्जुमा करने से किसी आनरेबल मैंबर को पर्सलन ऐक्सप्लेनेशन देने का हक हासिल नहीं हो जाता जब तक कि वह आनरेबल मैंबर खुद यह न कहे कि साहब संत तो बहुत हैं लेकिन संत और ठग मैं अकेला ही हूं, इसलिये जब तक वे इस बात का क्लेम न करें और फिर चेयर उनके क्लेम को ऐक्सैप्ट न करे तब तक उनको राईट नहीं मिल सकता था। इसलिये मैं समझता हूं कि वह सारी इररैलैवेंट चीज रिकार्ड पर आ ई है। अगर उसको खारिज कर दिया जाये तो बेहतर रहेगा और अगर नहीं करेंगे तो मुझे . ...(विघ्न).....

मुख्यमंत्री (चौ. बंसी लाल): डिप्टी स्पीकर साहिबा, दौलता साहब ने यह चीज मान ली है कि चौ. हरद्वारी लाल संत और ठग दोनों नहीं है, वे संत ही हैं, इसलिये यह झगड़ा खत्म हो गया। .....(शोर).....

उपाध्यक्षा: दौलता साहब, अब आप खत्म करें।

चौ. प्रताप सिंह दौलता: अच्छा जी मैं अभी खत्म करता हूं। तो नम्बर दो मैंने अर्ज किया था कि यह शेयर इलामा का नहीं है, मैं आज भी उस पर स्टिक करता हूं इकबाल ने कहां से यह शेयर लिया है वह ओरिजनली परशियन की नजम है जिसका अनुवान है दरोगेदरवेश। मैं आज भी उस पर स्टिक करता हूं। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लेता क्योंकि और जरूरी बिजनैस हाउस के सामने आने वाला है। आनरेबल मैंबर चूंकि मुझसे बहुत काबिल हैं इसलिये उन्होंने जो कुछ कहा था मैं उसको चैलेंज नहीं करता और उन्होंने जो मेरी निन्दा की उस पर भी मैं एक वर्ड नहीं बोलूंगा लेकिन मैं आपकी इजाजत से उनको अर्ज करना चाहता हूं कि इलामा इक्बाल का यह जो शेयर है यह बांगेदराह में दर्ज है। चौ. हरद्वारी लाल ने कहा था दो आंखों वालो देखो, दरोगे दरवेश अनुवान नहीं है ऐसा ड्रामा उन्होंने किया था। मेरी समझ में नहीं आया कि उन दो आंखों वालों में से किसी ने यह नहीं पूछा उस आनरेबल मैंबर से कि अगर इसका अनुवान दरोगे दरवेश नहीं है तो और बता दो क्या है। किसी ने इस चीज को क्वैश्चन नहीं किया कि इस गजल का, नजम का दरोगे दरवेश तो अनुवान नहीं है लेकिन जो है वह आप बता दो। यह शेयर जोश मलीहाबादी के किताव ''यादों की बारात'' में काजी खुरशीद अहमद के चैप्टर में दर्ज है। उर्दू में नजम का अनुवान फरेबे फकीर देकर कई रसालों में छपा है जैसे कि मखजन रिसाला का सालाना न. 1937.

हरियाणा सीलिंग आन लैंड होल्डिंग्ज बिल, 1972 पर चर्चा (पुरराररम्भ)

उपाध्यक्षा: दौलता साहब, अब आप अपनी सीट लीजिये। इससे पहले कि मैं चौ. हरद्वारी लाल जी को बोलने के लिये कहूं मेरे पास फूलचन्दइ (रोहट) की एक अमैंडमैंट आई है। अगर वे चाहें तेा वे उसे पढ़ सकते है।

Ch. Phool Chand (Rohat-S.C.). Madam, I beg to move –

That the Haryana Ceiling on Land Holdings Bill, 1972, be referred to the Select Committee consisting of the following:-

1. The Chief Minister.
2. Ch. Rizq Ram.
3. Ch. Amar Singh.
4. Pandit Chiranji Lal.
5. Sh. Phul Chand.
6. Ch. Bhajan Lal, Agriculture Minister.
7. The Advocate General.

with a direction to make a report thereon at the earliest upon 5th October, 1972.

मोहतरिमा डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह बिल जो आज हाउस को टेबल पर रखा गया है और हजारों लोगों की निगाह जिस पर है, आज हरियाणा का सबसे बड़ा हाउस इस पर गौर

करने जा रहा है। जो लोगों के साथ वायदे किये गये हैं, जो लोगों की उम्मीदें इस बात की ओर उजागृत की गई हैं उसके ऊपर हम किस नजर से, किस ढंग से और गरीबी हटाने के लिये हम किस हद तक फैसला करते हैं इस चीज पर विचार करने जा रहे हैं। यह इतना अहम मसला है कि तमाम लोग जो इस हाउस के अन्दर बैठे हैं और जो बहार अपने घरों में बैठे हुये हैं उन सबकी निगाहें इसकी तरफ लगी हुई हैं। आज इस बात में कतई दो राय नहीं हो सकती कि इस बिल के लाने की बड़ी जरूरत थी। क्योंकि यह तमाम सूबे में बल्कि तमाम भारत में यह एक सैन्ट्रल मसला बना हुआ है। डिप्टी स्पीकर साहिबा, आप मेरे से इस बात के साथ मुतफिक होंगी कि अगर कोई मरकजी मसला या बड़ा मसला हल न किया जाये तो जो दूसरे छोटे छोटे मसले हैं उनके ऊपर वह बहुत असरअन्दाज होता है ओर जो दूसरी अच्छी बातें होती हैं वे भी तमाम उसके साये में आ जाती हैं। इसलिये यह बहुत जरूरी मसला है ओर इसके साथ–साथ मैं यह भी अर्ज करूंगा कि जिस तरह से हमारी उम्मीदें बढ़ा दी गई हैं, या जिन–जिन प्रोग्रामों का जोर शोर से ऐलान कर रखा है उनको अमली जामा पहनाने के लिये यह भी बहुत जरूरी है। क्योंकि यह एक ऐसा जराये है जिसको जितना ऐक्सपलायट करें और जितना इस पर ज्यादा से ज्यादा काम करें उतना इसमें निखार आता है और इससे आमदनी बढ़ती है। मैं मिसाल देकर बताना चाहता हूं कि अगर मैं एक कारखाना लगा लूं और मशीन लगा लूं तो उसे मैं जितना इस्तेमाल करता जाऊंगा उसकी उतनी कीमत घटती चली

जायेगी लेकिन खुशकिस्मती से यह जमीन एक ऐसा जराये है कि इस पर काम करने वाला जितनी ज्यादा से ज्यादा मेहनत करता है उतना इसमें निखार आता है। इस जमीन के मसले को हल करने में बहुत रूकावटें रही हैं इन रूकावटों का जिक्र करते हुये मैं अर्ज करना चाहता हूं कि पिछली सदी से जमीन इगनोरैट देहातियों के हाथों से निकल कर इन्टैलीजैंट और दूरअंदेश हाथों में चली गई यहां तक कि 45/50 फीसदी जमीन खासकर ऐसे लोगों के हाथों में चली गई जिनको बाद में लैंडलार्ड, जमींदार या इनामदार कहते रहे और दूसरे और कई नामों से पुकारते रहे। खैर, फिर इस मसले को हल करने के लिये एक नैशनल तहरीक चली और उसमें कुद ऐसे आदमी भी आये जिनका जिक्र आज अबिचुरी रैफ्रैंसिज में भी आया। वे तमाम लोग लड़े और उन्होंने एक ऐसा माहौल तमाम हिन्दुस्तान में पैदा कर दिया कि यह मसल तमाम बड़े से बड़े रहनुमा के ध्यान में आया और सबने सोचा कि इस मसले की तरफ देखना ही पड़ेगा और इसे हल करना ही पड़ेगा। जो पापुलेशन देहात में रहती है उस सबको फार्म पापुलेशन कहते हैं क्योंकि उनकी निर्भरता फार्मिन्ग पर होती है और उनका सुधार उनकी गरीबी का दूर करना और उनकी तरक्की जमीन के समले के साथ जुड़ी हुई हैं। इसलिये इसका हल करना बहुत जरूरी है। यह जमीन का समला इस देश से गरीबी दूर करने के साथ और यहां समानवाद लाने के साथ इतना जुड़ा हुआ है कि इस बात की तरफ सारे मुल्क का ध्यान गया है, बड़े भारी डिबेट्स हुये हैं, नैशनल लैवल पर सिमपोजियम हुये हैं, बड़ी बड़ी मीटिंगज

हुई हैं थीसिज लिखे गये हैं, पढ़े गये हैं और इस बारे में गहराई में जाकर सोचा गया है। इस मामला पर मुल्क के तमाम इनटैलैक्चुअल जिनको दिमागी तौर पर ऊंचा गिना जाता है वे फिकरमन्द हैं और इससे साबित होता है कि यह मसला कितना अहमियत वाला है। डिप्टी स्पीकर साहिबा, इस बात से आज कोई इन्कार करने के लिये तैयार नहीं कि इसका हल न हो ....

चौ. हरद्वारी लाल: आन ए प्वांयट आफ आर्डर मैडम। यह किस चीज पर बोल रहे हैं?

उपाध्यक्षा: इन्होंने अमैंडमैंट पेश की है कि इस बिल को सिलैक्ट कमेटी को भेजा जाये उस पर यह बोल रहे हैं।

चौ. फूल चन्द: तो मैं अर्ज कर रहा था कि इस बात से प्रिसीपली कोई इन्कार नहीं करता कि यह मसला हल न हो। मिसाल के तौर पर यह जो लीडश्र आफ दी अपोजीशन संत जी हैं जिनका दौलता साहब ने अभी जिक्र किया था इस बात से इन्कार नहीं करेंगे लेकिन इसमें नजरिया और हो सकता है। लेकिन मैं अर्ज करता हूं कि इस असूल से किसी को इन्कार नहीं कि यह जमीन का मसला हल न हो परन्तु इसको जब अमली जामा पहनाने का वक्त आजा है और इस बारे में जो पहले कानून हैं उनकी इम्पलीमैंटेशन का वक्त आता है तो कई मसले सामने खड़े होते हैं। इस मुल्क में कोई 66 ऐसे कानून और बिल पास हुये कि जिनसे यह मसला काफी हद तक हल हो सकता था लेकिन इस सारी लैजिस्लेशन के बारे में यह

शिकायत सामने आई है कि तमाम की तमाम वह लैजिस्लेशन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में किसी न किसी वजह से अटकी हुई है। इन सारी बातों से यह साफ तौर पर जाहिर होता है कि यह भी जो बिल आया है इसकी तफतीस करने की बहुत जरूरत है और इसे बड़े गौरखौज के साथ पास करना चाहिये ताकि इसका भी वही हशर न हो जो बाकी लैजिस्लेशन का हो रहा है। इसलिये मैं अर्ज करता हूं कि यह सारा मसला सिलैक्ट कमेटी के सामने जाना चाहिये इससे पहले जो हमने सिक्योरिटी आफ लैंड टैन्योर ऐक्ट पास किया हुआ है उसके बारे में जो बात सामने आई है उसे अगर निगाह दौड़ाकर देखें तो आपको पता लगेगा कि उस सारे के सारे ऐक्ट पर लाल स्याही के हाशिये लग चुके हैं कितनी ही रूलिंगज एफ.आई.आर. की जो रैविन्यू की सबसे बड़ी अथारिटी है उसकी आ चुकी है और कोर्टस के फैसले आ चुके हैं और जो रूलिंग्ज और फैसले आये हैं वे एक दूसरे से मुतजाद हैं ओर उनमें काफी फर्क है। उस ऐक्ट में मुजारों के लिये बड़ी भारी राहत का ऐलान किया गया था कि उनको सिक्योरिटी मिलेगी लेकिन मैं बड़े अफसोस के साथ कहना चाहता हूं कि उस ऐक्ट का कुछ ऐसा जाल फैला और उस ऐक्ट ने कफछ इस तरह से अपने पर खोले कि मुजारा तो कोई बच नहीं सका। मैं खुद वकील हूं ओर मैंने जिस मुजारे का केस लड़ना चाहा उसमें इस ऐक्ट ने मुजारे की हिमायत नहीं की, मुखालिफत ही की। जो 30/40 और 50 साल तक के मुजारे बैठे थे वे भी इस ऐक्ट के होते हुये अपने घरों में बैठ गये। मैं उस ऐक्ट को इसलिये कोसता हूं कि उस

ऐक्ट के तहत भी कई लााख एकड़ सरपलस जमीन निकलती थी जिसे कहा जाता था कि गरीबों को, लैंडलैस को और हरिजनों को दिया जायेगा लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि उस ऐक्ट के पास होने के बाद और उसे अमली जामां पहनाने का जब वक्त आया तो पता नहीं लगा कि वह सारी लाखों एकड़ सरपलस जमीन कहां चली गई। मेरा जो हल्का है और उससे जो मुलहका हल्के हैं वहां मैं एक नाम भी नहीं गिना सकता कि कोई गरीब आदमी या मुजरा किसी सरपलस जमीन पर बैठा हो और किसी को वह जमीन मिली हो। मैं समझता हूं कि इस टाइप की लैजिस्लेशन लाने और पास करने से कोई फायदा नहीं होता बल्कि नुक्सान ही होता है। जिनकी जमीन छिननी है वह तो महसूस करते हैं कि उनकी जमीन छिन जायेगी और फलां–फलां को मिल जायेगी और जिनको जमीन के लिये लालच पैदा कर दिया वह दिन रात सोचते रहते हैं कि उनको जमीन मिलेगी। इससे तो लोगों में तफर्का पैदा करने वाली बात ही होती है। इस पिछली लैजिस्लेशन ने तो ऐसा किया है कि जो बहुत अमीर थे वे बहुत अमीर बन गये और जिन लोगों के लिये नारा लगाया गया था कि उनको सिक्योरिटी देंगे उनको कोई राहत नहीं मिली और गरीब और गरीब हो गये। आप देखें अभी दो दिन की बात है हमारी प्राईम मिनिस्टर साहिबा ने एक जलसा में कहा है कि हम इकनौमिक क्राइसिज में और उलझ गये हैं। ऐसे हालात में मैं अर्ज करता हूं कि जो भी लैजिस्लेशन हम लायें उसे पूरी तफतीश के साथ लायें। कानून बनाने की ही बात है तो पहले भी काफी कानून

बन चुके हैं और उन ऐक्टस का साया जब इस ऐक्ट पर पड़ेगा तो यह भी काला हो जायेगा ओर यह उन ऐक्टस में शामिल हो जायेगा। मुझे पता है कि जिनकी जमीन निकलने लगी थी उन्होंने अपनी सरपलस जमीन पर अपनी घरवालियों को मुजारा लिखा दिया। घोस्ट मुजारों के नाम जमीन लिखा कर गिरदावरी करा दी। जो मुजारा पैदा भी नहीं हुआ था उसे फलां वल्द फलां लिखा दिया और पटवारी, तहसीलदार और कुलैक्टर उसी नाम से गिरदावरियां कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है कि सारी बातों की तफतीश कने की जरूरत है ताकि इस कानून का भी वही हशर न हो जो पहले वाले का हुआ। इसलिये मैं चाहता हूं कि इस बिल को सिलैक्ट कमेटी को भेजा जाये ताकि जो आला दिमाग इस हाउस के हैं और ऐडवोकेट जनरल हैं वे इसे देखें। लोग जिन बातों का पहले शिकार रहे अगर उन्हीं बातों में दोबारा उलझ गये तो मैं समझता हूं वह ठीक नहीं। मैं चाहता हूं कि हम जो ऐक्ट पास करें, वह कामयाबी से लागू हो। कहीं ऐसा न हो जाये कि अदालतों में इसका असली मकसद ही फेल हो जाये, इसके परपज को चार भाई शमशान में ले जाकर फूंक दें और बाद में तमाम लोग हाथ मलते रह जायें। मैं, यह जो रैडिकल चेंज सारे कंट्री में आ रही है, इसकी हिमायत करता हूं और चाहता हूं कि कुछ लोगों को जमीन मिल जायें, लेकिन मुझे यकीन नहीं आता कि मिल भी जायेगी। यहां पर तो मिल मिलाकर जमीन बांटने की बातें करते हो, कहीं इस बांट से यह न हो जाये कि 'एक दिल के टुकड़े हजार हुये, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा', और जब एन मौके

पर पहुंचते हैं तो एक टुकड़ा भी हाथ न लगे। सारी जमीन खुर्द बुर्द हो जाती है, कुछ रिकार्ड में चली गई, कोई कहीं चली गई, वगैरा–वगैरा सारी जमीन खुर्द बुर्द हो जाती है। डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं आपके द्वारा अर्ज करना चाहता हूं कि इस बिल में कहा गया है कि सरपलस जमीन लैंडलैस लेबरर, हरिजन, बैकवर्ड क्लासिज, ऐक्स–सर्विसमैन और दूसरी कैटेगरीज को भी देंगे। इन लोगों को उम्मीद देने लग रहे हैं कि जमीन देंगे। आपने तो पहले ही निर्णय कर दिया कि 1.20 लाख एकड़ जमीन हम बाहर निकालेंगे। मुझे इस बात का डर है कि 1.20 लाख एकड़ जमीन बाहर नहीं निकलेगी, यह तो कागज पर ही रह जायेगी। निकलेगी कैसे, जमीन है ही नहीं। जिस किसान से, जिस बिस्वेदार से जमीन लेने की बात है उसके दिमागपर यह भ्रम रहता है कि मेरी जमीन ली जायेगी। इस भ्रम की वजह से मुझे तो उसकी हालत पतली लगती है, वह अपने बच्चों को पढ़ा भी नहीं सकता क्योंकि उसके दिमाग पर हर वक्त जमीन ले लेने का भ्रम रहता है। अगर हमको गांव में डटना पड़ जाये तो हमें किसान की हालत का सही पता चलता है, उसके रोजगार को देखकर बहुत ज्यादा तरस आता है। यह एक कोंइसिडैंस की बात है, एक इस तरीके का माहौल खड़ा कर दिया है, एक फिजा खड़ी कर दी है जिससे ''हैब एंड हैब नाट'' की लड़ाई ज्यादा से ज्यादा तेज हो और इस चरम सीमा तक पहुंच जाये कि सारा समाज इससे दुखी हो जाये। जितनी आप रैडिकल चेंज लाना चाहते हैं इससे तो आपने जनता को बेसबरी, अनरैस्ट और बेचैनी के तूफानों में पहुंचा दिया है।

इसलिये आप इन पोशीदा बातों को खत्म करें जिससे इस किस्म की बेचैनी फैल रही है। ठीक है, मैं खुश हूं कि आप लैंड रिफार्म करने जा रहे हैं। करो, लेकिन सब पहलुओं को सामने रखकर करो। जहां तक लैंड रिफार्म के लाने का मसला है, इस मामले पर हकूमत ने कई तरीकों से ध्यान दिया कि वे–बिस्वेदारों को, हरिजनों को किसी न किसी तरह से जमीन दी जाये। इनको जमीन देने के लिये सरकार ने री–हैबिलिटेशन डिपार्टमैंट के द्वारा कस्टोडियन की लाखों एकड़ जमीन ली। यह मसला भी लैंड रिफार्म के साथ ही लगता है। गवर्नमैंट ने यह बहुत सस्ती जमीन ली, 10 रूपये, 20 रूपये बीघे में ली गई। डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं कई मौकों पर खुद हाजिर रहा ओर देखता रहा कि हमारे अफसरान जमीन किस तरह फ्ररोख्त करते हैं। जितने भी जमीन लेने वाले आदमी जो कंटैडर थे, उनको ऐसे ढंग से कहा कि अगर तुमने मौका चुका दिया तो बिस्वेदार नहीं बनोगे। जब जमीन दी गई तो ऐसी दी गई जिसमें बिल्कुल रहे हो, जिसमें कल्लर हो, वह सारी की सारी पानी में डूबी पड़ी है, जमुना में डूबी पड़ी है। उस जमीन को लोग चार चार सौ रूपये बीघा पर लेने के लिये तैयार थे लेकिन मिली नहीं। डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं आपकी मारफत कई बातों की तरफ ध्यान दिलाऊंगा क्योंकि इस बिल से बहुत से लोग उलझ गये हैं। आप भी मानेंगे, जमीन देने के मामले में अगर किसी आदमी को बढ़िया जमीन छोड़नी पड़ जाये तो कुदरती तौर पर वह जमीन नहीं छोड़ेगा। अच्छी जमीन कोई आसानी से नहीं छोड़ता।

उपाध्यक्षा: क्या आप इसी अमैंडमैंट को चाहते हैं और बिल को नहीं चाहते? आप क्या चाहते हैं, कहना क्या चाहते हैं? यह तो बता दें।

चौ. फूल चन्द: मैं बोल रहा हूं बोलने दे, आपकी तसल्ली हो जायेगी। मैं आपसे अर्ज करना चाहता था कि इस बिल में ऐसी त्रुटियां न आ जाएं जिनसे बिल के असली मकसद को धक्का लगे। इसमें तमाम बातों का मसला शामिल है। अगर आप वाकई बे-बिस्वेदार लोगों को जमीन देना चाहते हैं तो दूसरे मसलों की तरफ भी ध्यान दें। अगर दूसरे मसलों की तरफ ध्यान देंगे तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा ....

चौ. भजन लाल: आप चौ. रिजक राम से पूछ लें ..... .(व्यवधान)......

चौ. फल चन्द: मैं आपकी मारफत इन भाइयों से कहना चाहता हूं कि इस मसले के साथ दूसरे कई मसले अटैचड हैं। मिसाल के तौर पर, डिप्टी स्पीकर साहिबा, आप पुरानी लीडर हैं और आपको काफी तजरूबा है। वैसे तो हम बहुत नारे लगाते हैं कि गरीबी हटायेंगे, यह करेंगे, वह करेंगे। क्या कभी आपने महसूस किया है कि जो बे-बिस्वेदार भाई गांव में रहते हैं उनके साथ क्या हशर होता है? उनके घरों के आगे से बिल्कुल घेरे खिंच जाते हैं जब गांव में आबादी देह-तकसीम होती है। गरीबों के घरों के प्लाट भी ले लिये जाते हैं, ये मामूली-मामूली बातें हैं। जहां लैंड सीलिंग का मसला लिया है, इसके साथ-साथ इस मसले को भी लें। इसके इलावा जो

देरीना कब्जे हैं उनको कम से कम ऐग्जैक्टिव पावर से दिया जा सकता है, अगर ऐग्जैक्टिव पावर से न हो तो भी आप उनको हक दे सकते हैं। पता नहीं हक मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जहां तक प्लाटों को देने का सवाल है, जब यह मसला आयेगा तो फिर इसकी इम्पलीमैंटेशन नहीं होगी, अमलीजामा पहनाना पड़ेगा तो यह फेल हो जायेगा, तमाम मशीनरी उलझ जायेगी। यह बहुत बड़ा मसला है, सियासी मसला है ओर सामाजिक मसला है। इसको जितने भी अच्छे ढंग से सुलझा सकें, सुलझा लें। अच्छे ढंग के मायने यह नहीं कि कानून की बहुत बड़ी किताब छाप दी। इस मसले को बहुत कूल–माइंड से, ठंडे दिमाग से, ठंडे दिल से, और संजीदगी से कुछ वरिष्ठ आदमी बैठकर गौर करें और गहराई में जायें। जिस बात को लेकर हमने लोगों से वायदे किये थे, उनको पूरा करो। पिछला लोक सभा का इलैक्शन जो ये जीते हैं, वह सारे का सारा ''गरीबी हटाओ'' के नारे पर ही आधारित था। जहां तक देहातों में जमीन देने का मसला है, वह अन्दरूनी तौर पर इम्पलाइडली मसला यह था कि जमीन मिलेगी। इस जमीन से लोगों में इतना भ्रम था, इतना ऊंचा तुर्रा भ्रम का था जिससे वे समझने लगे कि इलैक्शन के बाद ये खेत हमें मिलेंगे। लोगों ने कांग्रेस की मदद की। एक आदमी का नाम जग्गन है। उसको यह भ्रम था कि जमीन मिलेगी इसलिये उसने इलैक्शन में कांग्रेस पार्टी की खूब मदद की। दस दिन के बाद तहसीलदार जीप लेकर आया, जीप में डालकर उसे ले गया और जेल में डाल दिया। जब उसको ले जाया गया तो उसक दिमाग में यह भ्रम था कि तुझे

तहसीलदार ने जमीन के लिये बुलाया है, जमीन मिलेगी। लेकिन असलियत यह थी कि उसके खिलाफ तकावी का कर्जा था। उसने कर्जा अदा नहीं किया था इसलिये जेल में डाल दिया गया। पीछे से घरवाले परेशान हुये। ढूंढते–ढूंढते दो दिन के बाद पता चला कि वह जेल की कोठरी में बन्द है। मैंने कहा कि यहां क्या कर रहे हो भाई? उसने कहा किल्ले कटवा रहा हूं। ऐसे ही बहुत से आदमी जेल में ठोक दिये, उनके किल्ले जेल में काटे गये। मैं कहना चाहता हूं कि इससे लोगों के दिमाग में भ्रम उठ रहे हैं। डिप्टी स्पीकर साहिबा, बिल में जिक्र किया है कि हरिजनों को जमीन तकसीम करते समय प्रायरिटी देंगे। मेरे दिमाग में ऐ ऐसा ट्रैंड है, लौजिक है, अगर आप मेरे इमदाद करेंगे तो अच्छा है। पिछले दिनों मेरे भाई चौधरी चांद राम के साथ हरिजनों के सिलसिले में जिक्र चला। मैं उनका मशकूर हूं क्योंकि उन्हौंने इस बात को माना कि हरिजनों में कुछ कौमें बड़ी पीछे रह गई हैं। उन्होंने यह माना कि इससे जिम्मेदारी हम लोगों पर आती है क्योंकि हमने तहसीलदार, मैजिस्ट्रेट वगैरा नहीं बनायें। यह जिम्मेदारी हमारी है।

4.00 P.M.

तो डिप्टी स्पीकर साहिबा, क्योंकि इसमें यह दिया गया है कि यह इन्कलाब बिल्कुल ऐमिकेबल तरीके से आना है। इसमें बिकरिंग, इल–विल और तफरकात जो हैं मन के वे बिल्कुल कम होने हैं। इसलिये मैं अर्ज करूंगा कि इन तफराकात को ऐडमिनिस्ट्रेटिव ढंग से भी आप देखें कि हम न झगड़ें ओर बिल्कुल, जैसा इस ऐक्ट की मंशा है, अमन से,

आराम से और बड़े ठंडे दिल से इसको चलायें। इस तरह इन बातों को आप गौर फरमायें क्योंकि यह चीज काफी अहम है और मैं पिछले ऐक्ट की तमाम कंसिक्वेंसिज से, रैपरकशन्ज से बहुत डरा हुआ हूं, सैकडों मुजारे मेरी नजर में हैं जो बिल्कुल कसक–कसक कर बेदम हो गये और जमीन से निकाल दिये गये क्योंकि यह ऐक्ट हम अपने हाथों से बनाने जा रहे हैं, इसलिये मैं समझता हूं कि इस किस्म को पिटिएबल कंडीशन्ज उन लोगों की न हों बल्कि उनको राहत मिले। इसीलिये मैं आपसे अर्ज करता हूं कि इस बिल को सिलैक्ट कमेटी को भेज दो ताकि सरपलस जमीन की डिस्ट्रिब्यूशन जो आप करना चाहते हैं वह ऐसे ढंग से हो जिसमें किसी को एतराज न हो और सबको फायदा हो। (व्यवधान)

डिप्टी स्पीकर साहिबा, इसके अलावा मैं यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि किसी को भी जमीन मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। क्योंकि 95–95 लाख रूपये की एक दिन में स्टैम्पस निकली हैं और इस ऐक्ट की बोनाफाईड सेल्ज अगेन्सट कंसिड्रेशन्ज होगी। इसी तरह से मैं यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि हमारी मंशा गलत नहीं है लेकिन जो आदमी अफैक्टिड होंगे वे गवर्नमैंट को कंट्रोल करते हैं। यही नहीं कि वे गवर्नमैंट को अपनी सलाह से कंट्रोल करते हैं बल्कि वे उनकी चुनाव में भी मदद करते हैं। उन लोगों ने पहले ही अपनी सरप्लस जमीन को इधर उधर कर दिया हैं। उन लोगों को अपनी ग्रिप में लेने के लिये, कानून की जद में लेने के लिये आज तक कोई ठोस कदम नहीं उठाये गये हैं। ये तमाम लूज–लूप होल्ज पिछले

बिलों में जो थे सो तो थे लेकिन अब बन्द होने चाहिये। .... (व्यवधान)..... इसलिये मैं फिर दरख्वास्त करूंगा कि इस बिल को सिलैक्ट कमेटी को रैफर किया जाये।

Deputy Speaker. Motion moved –

That the Haryana Ceiling on Land Holdings Bill, 1972, be referred to the Select Committee consisting of the following :-

1. The Chief Minister.
2. Ch. Rizq Ram.
3. Ch. Amar Singh.
4. Pandit Chiranji Lal.
5. Sh. Phul Chand.
6. Ch. Bhajan Lal, Agriculture Minister.
7. The Advocate General.

with a direction to make a report thereon at the earliest upon 5th October, 1972.

चौ. हरद्वारी लाल (बहादुरगढ़): डिप्टी स्पीकर साहिबा, मुझे अंग्रेजी में बोलने का शौक नहीं लेकिन यह मजमून ऐसा है कि ....

श्री अमर सिंहः डिप्टी स्पीकर साहिबा, आप ए प्वांयट आफ आर्डर। मैडम, अर्ज यह है कि मेरी भी एक अमैंडमैंट है ओर मैं भी उस पर पहले बोलना चाहता हूं। ताकि यह बिल सिलैक्टर कमेटी को रैफर किया जाये।

उपाध्यक्षाः आपकी अमैंडमैंट क्लाज 3 के ऊपर है। जब क्लास 3 टेक अप करेंगे उस वक्त आपको बोलने का मौका मिलेगा।

चौ. दल सिंहः डिप्टी स्पीकर साहिबा, आन ए प्वांयट आफ इनफर्मेशन मैं यह जानना चाहता हूं कि चौ. हरद्वारी लाल जी गवर्नमैंट की तरफ से बोलेंगे या अपोजिशन की तरफ से? .. ..व्यवधान.....

उपाध्यक्षाः एज ए लीडर आफ अपोजीशन, बोलेंगे।

चौ. हरद्वारी लालः वह तो जो उनके साथी हैं जिस तरफ वे बोलेंगे उसी तरफ मैं बोल लूंगा। ....व्यवधान..... वे ठीक ही बोलेंगे, अब ऐसी बात नहीं है। ....व्यवधान.....

डिप्टी स्पीकर साहिबा, मुझे अंग्रेजी में बोलने का खास शौक नहीं लेकिन यह मजमुन ऐसा है कि इसमें बहुत से लफ्ज या मुहावरे अंग्रेजी में होंगे। उनके इस्तेमाल के लिये आप मुझे माफ फरमायेंगी। यह जो मुख्यमंत्री जी ने बिल पेश किया है वैसे इसको पढ़ने की जरूरत नहीं क्योंकि साल डेढ़ साल से प्रैस में, प्लेटफार्म पर इस बिल के मजबुन पर, इस बिल की भिन्न भिन्न दफात पर बहस होती रही है, नैशनल लैवल पर

बहस होती रही है और जैसे इस बिल की स्टेटमैंट आफ औबजैक्टस एंड रीजन्ज में कहा गया है कि यह बिल उस नीति की पैदावार है जो कांग्रेस पार्टी ने नैशनल लैवल पर अपनाई है। तो अगर मैं हरियाणा से बारह की बात इस बहस के दौरान कहूं तो उसके लिये भी डिप्टी स्पीकर साहिबा मैं आपसे माफी चाहूंगा। वैसे आज देश में ऐसा वातावरण है कि अगर कोई आदमी किसी के माल की, किसी की जायदाद की हिमायत में एक लफ्ज भी कहे तो उसको री–ऐक्शनरी या रजत पसन्द कहकर चुप कराने की कोशिश की जाती है। ....व्यवधान..... आज हर आदमी इस कोशिश में रहता है कि वह अपने आपको लैफ्टिस्ट जाहिर करे और लैफ्टिस्ट साबित करने की भी कोशिश करता है। मेरे एक दोस्त हैं, बड़े मालदार हैं, पार्लियामैंट के मैंबर हैं, बहुत साहिब जायदाद हैं, सब कुछ है और कांग्रेस पार्टी में ही हैं। उनसे किसी ने राय दी कि यह तो सारी बातें बहुत अच्छी हैं कि रूपया कमाओं, कारखाने चलाओं लेकिन जरा नोट लैफ्टिस्ट का रखो बातचीत में। यह तो वही हाल है जैसे आजादी के बाद एक तरीका अपना लिया था। आजादी के बाद बहुत से जो आदमी थे वे बिल्कुल इस किस्म के थे जो सरकार प्रस्त थे। उन्होंने ऐसी वर्दी सिलवाई खद्दर की कि यह किसी वजीर से किसी काम के लिये मिलना हो तो उसको पहन कर चले जायें। तो आज रिवाज यह बन गया है कि करो कुछ, कहो यही कि लैफ्टिस्ट हैं और गरीबी हटाना चाहते हैं। (इस समय सभापतियों की सूची में से एक सदस्य पंडित चिरंजी लाल शर्मा पदासीन हुये) तो चेयरमैंन साहब,

हकीकत यह है कि विचारों में मैं भी लैफ्टिस्ट हूं और ऐसा लैफ्टिस्ट नहीं जो रिवाजन लैफ्टिस्ट हो। मैं ऐसा लैफ्टिस्ट नहीं हूं जिसने गरीबी ने देखी हो सिर्फ नाम ही कहने लग गये हों। मैंने तो घिनौनी गरीबी देखी हो। ....व्यवधान.......

चौ. चांद राम: चौधरी साहब, आज तो आप भी लैफ्टिस्ट की बात करने लग पड़े।

चौ. हरद्वारी लाल: मैं तो लैफ्टिस्टस की तारीफ करने लग रहा हूं। आज तो हरिजनों में भी बहुत लैफ्टिस्टस आ गए हैं। ....व्यवधान....... एक तो चौ. चांद राम ही बैठे हैं लैफ्टिस्ट। एक उनसे पीछे बैठे हैं।

चौ. चांद राम: चौधरी साहब, लैफ्टिस्ट क्या है? यदि यह भी व्यख्या हो जाये तो हमें बड़ी रोशनी मिलेगी।

चौ. हरद्वारी लाल: तो चेयरमैंन साहब, मैं कोशिश करूंगा ....व्यवधान......तो चेयरमैन साहब, मैं आपसे यह दरख्वास्त करूंगा कि मैं तो बिल्कुल साफ गोई से अपने विचारों को रखूंगा। मैं अभी एक आधे घंटे से सुन चुका हूं कि मालूम नहीं इस बिल की मुखालिफत की, हिमायत की, मालूम नहीं किसी खास दफा पर हमला किया है। मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं तो इसमें साफ इस वास्ते भी कह सकूंगा क्योंकि मेरे ऊपर यह इल्जाम नहीं हो सकेगा आयद कि मैं किसी फार्मर्ज की लौबी का मैंबर हूं या लैंडलैस की लोबी का मैंबर हूं। मेरे पास तो 13 एकड़ जमीन थी वह भी मैंने एक संस्था को दे दी है। तो मेरे ऊपर यह इल्जाम आ नहीं सकेगा। इस वास्ते अगर इस बिल के

खिलाफ या किसान के हक में बोलना हुआ तो मुझे इसमें कोई गुरेज नहीं होगा। मैं साफ तरीके पर इस बिल के खिलाफ हूं कि यह बिल नहीं आना चाहिये। इस तरह से गरीबी दूर नहीं होगी। इस बिल का जो मकसद जाहिर किया गया है, जिसका एक साहब जिक्र भी कर रहे थे, कि इक्तसादी ना–हमवारी यानी इकौनौमिक डिस्पैरेटी को दूर करना है।

मैं एक बात आपके जरिये शुय में ही अर्ज कर दूं कि हमारी देहाती जबान बड़ी एक्सप्रैसिव है। उसमें कई बातें ऐसी है जो अंग्रेजी, हिन्दी या उर्दू में नहीं कही जा सकती हैं यानी वे देहाती जबान मं ज्यादा अच्छी तरह से कही जा सकती है। देहातों में जब किसी बात का कोई नतीजा न निकलता हो, जिस बात में कोई तन्त न हो तो कहा जाता है कि ''क्यों बुम्बलो पर गहटा जौड़ रखा है।'' इस मिसाल का मतलब होता है कि बुम्बलों से कोई अनाज यानी बाजरा वगैरह तो नहीं होता है वैसे ही उसको गाहया जा रहा हो। इसी तरह से हरियाणा में इस बिल की पोजीशन है। इस बिल के लाने से कोई मकसद हल नहीं हो सकता है। इस बिल में अन्दाजा लगाया गया है कि एक लाख 20 हजार एकड़ जमीन फालतू निकलेगी। अगर जमीन की क्लासीफिकेशन की जाये और यह फार्मूला जो इस बिल में दे रखा है उस पर लागू किया जाये तो मेरे ख्याल में वह अन्दाजा बिल्कुल गलत होगा। इतनी जमीन फालतू नहीं निकलेगी और न ही यह तकसीम हो सकेगी। जितनी जमीन इस बिल में दिखाई गई जहै उतनी निकलती नहीं है।

आप जानते हैं कि हरियाणा में खेती का इन्हसार तो बिल्कुल मौनसून पर है ओर इस हद तक मौनसून पर है कि अभी पिछले दिनों तीन–चार महीने बारिश नहीं हुई तो सारे देश भर में शोर है। खाली हरियाणा में ही नहीं सारे देश में शोर है कि मौनसून के न आने से कहत पड़ गया।

मौनसून के फेल होने के कारण भाखड़ा डैम के पानी का लैवल भी नीचे जा रहा है। बिजली मुहैया करने मे भी दिक्कत पेश आ रही है शायद नहरों को भी पानी न मिल सके। खरीफ की फसल तो पहले ही खराब हो चुकी है। रबी की फसल है इसकी भी कामयाब होने की कोई उम्मीद नहीं है। बिजाई शायद ठीक तरह से न हो सके, क्योंकि बारिश ही बहुत कम हुई है, नहरों से भी पानी नहीं आयेगा। इसलिये बीजाई करनी ही मुश्किल हो जाये। तो जब ये हालात हैं तो यह जो अश्योरड इरीगेशन और डबल क्रोपिंग है, इसका तो फिर सवाल ही नहीं है। इरीगेशन ही नहीं होगी तो डबल क्रोपिंग कैसे हो सकेगी? जहां तक टयूबवैलों का सम्बन्ध है हमारे यहां हरियाणा में जगाधरी और शाहबाद के एरिया में वे सबसे ज्यादा कामयाब माने गये हैं लेकिन वे भी अब मौनसून पर इन्हसार हो चूके हैं। अगर मानसून देर से आती हैं तो टयूबवैलों में भी पानी सूख जाता है तो फिर नहरों की जो अश्योरड़ इरीगेशन है वह कहां से हो सकती है। यह तो एक कायदा इस किस्म का बना हुआ है कि कागजात में इरीगेटिड लैंड दिखा दी जाती है लेकिन उस जमीन को पानी मिलता नहीं है। आजकल जैसे पानी के हालात बने हुये हैं, वे आप जानते ही नहीं हैं अगर आप जानते

हैं तो आपने जो अन्दाजा लगाया वह गलत है। हरियाणा में कोई जमीन फालतू नहीं निकलेगी। हमारे पहले मोहतरिम स्पीकर साहब होते थे वे एक मिसाल बड़ी अच्छी कहा करते थे, वे बड़े तर्जुबे की बात कहा करते थे ओर वह सही मुशाहदा उस बात का था। वे कहा करते थे कि 20–25 साल से यह नारा लगाते आ रहे हैं कि हरिजनों को जमीन मिलेगी। इस नारे ने देहाती जिन्दगी में बड़ा तनाव पैदा कर दिया है। वे कहते थे कि यह खामख्वाह की बात है। कहते थे कि देहात में दो तरह के आदमी होते हैं। एक तो किसान हैं यानी जमींदार। हरियाणा में तो जमींदार ही कहते हैं चाहे वह पांच–साल एकड़ जमीन का मालिक है या ज्यादा का है। हरियाणा में तो हजारों एकड़ जमीन के मालिक तो हैं ही नहीं जिनको जमींदार कहा जाता है लेकिन यहां तो थोड़ी जमीन वाले को भी जमींदार कहा जाता है। यह मैं मानता हूं कि हरियाणा में हरिजन जमीन के लिहाज से बिल्कुल नंगे हैं। जमींदार के पास लंगोटी है। अगर उसकी लंगोटी को फाड़ दोगे तो हरिजन को कोई फायदा नहीं होगा। वह तो उसी तरह से रहेगा। अगर हरियाणा में इस लिहाज से ना–हमवारी दूर करनी है तो वह इस तरह से दूर नहीं हो सकती है।

चेयरमैन साहब असल बात तो यह है कि हरियाणा और पंजाब में तो लैंड रिफार्म बिल की जरूरत ही नहीं है। यहां पर इस बिल का जिक्र करना बिल्कुल बे–मायने हैं। जिस बात की जरूरत हरियाणा और पंजाब में भी थी वह सन् 1952–53 में हो चुकी है। यहां जरूरत इस बात की थी कि

लैंड–लार्डज और टैनैंटस की रिलेशनशिप ठीक हो। जब पंजाब आकुपैन्सी टैनेन्टस बिल पास हुआ तो उस ऐक्ट की रूह से पंजाब और हरियाणा में 6 लाख 47 हजार 740 मुजारों को 18 लाख 50 हजार 479 एकड़ जमीन की मालकियत के हकूक मिल गये थे। अब यहां पर यह बात खत्म थी। इस बिल के लाने की अब कोई जरूरत नहीं थी। पंजाब और हरियाणा प्रदेशों के अन्दर तो जमींदारों के पास इतनी जमीनें हैं ही नहीं। यह कोई बिहार नहीं, बंगाल नहीं, यू.पी. नहीं, आंध्र नहीं, मद्रास नहीं, यहां पर तो थोड़ी थोड़ी जमीनें हैं। यहां पर तो 20–25 साल से खामख्वाह लैंड रिफार्म की बात कही जाती है यहां पर जिस चीज की जरूरत थी वह पूरी हो चुकी है। इसलिये यह जो इस बिल का मकसद है कि देहाती जिन्दगी की इकोनोमिक डिस्पैरिटी को दूर करना है यह मकसद इस बिल से हल नहीं हो सकता है। अव्वल तो जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया है कि इस बिल की जरूरत ही नहीं थी। अगर थोड़ी बहुत जमीन निकल भी आये तो वह छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में होगी ओर जिसको दी जायेगी उसका उसे कोई फायदा नहीं होगा। दूसरे इस बिल के मुताबिक जमींदार को सिलैक्शन की इजाजत दी है। होनी भी चाहिये। जमींदार अपनी मर्जी से जिस जमीन को चाहेगा छोड़ेगा। तो इस तरह से उन टुकड़ों को कौन इस्तेमाल कर सकेगा। अगर किसी आदमी को दे भी दिये जायें तो उनसे उसका क्या बन सकता है और क्या उसको आमदनी हो सकती है। उनके देने को कोई फायदा नहीं है। यह तर्जुबे की बात है कि 22–24 साल के अन्दर कई दफा ऐसा हुआ है कि पंजाब के

कुछ हरिजनों को थोड़ी बहुत जमीन मिल गई थी किसी न किसी तरीके से उन्होंने जमीन ले ली थी लेकिन कुछ दिनों के बाद उसको छोड़ कर चले गये। उस जमीन को बेचकर चले जाते हैं क्योंकि वह जमीन टुकड़ों के रूप में मिलती है। अगर एक दफा वह जमीन उसको मिल भी जायेगी तो उसके पास इतना सरमाया नहीं होता है कि उन टुकडों को वह ठीक कर सके। वह फिर जमींदार के पास जायेगा और उससे कहेगा कि तुम ही ले लो। उसको खेती के लिये सब चीजों की जरूरत होती है जब वे नहीं होंगी तो उसका लाभ उसको नहीं हो सकेगा। जो टुकड़े उसको मिले हैं उनको वह ठीक नहीं कर सकता है।

चेयरमैन साहिब, अगर एक मिनट के लिये यह बात मान ली जाये कि एक लाख 20 हजार एकड़ जमीन फालतू निकलेगी तो उसमें आप यह देखिये कि देहातों की आबादी में 23–24 फीसदी आबादी ऐसी है जो बे–जमीन हैं और कुद 5–7 परसैन्ट ऐसे भी हैं जिनके पास जमीन तो है लेकिन इस हद से भी बहुत कम है जितनी होनी चाहिये। तो इस तरह से कितने ही बे–जमीन हैं। 20–30 लाख आदमी बे–जमीन हैं। अगर एक लाख बीस हजार एकड़ जमीन निकल भी आई तो सिवाये रेविन्यू एजेन्सी को रूपया मिलने के और किसी को फायदा नहीं होगा। उनको खाने–पीने के लिये एक जरिया मिल जायेगा और कोई मक्सद हल नहीं होगां आप किस किस को इस जमीन को देंगे? आपने इस बिल में लिखा है कि एक स्कीम डिस्ट्रिब्यूशन मं कई एक कैटेगरीज शामिल कर दी हैं जैसे शड्यूल्ज

कास्ट्स, बैकवर्ड क्लासिज और लैंडलैस टैनैन्टस। मैं तो इस बारे में यह कहूंगा कि सबसे पहले हक तो उनका होगा जो टैनैन्टस हैं। अगर किसी आदमी के पांच पांच एकड़ जमीन बारानी है और वह दूसरे से दस एकड़ जमीन लेकर काश्त करता है तो सबसे पहले तो उसका हक होना चाहिये। उसको जमीन मिलनी चाहिये। इस जमीन की भी कैटेगरी बनाई जा रही है जिसका मुद्दा ही गलत है। हां यह बात बिल्कुल सही है कि हरिजन बहुत गरीब हैं लेकिन इसके साथ ही यह समझना भी गलत है कि किसान बहुत अमीर हैं। वे बहुत मजलूम आदमी हैं। अगर हरिजन किसान से भी ज्यादा गरीब हैं तो उस गरीब हरिजन को कौन जमीन लेने देगा। मेरा 20–25 साल का तर्जुबा है कि कोई भी आदमी उन्हें बेवकूफ बना देगा। उन्हीं में से कोई ऐसा आदमी निकल आयेगा जो उनके नाम पर सब कुछ करके खा जायेगा। चेयरमैन साहब, हालात ऐसे बनते जा रहे हैं कि खामखाह में ही यह तनाव खत्म नहीं होगा। इस बिल से तनाव खत्म नहीं होगा, इस बिल से तनाव और ज्यादा बढ़ेगा। सरकार इन किसानों को वैसे ही एक बात कहती है जेसे कि अंग्रेज के जमाने में एक बात कही गई। अंग्रेजों के जमाने में यह बात कही गई कि ये जो महाजन हैं, मनी–लैंडर्ज हैं, इनको खत्म करना है। मनी–लैडर्ज तो जरूर खत्म हो गये लेकिन जमींदारों में वह बात आ गई। उससे तो यह हुआ कि उन का दर्जा खराब हो गया। हरिजनों में भी यही हालत हो गई है। अगर यह जमीन उन्हें मिल भी गई तो ये जो पांच–चार इधर बैठे हैं, ये ही खा जायेंगे। इसमें पोलिटिकल इन्फ्लुएंस चलेगा,

और कई बेसिज हैं और हजारों किस्म की बातें होंगी। इसलिए यदि जमीन की इस तरह से तकसीम हो भी जाये तो कोई चीज बननी नहीं है। मैं एक दूसरे नुक्ते निगाह से भी इस बिल के खिलाफ बोलना चाहता हूं। यह जो सिलसिला बन रहा है यह इकौनोमिक्स वाला तो कुछ भी नहीं है। जितने भी इकौनौमिक्स के स्टुडैंटस है, उन सबको पता है कि शुरू से ही हिन्दुस्तान में खेती का सबसे खराब पहलू यह है कि हमारे यहां जमीन के ऊपर बहुत भारी दबाव है। लैंड पर इम–मैयरेबल प्रैशर है। जब पहले ही यह हालत है तो इस किस्म का बिल लाकर या इस किस्म की एक नैशनल पालिसी बनाकर आप सिर्फ इतना ही कर रहे हैं कि जो जमीन तथा खेती पर मौजूदा प्रैशर है उसमें और इजाफा कर रहे हैं। आज हिन्दुस्तान मं अगर 50 आदमी खेती करते हैं तो इस तरह के बिल के पास होने के बाद इसका यह मतलब होगा कि खेती पर प्रैशर 50 की बजाय 75 का हो जायेगा और उसमें 25 आदमी और शामिल हो जायेंगे। एक सही बात करने का तरीका यह है कि खेती पर पड़े हुये इस बोझ को किसी न किसी प्रकार से कम करो। लोगों को जमीन की बजाये किन्हीं दूसरे पेशों की तरफ लगायें। यह कहना कि यहां इकौनौमिक डिसपैरिटीज हैं और अन–एम्पलायमैंट कैसे दूर होगी? देहात में कुछ आदमी ऐसे रहते हैं जिनके पास कोई रोजगार नहीं है। जिस तरह से आप कर रहे हैं, उस तरह से तो अन–एम्पलायमैंट खत्म नहीं हो सकती। रोजगार पैदा करने के ढंग तो दूसरे ही हैं। देहातों में छोटी–छोटी इंडस्ट्रीज होती। जो देहात का आदमी जूते बनाता है और शुरू से जूते

बनाया करता है बजाये इसके कि जूतों की बड़ी भारी फैक्ट्रीज होती जैसे बाटा है, यह है वह है, देहात में ही ऐसी बात हो जाती है कि उसको और अच्छी ट्रेनिंग मिल जाती जिससे उसकी आमदनी का जरिया बढता। एक तरफ तो आप कहते हैं कि मुल्क को इंडस्ट्रीयलाईज करना है, मोडर्नाइज करना है लेकिन दूसरी तरफ आप चाहते हैं कि जमीन के ऊपर और बर्डन डाल दें। 4–4 एकड़ की होल्डिंगज हो जायें, 5–5 एकड़ की हो जायें, 10–10 एकड़ की हो जायें और जमीन को और ज्यादा बांट दें। अव्वल तो पहले ही जमीन थोड़ी है, फिर आप इसको और बांटना चाहते हैं। आप सीधी सी बात क्यों नहीं मानते? गांधी जी कहते थे कि चर्खा चलाओ, क्यों हम बार–बार चर्खे की बात करते हैं क्यों हम उस इकौनोमी में यकीन रखते हैं? वे कहते थे कि हिन्दुस्तान की गुरबत को मिटाने के लिये चर्खा वाहिद है। वह इसलिये है कि जिसके पास रोजगार का कोई दूसरा साधन न हो उस हर आदमी को काम मिल जाये। अगर हम मुल्क में इकौनोमी लाना चाहते है तो फिर साफ तौर से लायें। यह न हो कि जमीन के बारे में तो यह कह दिया जाये कि इसको बांट लो लेकिन शहरों में जो बड़े कारखाने हैं जिनका कोई हिसाब ही नहीं है, वे ठीक हैं और वैसे ही चलते रहें। पिछले 22 सालों मं अमीर अमीरतर हो गया है और गरीब गरीबतर हो गया है। ऐसी आपकी इस पालिसी की वजह से ही हुआ है। इसके बारे में आपकी एक साफ पालिसी होनी चाहिये। मान लो कि कपड़ा भी चर्खे से बनेगा और कोई मिल नहीं रहेगी क्योंकि मुल्क में बहुत बेरोजगारी हैं, इसलिये जमीन भी

इस तरीके से तकसीम होगी कि देहात के अन्दर जिसको आज दो रोटियां मिलती हैं उसको डेढ़ रोटी मिल जाये और जिसको आधी रोटी मिलती है उसे भी एक–डेढ़ रोटी मिल जाये। ऐसा तो आप बेशक कर लें। लेकिन इसके अन्दर एक बात साफ हो कि मौडनाईज न करें, इन्डस्ट्रीयलाईज न करें। आप ऐग्रीकल्चर को प्रिमिटिव हालात में लाना चाहते हैं, आहिस्ता–आहिस्ता आप उसको इस हालात से निकाल लेंगे, प्रिमिटिव हालात में तो आ ही जायेगी। जब मुल्क के अन्दर इस किस्म की तकसीम होगी तो हम मोडर्नाईज तो कर ही नहीं सकते। इसमें कुछ समझाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि मैकेनाइजेशन पौसीबल ही नहीं है। अगर आपके पास सही किस्म की होल्डिगज न हो तो बात ठीक नहीं है। मैंने एक किताब पढ़ी है 'साईज आफ होल्डिग्ज'। यूनविर्सिटी से 3–4 लड़को को भेज देते हैं ओर वे छोटे–छोटे देहातो में बैठकर जो चाहते हैं लिख लाते हैं। होल्डिग्ज के बारे में एक सही स्टडी हुई है ओर वह पंजाब ऐग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की तरफ से हुई है। उसमें उन्होंने यह लिखा है कि जहां बिल्कुल सही किस्म की इरीगेशन हो यानी, दो फसलें होती हों, उस जमीन का सही तरीके से इस्तेमाल कारने के वास्ते 30 एकड़ की होल्डिंग ठीक होनी चाहिये आज हालत यह है कि जैसी रिपोर्ट चाहते हैं उसी तरीके की रिपोट्र हासिल कर लेते है कि 10 एकड़ की या कम या ज्यादा की होल्डिंग होनी चाहिए। यहां पर जापान का नाम ले दिया गया। जापान कभी गये नहीं, वास्ता नहीं, वैसे ही नाम ले दिया। जापान के हालात हमारे से मुखालिफ हैं, इस किस्म के हैं कि हिल्ली एरिया है

ओर ऐग्रीकल्चर बहुत ज्यादा सबसिडाइजड है। एक तो इस ढंग से वहां के हालात हमारे से मुख्तलिफ हैं, दूसरे इस ढंग से कि वहां किसानों को हर किस्म की सहूलियतें हैं। यहां पर क्या है, एक ट्रैक्टर के लिये दरख्वास्त दे दी तो अपने लिये बला मोल ले ली। एक खाद का कट्टा लेने में भी रिश्वत देनी पड़ती है। जापान का ओर हमारा क्या मुकाबला? यहां पर तो असल बात यह है कि देहातों में गरीबी है और देहातों में अन–एम्पलायमैंट है। जिस किस्म के लैड–रिफार्म्ज आप जल्दी से जल्दी लाना चाहते हैं, उनसे देहातों में गरीबी हरगिज दूर नहीं होगी, बल्कि बढ़ जायेगी। इससे और ज्यादा तनाव बढ़ जायेगा। तनाव इससे भी ज्यादा बढ़ जायेगा कि फालतू जमीन तो ज्यादा निकलेगी नहीं और हरिजन भाई फिर वैसे के वैसे ही रह जायेंगे। हरिजन भाईयों को अब तक यह जवाब देते रहे कि जमीन आयेगी। उनको गल्त बातें बतलाते गये कि उन्हें जमीन दी जायेगी। जब आपके पास ज्यादा जमीन ही नहीं आयेगी तो आप उन्हें कहां से देंगे? जिनके पास जमीन है, जब उन्हीं का गुजारा नहीं होगा तो कहां से जमीन आयेगी। अब आपका अगला कदम क्या होगा? 1950 से जब से आजादी मिली है, दो–तीन दफा यह सिलसिला चला। आप बड़े–बड़े पूंजीपतियों से नजर बचाते हैं। एक बिरला था, एक के सौ हो जायें, एक टाटा था, एक के सौ टाटा हो जायें, लेकिन आपकी नजर उनकी तरफ नहीं होगी। यह जो पब्लिक सैक्टर का नाम लिया जाता है, उनका तो उसमें भी फायदा हैं आप एक गरीब किसान पर 22 साल से दांत गड़ाये हुये हैं। पहले 1950 में इस तरफ कुछ आवाज उठी

लेकिन फिर 1960 में, इस तरफ से थोड़ा सा रूझान फिरा। वह इसलिये फिरा कि मुल्क में अनाजकी बहुत कमी हो गई और पैदावार बढ़ानी थी। उस समय, इस कारण लैंड रिफार्म्ज का जिक्र छोड़ दिया गया। दस साल में थोड़ा सा सांस लेने का वक्त आया था, पर अब फिर यह लैंड रिफार्म्ज ले आये। मुल्क में इतनी गैर–यकीनी हालत हो जाये और फिर यह कहा जाये कि यह ठीक है, कुछ जंचता नहीं है। यह बिल तो पास होगा ही लेकिन इससे बात बनेगी नहीं। फिर यह प्रचार शुरू हो जायेगा हरिजनों में कि यह सीलिंग और नीची आये। इससे जो बिस्वेदार हैं वे तो वैसे ही नाराज होंगे और हरिजनों की तरफ से और ज्यादा जद्दोजहद शुरू होगी ओर उनका बहकावा और बढ़ जायेगा। मेरा कहना यह है कि खामखाह में ही इस लैंड रिफार्म बिल से जितना ज्यादा से ज्यादा तनाव पैदा हो सकता है, वह पैदा होगा। चेयरमैन साहब, मैं आपसे अर्ज करूंगा कि यहां पर सोशलिज्म आना चाहिये, गरीबी भी हटनी चाहिये। गरीबी तो बहुत बुरी चीज है। इयलिये जब तक यह रहेगी तब तक इसके साथ और बहुत सी बुराईयां बनी रहेगी। इसलिये जब तक यह रहेगी तब तक इसके साथ और बहुत सी बुराईयां बनी रहेगी। इसलिये गरीबी जरूर हटनी चाहिये। समाजवाद भी आना चाहिये। लेकिन इसके तरीके सिर्फ दो ही हैं। यह तरीका जो बरता जा रहा है, यह तरीका ठीक नहीं है। इसका एक तरीका जो मैं ठीक समझता हूं वह यह है कि पैदावार बढ़ाई जाये। चाहे आप इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को ले लें या ऐग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को ले लें, पैदावार बढ़ायें। जैसे 10

साल तक ठीक सिलसिला चलता रहा है, वैसे ही आगे भी चलने दें। आपने अखबारात में पढ़ा हागा कि हमारे यहां सिर्फ अप्रैल तक के फूड रिजर्वज हैं। हमारी खरीफ की फसल तो नाकामयाब हो गई लेकिन अगर रबी की फसल भी फेल हो गई तो मुल्क के बहुत से हिस्सों में खाने की एक और नई समस्या पैदा हो जायेगी। हमारे पास अप्रैल से आगे के फूड रिजर्वज नहीं है। फिर बाहर के देशों में हमारे छोटे-छोटे लड़के भीख मांगते फिरेंगे, चन्दा इकट्ठा करते फिरेंगे कि हमने हिन्दुस्तान के लिये खाना भेजना है। यह हालत फिर अप्रैल के बाद हो सकती है।

तो इस वास्ते सोशलिज्म लाने का या गरीबी हटाने का पहला तो यह तरीका है कि यहां पैदावार बढ़ाई जाये। दोनों तरह की पैदावार बढ़ाई जाये – जरई पैदावार ओर इंडस्ट्रियल पैदावार भी। दूसरा यह ढंग है कि जो नैशनल वैल्थ है, जो पैदावार की कमाई है उसे सही तौर पर तकसीम किया जाये। यह तो सही किस्म का सोशालिज्म है लेकिन यह नहीं होना चाहिये कि एक जगह पर किसी के पास 25 एकड़ जमीन है तो उससे पांच-सात एकड़ ले ली जाये और फिर एक-एक एकड़ लोगों को दे दें। चेयरमैन साहब, यहां पर तो बहुत बड़े-बड़े मगरमच्छ बैठे हुये हैं उनसे यह शुरू करें। हिन्दुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां सख्त गरीबी है और ज्यादा से ज्यादा अमीरी भी है। अभी एक इंडस्ट्रियलिस्ट जो कि फरीदाबाद के हैं ....

एक आवाजः जमुनानगर वाले का भी नाम ले लो।

चौ. हरद्वारी लाल: जमुनानगर वाले को तो मैंने देखा नहीं है। चेयरमैन साहब, एक शादी हुई उसमें फ्रांस से शैम्पेन आई। बम्बई तक जाने के लिये एक स्पेशल एकय कंडीशंड ट्रेन बुक कराई गई। बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया गया। शादी के लिये चालीस लाख रूपया तो जो इस इंडिस्ट्रियलिस्ट के एजेंट हैं, उनके इकट्ठा किया गया। आप देहली में जाकर देखें, सड़कें रूक जाती हैं, फर्लागों तक गलीचे बिछ जाते हैं। इतनी दौलत खर्च होती है। इन सब चीजों से इस देश में गरीबी हटनाी नहीं है। मैं तो यह कहता हूं कि पिछले बीस साल से किसान के लिये क्यों दांत पीसे जा रहे है। किसान के पास कौन सी चीज है। चेयरमैन साहब, मैं तो यही कहूंगा कि आप किसी भी फार्म पर चले जायें जहां कि टयूबवैल्ज भी हों, ट्रैक्टर भी हों, आज करनाल जिले में अच्छी से अच्छी जमीन है आप वहां जाकर देखें पांच सौ रूपये फी एकड़ से ज्यादा की आमदनी कहीं नहीं है। चाहे आप किसी भी प्रोग्रैसिव से प्रोग्रैसिव फार्म पर चले जायें जिनकी लाखों रूपये की इन्वेस्टमैंट है उनको भी कोई खातस आमदनी नहीं है। यह तो पिछले बीस साल से खामखाह का शोर मचाया जा रहा है। चेयरमैन साहब, जमींदार भी कुछ बेवकूफ ज्यादा हैं। अगर उसके पास थोड़ी सी अच्छी पैदावार हो जाये तो वह जेवरात में पैसा खर्च करने लगता है और दूसरी चीजों पर पैसा खर्च करने लगता है और इन्ही सब चीजों को देखकर सबके मुंह में पानी आ जाता है कि रूरल एरियाज के लोग ऐफ्लुऐंट हैं, ऐग्रीकल्चरल वैल्थ पर टैक्स लगाओ, किसान की हर चीज पर

टैक्स लगाओ, किसान की पैदावार पर टैक्स लगाओ। लेकिन चेयरमैन साहब, करोड़ों रूपया का हमारे देश में टैक्स इवेजन होता है उसकी कोई वसूली नहीं होती और अगर देहात के अन्दर थोड़ी सी जिन्दगी नजर आ गई तो कहने लगते हैं कि देहात में बड़ी अमीरी है, वहां के लोग तो ऐफ्लुऐंट हैं, किसी तरह से किसानों को खत्म करिये।

चेयरमैंन साहब, मुझे तो एक शक होता है इकनौमिक बात तो मुझे देखने में नहीं आती। यह सारा पोलिटिकल मामला ह। पिछले बाईस साल मे यही कोशिश रही है कि किसी तरह से किसान की सियासी ताकत को तोड़ दिया जाये। यह ठीक है कि इस वक्त यह नहीं टूटेगी, थोड़ी बहुत कमजोरी आ सकती है। लेकिन चेयरमैंन साहब, अगर किसान की सियासी ताकत इस देश में टूट गई तो यह पोलिटिकल स्ट्रक्चर, सियासी ढांचा कायत नहीं रहेगा। किसान ही इस देश का जो पोलिटिकल स्ट्रक्चर है, उसकी रीढ़ की हड्डी है। जिस किसान को हिन्दुस्तान की रीढ़ की हड्डी कहा गया उसको आज खत्म किया जा रहा है लेकिन जो पोलिटिकल स्ट्रक्चर हमने इस देश में बनाया था उसकी रीढ़ की हड्डी किसान है। ....(व्यवधान). .... चेयरमैन साहब मैं यह जिक्र कर रहा था कि दो ही ढंग हैं यहां पर सोशल जस्टिस लाने के। एक तो पैदावार में बढ़ोतरी और दूसरे जो बढ़ी या मौजूदा पैदावार है उसकी सही तकसीम करना। यह एक सही ढंग है इकनौमिक डिस्पैरिटीज को कम करने का। यह सही नहीं कि किसान की ताकत को कमजोर किया जाये। उसके पास है ही क्या देने के लिये।

इसके अलावा चेयरमैन साहब, मैं यह अर्ज करूंगा कि अब तक तो यह होता रहा है पिछले दस सालों में कि चाहे मामूली किसान भी है चाहे वह अपने रिश्तेदारों से कर्जा ले, कहीं से भी पैसे का इंतजाम करे, वह भी चाहता है कि टयबवैल ले, ट्रैक्टर ले और हर तरीके से वह अपनी थोड़ी सी जमीन से भी ज्यादा से ज्यादा पैदावार करे लेकिन अगर वह ऐसे हालात देखता है कि पहले 1952.53 मे ंइस लैंड रिफार्म का जिक्र आया उसके बाद अब इस लैंड रिफार्म का कई सल से जिक्र था। किसान ने अपनी मेहनत से पैदावार बढ़ाकर कुछ पैसा कमाया वह रजिस्ट्रियों में चला गया। थोड़ी जमीन बचाने के लिये किसी ने तलाक लिये। यह तो पता नहीं कि इससे कितनी जमीन आयेगी। चह ठीक है कि इस लैंड रिफार्म बिल में और वैसे हिन्दुस्तान में भी There is more bark than bite ज्यादा बार्क है बाइट कम है लेनिक फिर भी जब गैर यकीनी हालात हों तो कौन इन्वेंस्टमैंट करेगा। कोई भी गैर–यकीनी हालात में इन्वैस्टमैंट नहीं करना चाहता। चेयरमैन साहब, यह जो अश्योर्ड इरीगेशन पब्लिक कैनाल सिस्टम से है या जो प्राईवेट सोर्स से है वह एरिया बराबर का रखा है, थोड़ी सी कोई रियायत मिली है। कुछ ऐसे किसान, जो इन हालात में जो गैर यकीनी हैं पता नहीं पांच साल के बाद फिर कोई सियासी मकसद हासिल करने के लिये कुछ और तरीका निकाल लें और तब उसकी जमीन भी चली जाये, टयूबवैल जो उसने लगाया है वह भी चला जाये। तो चेयरमैन साहब, मैं तो इतना ही अर्ज करूंगा कि इन हालात

में किसी भी किसान के इंवैस्टमैंट करने का सवाल ही नहीं उठता।

चेयरमैन साहब, इन बातों के अलावा दो–तीन बातें और अर्ज करना चाहता हूं। एक तो इसमें लिखा हुआ है कि जो यूनिट होगा एक फैमिली का उसमें पांच आदमी शामिल होंगे – मर्द, औरत और तीन नाबालिग बच्चे।

श्री सभापतिः आप जनरल ही रखें, जब क्लाज बाई क्लाज डिस्कशन होगा तब आप बोल लेना।

चौ. हरद्वारी लालः इसमें यह है कि दो–तीन बालिग हों या एक बालिग हो वह अलग यूनिट होगा और वह पन्द्रह, सत्रह या सताईस एकड़ जो भी है वह ले लेगा। मैं तो कहूंगा कि यहां पर 27 एकड़ से कम नहीं होना चाहिये क्योंकि हमारे यहां तो डबल क्रोपिंग नहीं है। चेयरमैन साहब, अगर आप यह फिगर्ज देखें तो पंजाब में इनटेनसिटी आफ क्रोपिंग लुधियाना में सबसे ज्यादा है। वहां पर It is 153 out of 200 हमारे यहां अगर किसी के पास पचास, साठ या सत्तर एकड़ है तो उसके अगर दो–तीन बालिग लड़के हैं, उनको चली गई और जो माईनर हैं वह कोई पन्द्रह साल का है, कोई सोलह साल का है और कोई सत्रह साल का है। दो तीन साल के बाद वह मेजर होंगे तो वे कहां से जमीन लायेंगे और जो एक साल पहले पैदा हुआ है उसका क्या होगा? इस बिली में यह बहुत बड़ा डिफैक्ट है।

दूसरी एक और दफा है कि डिस्ट्रिब्यूशन की स्कीम गवर्नमैंट तैयार करेगी कि जो जमीन फालतू निकलती है, जोकि चेयरमैन साहब मेरे अन्दाजें से फालतू नहीं निकलेगी, लेकिन अगर निकल आवे तो उसकी डिस्ट्रिब्यूशन की स्कीम इसके साथ ही आ जाती। इसमें कई क्लाजिज का जिक्र है। इसमें सबसे पहले जमीन पर हक उस मुजारे का है जो वहां पर पहले बैठा हुआ है और अगर उसके बाद कुछ जमीन फालतू निकलती है तो आप चाहे हरिजनों को दें या किसी और लैंडलैस को दें मुझे इसमें कोई एतराज नहीं। लेकिन यह सोशल जस्टिस नहीं होगा (विघ्न)

चौ. प्रताप सिंह दौलता: चौधरी साहब, पहले टैनैंट को ही दी जायेगी वह क्लाज इसमें है।

चौ. हरद्वारी लाल: खैर, मैं आपका मशकूर हूं यह बात मेरी नजर से ओझल हो गई थी, अगर यह चीज इसमें है तो यह बिल्कुल सही है और मैं इसकी पुरजोर हिमायत करता हूं। जो टिलर है पहले उसी का ही हक है लेकिन अगर आप फालतू जमीन निकाल लें तो मुझे बेहद खुशी होगी और जिसके पास जमीन नहीं है उसको अदाकर दें। लेकिन चेयरमैन साहब, जमीन तो रबड़ नहीं है जो खींच कर बढ़ाई जा सके, यह तो थोड़ी बहुत कही–कही से निकलेगी इसलिये वह उन्हीं को ही मिलनी चाहिये जिनका गुजारा इस पर है जो टिलर हैं बाकी इसके इलावा लोगों को रोजगार देने के लिये देहातों में इंडस्ट्रीज आनी चाहियें और सारा बोझ जमीन पर नहीं डालना चाहिये। एक बात मैं और अर्ज करूंगा कि यह जो मुआवजे

वाली बात है इसमें भी जमींदारों के साथ ज्यादती नहीं करनी चाहिये। किसानों ने पिछले दस साल के अर्से में जमीन को इम्प्रूव करने के लिये बहुत कुछ किया है, खादें वगैरा डालकर सायल को नेचर भी बदल दिया है। बहुत खर्च और मेहनत करने के बाद जमीनें बनाई हैं। इसलिये मैं कहूंगा कि अगर कही पर जमीन सरप्लस निकल आये तो कम से कम उसका मुआवजा ठीक मिलना चाहिये। आपने दो हजार रूपया फी एकड़ ज्यादा से ज्यादा मुआवजा रखा है इस बिल के अन्दर। आज अगर जी.टी. रोड पर कोई जमीन लेना चाहे तो दस हजार रूपया फी एकड़के हिसाब से भी जमीन मिलनी मुश्किल है। जो छोटी–छोटी अन्दर की तरफ सड़कें हैं वहां पर भी पांच छः हजार रूपये फी एकड़ से कम जमीन नहीं मिल पाती। इसलिये आपने यह जो मुआवजा रखा है मैं इसकी मुखालिफत करता हूं क्योंकि यह बहुत कम है। मुआवजा आपको मार्किट प्राईस के हिसाब से देना चाहिये और यह इन्साफ भी है। यह कैसा सोशल जस्टिस है कि जिसके पास पेट भर कर रोटी खाने का गुजारा नहीं, जमीन कोई सोने की खान नहीं है, यह तो बड़ी खून पसीने की कमाई है और दिन रात मेहनत करके बड़ी मुश्किल से किसान को रोटी नसीब होती है। उसकी जमीन छीनने के लिये अगर आपका पब्लिक परपज पूरा होता है तो उसको कम से कम मुआवजा तो ठीक मिलना चाहिये। ठीक है आप जमीन पर सीलिंग बिल ले आये हैं लेकिन इसके साथ जो आपने मुआवजा लगाया है वह गलत है। तो मैं इन अलफाज के साथ इस बिल की मुखालिफत करता हूं और इसलिये नहीं

करता कि मैं रिएक्शनरी हूं। मैं कहता हूं कि गरीबी दूर होनी चाहिये सोशलिजम भी आना चाहिये, लेकिन यह किस के सिर पर आये सोशलिज्म? किसान मजलूम के सिर पर आप कैसे ला सकते हैं सोशलिज्म? जब तक बहुत सी बातें और नहीं होगी तब तक सोशलिजम कैसे आयेगा?

श्री अमर सिंह (बवानी खेड़ अनुसूचित जाति): चेयरमैन साहब, हाउस में आज एक बहुत अहम बिल हरियाणा सीलिंग आन लैंड होल्गिंज दरपेश है और बहुत मुदत से इस बिल की इंतजार थी। सन् 1971 का जो पार्लियामैंट का चुनाव हुआ था वह महज इस बिल के आधार पर ही जीता गया था, गरीबी हटाओं और समाजवाद का नारा लगा कर लोगों से वोटें ली गयीं। चेयरमैन साहब, प्रोग्रैसिव इंडिपैडैंट पार्टी के नेता वैसे तो प्रोग्रैसिव नाम की पार्टी बनाये बैठे हैं लेकिन मुझे ताज्जुब हुआ कि जब समाजवाद लाने वाला बिल यहां आया तो उन्होंने पुरजोर लफ्जों के साथ इसकी मुखालिफत की। बिल के अन्दर क्या कमी है, क्या डिफैक्टसा हैं, क्या आना चाहिये था यह तो बाद की बात है पहले देखने की बात यह है कि जो स्पिरिट आफ दी बिल है वह जो इलैक्शन होने से पहले नारे लगाये जाते थे कि गरीब को गरीबी की दूर करेंगे, समाजवाद लायेंगे, उसके मुताबिक है कि नहीं। यह 33 सैक्शन्ज का बिल आज इस हाउस में जेरे बहस है, इसमें बहुत सारी बातें बतलाई गई हैं ओर जो पैप्सू टैनैंसी ऐक्ट 1953 और सिक्योरिटी आफ लैंड टैन्योर ऐक्ट था उनको अमैलगामेट किया गया है। सन् 1953 के ऐक्ट का जो कि सरप्लस जमीनों के बारे में था हमें बड़ा

तलख तजुर्बा है। चेयरमैन साहब, आपको वकील होने के नाते पता है कि उससे किसी हरिजन को कोई फायदा नहीं पहुंच सका था। इसलिये अगर उस सिक्योरिटी आफ लैंड टैन्योर ऐक्अ को सिक्योरिटी आफ लैंडलार्ड ऐक्ट कहा जाये तो बजा है। चेयरमैन साहब, सन् 1953 के बाद अगर स्पैसिफिक ढंग से उन सब क्लासिज में जिनको पिछले 25 सालों में आप रोजगार नहीं दे सके, उनको जमीन तकसीम कर दी गई होती तो आज यह नौबत न होती। इसके इलावा सन् 1953 के सरप्लस ऐक्ट का हमें तलख तजुर्बा है, उस वक्त के कर्मचारियों ने और उस वक्त की सरकार ने वैसे तो रास्ताजात पूल करके कागजात में तो सारे रास्ते बनाये लेकिन पूल करने के बाद जब रास्ते छोड़े गये तो ऐसे तरीके से छोड़े गये कि सरप्लस भूमि सारी एक जगह पर न हो सकी। अगर उस वक्त सरप्लस भूमि सारी एक जगह पर छोड़ी होती तो आज यह दिक्कत न आती जो आज हमारे सामने पेश आ रही है। उस वक्त की सरकार और सरकारी कर्मचारियों ने सरप्लस ऐक्ट को तो लागू कर दिया लेकिन सरप्लस भूमि को एक जगह पर न कर पाये जिस की वजह से वह भूमि अलाट न हो पाई। जैसे मेरे से पहले लीडर आफर दी आपोजीशन ने फिगर्ज पढ़ कर सुनाये थे, मैं भी यह कहता हूं कि वह सारी कागजी कार्यवाही थी, सरप्लस जमीन प्रैक्टिकली किसी को भी नहीं दी गई थी। इतने लम्बे अर्से तक हरिजनों को बहकाते रहे, आजादी मिले को 25 साल हो गये हैं अगर इस अर्से में देहात के गरीब लोगों को दस्तकारी की सहूलियतें दी होतीं, कोई उनको आलटरनेटिव रोजगार दिया

होता तो आज जो स्थिति हम देख रहे हैं वह न होती। देहातों में जो हैरिडिटरी वर्कर थे जैसे चमड़े का काम करने वाले थे या कपड़ा वगैरा बुनने वाले थे, या जो और लकड़ी लोहे का काम करते थे वे सब मिलु खुल जाने की वजह से बेकार हो गये और उनको अपना पेट पालने के लिये कोइ आल्टरनेटिव काम नहीं दिया गया। चेयरमैंन साहब, अब भी मुझे डार है कि यह जो बिल है जिसे हम पास करने जा रहे हैं उसी तरह से कागज का पलंदा ही न बना रहे। मैं अपनी सरकार से यह निवेदन करूंगा कि जो भी जमीन सरप्लस निकले उसको सबसे पहले उन लोगों में तकसीम किया जाये जो गरीब हरिजन हैं या जो लोग कोई आल्टरनेटिव रोजगार न होने की वजह से बेरोजगार बैठे हैं।

अगर उनको छोटी–छोटी दस्तकारियां लगा कर देहात में काम दे देते तो आज यह दिक्कत पैदा न होती, गल्तफहमी पैदा न होती, न ही किसी को कोई रंज होता और न ही किसी को काई तकलीफ होती लेकिन ऐसा न हो सकने की वजह से अब जमीन ही एक ऐसा आल्टरनेटिव रह गया है ओर यह जमीन भी ऐसी चीज है जो रबड़ की तरह बढ़ाई और घटाई नहीं जा सकती। हां, इसका सुधार जरूर किया जा सकता है और यह सुधार किया भी जाता रहा है चाहे इसका नतीजा कुछ भी न निकला हो। 1963 में जो सुधार लाया गया ज्वायंट पंजाब में उसके तहत 26 लाख एकड़ के करीब जमीन सरप्लस निकलने का अंदाला था और इस हरियाणा रीजन में अगर मैं गल्ती नहीं करता तो कोई 16 लाख एकड़ के करीब

सरप्लस निकलनी थी लेकिन वह कितनी निकली और कितनी नहीं निकली यह आप सबको मालूम है कि इस बारे में क्या हुआ। आज इस बिल के ऐम्ज एंड आब्जैक्टस पढ़ने से यह पता लगता है कि 5 लाख एकड़ जमीन सरप्लस अवेलेबल होगी। मैं अर्ज करता हूं कि यह सरप्लस जमीन अगर उसी तरह निकलनी है जिस तरह पहले निकली थी, पहले ऐक्ट के मुताबिक तो फिर तो यह सब बेकार है, वह इस्तेमाल नहीं की जा सकी। अगर उस सरप्लस जमीन को स्टेट के नाम से लिया जाये और उसी वक्त उसका एक कुरा, एक प्लाट बना दिया जाये तो कुछ चांस हैं उसमें कि कुछ लैंडलैस लोगों को उसे देकर कुछ फैमिलीज को उस पर बिठाया जा सकता है नहीं तो यह उसी तरह से गरीब लोगों के साथ ज्यादती होगी जिस तरह से पहले हुई है कि आतक सरप्लस लैंड ऐक्ट के तहत मुकदमें चल रहे हैं, कचहरियों में काफी बेदखलियां की गई हैं, गरीब लोग दर–दर की ठोकरें खाते फिरते हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। आज इस बिल से भी यही डर है कि कहीं वैसा ही न हो कि लोगों की आशा निराशा में बदल जाये। इसके पीछे जो यह भावना है कि इससे गरीबी हटेगी ओर देश में समाजवाद आयेगा तो इस तरह से सीलिंग करने से सजाजवाद आने और गरीबी हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं अर्ज करता हूं कि जब तक जितने ये सोर्सिज आफ इनकम हैं और प्रोडक्शन के हैं उनको नैशनलाइज नहीं किया जायेगा उस वक्त तक समाजवाद आने और गरीबी हटने का सवाल ही पैदा नहीं होगा। अगर ऐसा करना है तो हैवी इंडस्ट्ररी को नैशनेलाइज

किया जाना चाहिये। यह जो दस्तकारी है यह भी एक बड़ा सोर्स आफ इन्कम है। आज अमीर और गरीब में 1:5 या 1:50 की डिस्पैरिटी नहीं है बल्कि जमीन और आसमान जितनी क्रीएट हो गई है। इसको तब ही दूर कर सकते हैं जब हम इंडस्ट्री को नैशनलाइज करेंगे। जहां तक इस लैंड सीलिंग बिल का ताल्लुक है यह समाजवाद की तरफ एक कदम बढ़ा है। इसलिये मे। इसका समर्थन करता हूं। एक बात मैं जरूर कहूंगा कि हिन्दू कोड बिल ने भाई ओर बहन को अलग-अलग किया ओर इस बिल के अन्दर मेजर और माइनर लड़के के बीच फर्क खड़ा किया गया है। आज तो बेशक यह समझ कर कि मेजर और माइनर लड़कों में फर्क डालकर जो जमीन बचाई जा सकती है बचा लो ताकि वह किसी गरीब हरिजन को न मिल जाये ऐसा फर्क भाईयों में डाल दो लेकिन कुछ दिनों के बाद आप देख लेना यही चीज एक गम्भीर फोड़ा बन जायेगा। घर-घर में झगड़े होंगे और कत्ल होंगे। क्या छोटा भाई बड़े भाई को दरखास्त कर सकेगा कि वह तो 18 एकड़ का मालिक हो ओर वह जो उसी का भाई है चार एकड़ का हो? माइनर मेजर बन जाने के बदा यह चीज बरदाश्त नहीं करेगा और झगड़े होंगे और आप ऐसा करके इस झगड़ों की बुनियाद रख रहे हैं और यह दूसरे नम्बर पर हिन्दू कोड बिल पैदा करने जा रहे हैं। चीफ मिनिस्टर साहब बैठे हैं और मैं चाहता हूं कि इस बात पर गौर करें। फैमिली यूनिट एक माना जाना चाहिये जिस तरह से 1963 के सरप्लस लैंड ऐक्ट में है कि फैमिली चाहे छोटी है या बड़ी है एक यूनिट मानी जाती थी मेजर और माइनर सन में

कोई फर्क नहीं था उसी तरह से इस बिल में भी मेजर और माइनर में फर्क नहीं होना चाहिये और फैमिली एक यूनिट माना जाना चाहिये। अगर ऐसा नहीं करेगे तो यह बाद में घातक सिद्ध होगा। आज बेशक हम इस बात को बरदाश्त कर जायें कि हमारी फैमिली की जमीन फैमिली में ही रह गई लेकिन वक्त आयेगा जब छोटा भाई बड़ा होकर अपने बड़े भाई को जो 18 एकड़ का मालिक होगा, बरदाश्त नहीं करेगा। आज बेशक आप इस चीज को लाइटली लें और समझ लें कि गरीब हरिजन से, लैंडलैस आदमी से इस तरह करने से उनकी जमीन बच जायेगी लेकिन में अर्ज करता हूं कि आप इस बात को समाज की बेहतरी के नाते से देखें कि आगे क्या होने वाला है। मैं कहता हूं कि कुछ वक्त के बाद फिजा इतनी बिगड़ जायेगी जो संभाले नहीं संभलेगी और घर–घर में कत्ल होंगे। इसलिये यह ठीक होगा कि यह जो इसमें मेजर और माइनर सन में फर्क रखा गया है इसे दूर किया जाये और इस बात पर गम्भीरता से विचार किया जाये। फिर मैं एक और बात की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। यहां लिखा है :–

“The permissible area in relation to a landowner to tenant or a mortgagee with possession or partly in one capacity or partly in another, of person or family consisiting of husband, wife and upto three minor children (hereinafter referred to as (the primary unit of a family), shall be in respect of –

(a) land under assued irrigation capable of growing atleast two crops in a year (hereinafter referred to as the land under assured irrigation), 7.25 hecrates;

(b) land under assured irrigation capable of growing atleast one crop in a year, 10.9 hectares;

(c) land of all other types including land under orchard 21.8 hectares."

चेयरमैन साहब यह बड़ा ही गम्भीर प्रोविजन है। अगर आप इस तरह से जमीन की कैटेगेरीज बनायेंगे और वह भी तीन तो इससे तो किसान की मूंडा जायेगा और उसे चक्कर में डालने वाली बात होगी कि वह अफसरों के पास ही अश्योर्ड इरीगेशन और दूसरी बातें तय कराने के लिये चक्कर लगाता रहे। अगर आप इस तरह सारी चीजें अफसरों के हाथों में देंगे तो बजाये इस बात के कि एग्रीकल्चर में सुधार आये और वे अपने आप जमीन सरैंडर कर दें वे अफसरों के चक्कर में उलझ जायेंगे और इस तरह काफी नुक्सान होने का खतरा है। इसलिये आप एक कैटेगरी या ज्यादा से ज्यादा दो कैटैगरीज एक इरीगेटिड और दूसरी नान इरीगेटिड जमीन की रखें और फिर सरपलस निकाल कर वितरण करें। मेरे पास चीफ मिनिस्टर्ज कान्फ्रैंस की रिपोर्ट है और हमारी नैशनल रिफार्मज कमेटी की जो मीटिंग हुई उसकी रिपोट्र है। उसमें साफ तौर पर लिखा है कि जितनी थोड़ी जमीन होगी उतना ही ज्यादा इसमें सुधार हो सकात है और उतनी ही ज्यादा मेहनत किसान उसमें कर सकता है। चीफ मिनिस्टर्ज कान्फ्रैंस की जो रिपोर्ट है उससे भी यही बात जाहिर होती है। उसमें लिखा है :–

Average per capita income and consumption.

Category of operational holding	Progressive		Non-progressive	
	Income	Consumption	Income	Consumption
	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)
5 acres to less	438	525	317	448
5 to 10 acres	850	594	447	600
10 to 20 acres	1086	689	617	608
20 to 30 acres	1352	854	1012	705
Above 30 acres	1801	1310	1099	727

5.00 P.M.

चेयरमैन साहब, हाउस में एक बात आई कि लैंडलैस के पास भूमि की ऐक्सपेन्शन करने के लिये इंवैस्टमैंट करने के लिये पैसा नहीं है। यह हकीकत है कि वह ऐक्सपैन्शन बहुत कम कर सकता है। लेकिन संत जी यह भूल गये क्योंकि वे खुद यह काम करते नहीं हैं। खुद वही करता है जो मुजारा है। देहातों में 98 परसैंट लोग टिलर हैं जिनको सीरीज कहते हैं, वह खुद काश्त करता है। यह ठीक है कि उसके पास साधन नहीं हैं। साधन अगर संत जी जुटा दें तो बड़ी अच्छी बात होगी। चेयरमैन साहब, भूमि पर बहुत से लोगों की आशायें थी। 'गरीबी हटाओ' के लिये जो बिल लाया गया है इसका बड़ी मुदत से लोग इंतजार कर रहे थे। जब यह बिल सामने आया

तो लोगों को एक बात का पता लग गया कि यह सिर्फ भ्रम ही था। हरिजन अब बिल्कुल भी बहकावे में नहीं आयेंगे। हरिजन को असलियत का पता लग गया, उनके दिल की भड़ास निकल गई। जब कोइ बात आती थी तो जमीन का नाम ले देते थे। कहते थे कि भाई, आपको जमीन मिलेगी। मूली के पत्ते दिखाकर के हरिजन को सब जगह हरा ही हरा नजर आता था, जैसे साबन के अन्धे को हरा ही हरा नजर आता है। हरिजन को जमीन के सिवाये कुछ नजर नहीं आता था। इस बिल पर जो आशायें उनकी बंधी हुई थी, वह टूट गई। चेयरमैन साहब, हम चीफ मिनिस्टर साहब के बहुत मशकूर हैं कि वे बहुत जल्दी इस बिल को ले आये। अगर इससे बहुत पहले ले आते तो और कई किस्म की गलतफहमियां दूर हो जाती। अब ले आये हैं, अब भी कई गलतफहमियां दूर हो गई। एक गलतफहमी 25 साल पहले दूर हो चुकी है कि दस्तकार को स्माल स्केल इंडस्ट्रीज में सरकार लोगों को एम्पलायमैंट देने में नाकामयाब रही है। जो लोग देहातों में बेकार बैठे हैं, ऐग्रीकल्चरल लेकरर जो घरों में अन–एम्पलायड बैठे हैं उनको आल्टरनेटिवली कोई दस्तमारी का काम देने में सरकार नाकामयाब रही है। लोगों को जो इस बात का खदशा था कि हरिजनों को जमीन मिलेगी, हरिजन जमीन के पीछे दौड़ते फिरते थे, उनको यह गलतफहमी थी कि जमीन मिलेगी। उधर दूसरी तरफ जमीदार के दिमाग में भी यह नक्शा था कि हमारी जमीन हरिजन छीनेगा। एक को जमीन मिलने का खदशा था और दूसरे को छिनने का शक था, अब इस बिल से यह गलतफहमी दूर हो जायेगी। थोड़े दिन बनी रहेगी, बाद में

खत्म हो जायेगी। क्योंकि सरकार बड़ी तेजी से इस बात को ऐक्सप्लायट कर रही है, इस बात का प्रचार हो चुका है कि हमने समाजवाद लाने के लिये बिल पास कर दिया है, गरीबी हटाने का बिल पास कर दिया है, आप देखें इस बिल का रिएक्शन क्या होगा? मुझे मालूम है कि जमीन बिद–इन फैमिली रहेगी। इसी गलतफहमी में पिछले दिनों करोड़ों रूपये की रजिस्ट्रियां हुई ओर एक एक वकील ने दस–दस, बीस–बीस हजार रूपया कमाया क्योंकि यह कहा गया था कि बाप के बराबर ही बच्चों के नाम जमीन हो सकती है इसका रिजल्ट यह हुआ कि धड़ाधड़ एक महीने के अन्दर सारी जमीनें बेटों के नाम हो गई। बिल में अप्वांयटिंग–डे 24 जनवरी, 1971 है। अब देखें, यह चीज क्या शक्ल अख्तियार करती है। जब दावे होंगे तो इन रजिस्ट्रियों का क्या बनेगा? किस तरह से क्लूसिव–सूट के बारे में सोचा जायेगा? मैं एक बात समझ पाया हूं कि जो क्लूसिव सूट है उसका फैसला होने के बाद बाप की जमीन बच्चों को मिलेगी। अडल्ट की भी रहेगी और माइनर की भी रहेगी। जो माइनर बच्चा मदर के साथ मरज होगा उसको यह खदशा रहेगा कि मेजर को 18 एकड़ मिल गई है इसलिये उसको न मिले। लेकिन इसका इम्तियाजी हल क्या होगा? इस बिल के जरिये सरकार मेजर और माइनर में डिस्टिक्शन क्रियेट कर रही है। सरकार को इस खदशे को दूर करना होगा। अगर यह दूर न हुआ तो इसका समाज के ऊपर बुरा असर पड़ेगा, सोसायटी पर बुरा असर पड़ेगा। सन् 1953 में जो बातें हमने देखी हैं, उससे काफी चीजों का पता चलता है। 1952 में जो

एक्ट बना था उसके तहत लोगों को सोशल जस्टिस मिलना था। उसके मुताबिक कोई भी सरप्लस जमीन एक्चुअल तौर पर, सही मायनों में किसी को नहीं मिली। सिर्फ तहसीलदार या एस. डी.एम. जाकर, डोल पर खड़ा होकर दिखा देता था कि यह जमीन है, इसको ले लो। आगे मैं नहीं जा सकता, न थानेदार जा सकता था। यह जमीन है इस पर कब्जा करना है तो कर लो, यह तुम्हारी हिम्मत का सौदा है। जमीन लेने वाला कहता था कि मैं जमीदार के साथ लड़ नहीं सकता और परिणाम यह होता था कि किसी को सही मायनों में जमीन नहीं मिलती थी। मेरा ख्याल है, यही हाल इस बिल में होगा। चेयरमैन साहब, पहले भी हाउस में इस बात का जिक्र आया है कि सरप्लस भूमि मुजारे को नहीं मिलगी। मुझे डर है कि जो मुजारा तीस साल से मुजारा चला आ रहा है वह अब मुजारा नहीं रहेगा। 1953 के ऐक्ट के मुताबिक मुजारा मुजारा था। जो फैमिली 30 एकड़ से ज्यादा की मालिक थी उस पर मुजारा बना हुआ था और उसको ऐक्ट में स्पोर्ट भी दी है। लेकिन इस ''गरीबी हटाओ'' समाजवादी बिल से मुझे खतरा है कि एक आदमी 126 किल्ले जमीन रख सकता है। इन्होंने गहराई से इस बिल को पढ़ा नहीं है, इसके मुताबिक एक आदमी 126 किल्ले जमीन रख सकता है। आप तो 182754 किल्ले की बात करते हैं लेकिन इसके मुताबिक 126 किल्ले रख सकता है। जो मुजारा 30 साल से मुजारा आ रहा है जमीन पर बैठा है, उसको कानून की जद में लेकर बेदखल किया जायेगा, कोर्ट में जाकर बेदखल किया जायेगा। (श्री जगजीत सिंह टिक्का की तरफ से विघ्न) आपके

बच्चे बालिग हैं, मैं देखूंगा .....(विघ्न)..... । चेयरमैंन साहब, टिक्का साहब लैंडलार्ड हैं। वे समझते है कि सारी जमीन जायेगी। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि जमीन नहीं जायेगी, एक इंच इस कानून से नहीं जायेगी। मैं आपके जरिये उनके नोटिस में लाना चाहता हूं कि बेशक वे लैंडलार्ड हैं, शायद दो हजार किल्ले जमीन है या इससे ज्यादा है, इनकी एक इंच जमीन नहीं जायेगी। राजे महाराजे शायद काबू कर लिये जायेंगे। इनको छोड़ कर सारी जमीन यूं की यू रहेगी। आप हरिजनों के नाम से न डरें, न बिदकें, आपकी जमीन पर छापा नहीं है क्योंकि ऐसे ढंग से समाजवाद लाने और गरीबी हटाने वाला बिल लाया गया है, इसको ऐसे ढंग से मोल्ड, फरेम किया है जिससे एक इंच भी जमीन न जाये। यह बिल ऐसे ढंग का है जिसके तहत न हरिजनों को कुछ देना है और न जमींदारों से कुछ लेना है, सिर्फ आपस में टकराते रहेंगे। बिल पास होने के बाद जब ये देहातों में जायेंगे और प्रचार करेंगे, जिनके मन में कोई शक–शुबह है उसको दूर करने के लिये यह प्रचार करेंगे कि जमीन हरिजनों को देंगे। हमें पता है और हरिजनों को भी ऐक्चुअली पता है कि उसको जमीन नहीं मिलेगी। यह तो सिर्फ बहकावा था, बहलावा था। 25 सालों से यही कहते रहे, इसका रिएक्शन यह हुआ – 'खोदा पहाड़ निकला चूहा।' 25 साल से यही कहते रहे कि भाई मेरे पास दो हजार किल्ले जमीन है, मैं 18 एकड़ का मालिक रहूंगा, बाकी हरिजन को मिलनी है। चौधरी फूल चन्द जी एक मिसाल दे रहे थे कि हमारे इलाके में जमीन भी भूख है। खासतौर से जो कम्युनिटी ज्यादा काम

करती है ज्यादा हल चलाने का काम करती है जिनको रमदासिया कहते हैं, उनके दिमाग में नक्शा बना हुआ था कि जमीन देंगे। उनके दिमाग में यह बात थी कि चौ. जगजीवन राम बैठे हैं, वे सारी जमीन को बंटवा कर जायेगें। तो हरियाणा में यह बिल है। बाकी जगहों के, स्टेट्स के बिल भी हमने पढ़े हैं अखबारों के जरिये जिनसे यह साफ जाहिर है कि जमीन का नामोनिशान नहीं। यह तो थोड़े दिनों के लिये भूमि क्रांति को रोकने का साधन है। अब ये बेशक खुश हो रहे हैं। ये इधर बैठने वाले साथी खुशी मनाते रहें कि हम गरीबी को हटाने का बिल पास कर रहे हैं यह हम समाजवाद लाने की बात कर रहे हैं। लेकिन यह बात है नहीं। यदि ये अपने दिल पर या कलेजे पर हाथ रखकर देखें तो ये भी महसूस करेंगे कि जो लोग रोटी से बेजार हैं, रोटी जिनको मिलती नहीं, जिनको काम नहीं मिलता और जो काम करने के लिये मारे–मारे फिरते हैं, दर–दर की ठोकरने खाते हैं, उनको काम नहीं दिया जा रहा है। वे लोग इस बात को कब तक बरदाश्त करेंगे? हम चाहे इधर हो या उधर हों उस वक्त तब बचे रहेंगे जब तक वे मौत से डरते रहेंगे। जिस दिन उन्होंने मौत से डरना बन्द कर दिया उस दिन न ये साहब वहां होंगे और न हम यहां होंगे। चेयरमैंन साहब, इसमें कोई दो रामय नहीं हो सकती कि आज गरीबों को भड़का कर, बहका कर, फुसला कर और इस तरह के कानून का भुलावा देकर चाहे पांच साल हम जिन्दा रहें या दस साल तक और समाजवाद का नाम लेते रहें लेकिन आखिर यह बात रूक नहीं सकती। चेयरमैन साहब आपको पता है कि जिस वक्त

हिन्दुस्तान के आजादी के मतवाले फांसी के तख्ते चूम गये थे, जिस वक्त शहीदे आजम भगत सिंह जैसे बहादुरों ने फांसी के तख्ते चूमे और लाखों नौजवानों ने कुर्बानियां दीं उसके बाद हम आजादी हासिल कर पाये। आजादी के मतवालों के सामने यह नक्शा नहीं था कि देश के अन्दर कौन राज करेगा, किस किस्म की हकूमत आयेगी ओर किस पार्टी की वह होगी। आज जिन लोगौं के हाथों में हकूमत है उनको इस बात को ध्यान में रखकर चलना पड़ेगा। आज अगर गरीबी हटाने की बात, समाजवाद लाने की बात महज गरीबों के साथ मजाक करने की बात है तो वे ज्यादा दिन तक इस बात को नारेबाजी में टाल नहीं सकते बल्कि इनको इस बात को जल्दी ही पूरा करना होगा और समाजवाद को प्रैक्टिकली लाना होगा। उसी प्रकार से, उसी भावना से जिस भावना से देश के नौजवानों ने देश की आजादी के लिये संघर्ष किया था। जिन लोगों के हाथ में ताकत है, जिन लोगों के पास कुर्सी है उन्हें इस भावना को बनाकर चलना पड़ेगा और इस बात को प्रैक्टिकल शेष देनी पड़ेगी। आज तो मजाक की बात है क्योंकि भूखे के साथ भूखा टकराया जा रहा है। बजाय इस बात के कि समाजवाद के नाम से हैवी इंडस्ट्रिज को नैशनेलाईज करते, अर्बन प्रौप्रटी को नैशनेलाईज करते मेहनतकश तबके को आपस में लड़ाने का काम करते रहे। देहात में दो ही तबके हैं, एक तबका मजदूर का और दूसरा तबका किसान का। मजदूर और किसान के अन्दर जब तक आप सारे भारत में फूट डाले रहोगे तब तक आपकी कुर्सी कोई टच नहीं कर सकता क्योंकि यह ऐसा तबका

है जिसको किसी गलतफहमी में डाल कर लड़ा सकते है। अग्रेज यहां पौने दो सौ साल राज इसी बिना पर तो कर गये कि फूट डालो और राज करो। आज इकनौमिक स्टेटस में सुधान करने की बात महज लड़ाने की बात है और महज इसलिये कि गलतफहमी दो मेहनतकश तबकों के अन्दर पैदा करें और राज करें। वे भूल गये इस बात को कि यह बात ज्यादा दिन तक कायम नहीं रह सकेगी।

आखिर असलियत छुप नहीं सकती, सच्चाई छुप नहीं सकती। चेयरमैन साहब, वह दिन दूर नहीं है जब गरीब आदमी इस असलियत को समझेगा और इनको मुंह की खानी पड़ेगी। चीफ मिनिस्टर साहब, सुबह कहते थे कि सूबे के अन्दर कोई फाईनैशियल क्राइसिज नहीं है। हमारे लिये तो यह बड़ी खुशी की बात है लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि फिर सरकारी काम डिसबैंड क्यों? आप, चेयरमैन साहब, हैरान होंगे कि एक एक सब–डिविजन के अन्दर पांच–पांच छः–छः ऐस.डी. ओज बेकार बैठे हुये हैं। उनके पास बिल्कुल काम नहीं हैं।

Mr. Chairman: Please limit yourself to the Bill. This has nothing to do with the Bill under consideration.

श्री अमर सिंह: यह गरीबी की बात है। लैंडलैस लोग भूखे मर रहे हैं। चेयरमैन साहब, आप हैरान होंगे कि एक सब डिविजन में 6 ऐस.डी.ओज पी.डब्ल्यू.डी. (बी.ऐण्ड आर.) के बेकार बैठे हुये हैं। They are sitting in the office and drawing their salary.

इसी तरह अगर कहीं 6 ऐस.डी. ओज बेकार बैठे हैं तो वहां 18 ओवरसीयिर्ज भी बेकार बैठे हैं और सड़कों पर काम डिसबैंड किया हुआ है।

Mr. Chairman: I would again request the Hon. Member to speeak on the Bill.

श्री अमर सिंह: मैं बिल पर ही आ रहा हूं, चेयरमैन साहब। मैं कह रहा था, चेयरमैन साहब, कि इन्होंने हटाये वे आदमी जिनका समाजवाद और इस बिल से सीधा कंसर्न है, जिसके लिये बिल पास करके जमीन देने की बात कर रहे हैं। वे अढ़ाई तीन लाख आदमी (औरत और मर्द) जो अढ़ाई रूपये और तीन रूपये मजदूरी लेकर सड़क पर काम करके गुजारा करते थे। वे आज बेकार हैं। बाकी मैटीरियल सड़क पर पड़ा हुआ है और ऐस.डी. ओज यों बैठे हुये हैं। अगर वे ऐस.डी. ओज को हटाते तो मैं समझता कि इन्होंने सचमुच कुछ इकौनौमी की। केवल मजदूरों को हटाकर के, और वह भी जमीन की तरफ आकर्षित करने के लिये, इन्होंने कोई अच्छा काम नहीं किया। देहात के अन्दर अगर एक बड़ा गांव है और उसके अन्दर यदि 100 घर हैं हरिजनों के तो उसमें दो तीन कैटेगरीज के लोग आमतौर पर पाये जाते हैं, जैसे बाल्मीकी, धानक और चमार। अगर वहां कुलैक्टिवली स्माल स्केल इंडस्ट्री के तौर पर कोई काटेज इंडस्ट्री जैसे जूता बनाने की फैक्टरी है जिसमें 150 आदमी काम कर सकें या कपडा बुनने की फैक्टरी है जिसमें 150 के करीब आदमी ही काम करें, 150 रूपया ओर पौने दो सौ रूपया प्रत्येक को मिलता रहे, उनका जो प्रोडक्शन

हो उसकी सिक्योरिटी हो, जैसे मुल्क के अन्दर बिरला का कपड़ा बिकला है, डालमिया का कपड़ा बिकता है और दूसरा कपड़ा बिकता है उस पर रिस्ट्रिक्शन हो कि इतना परसैन्ट खरीदना पड़ेगा, इतनी ड्यूटी माफ होगी तो वह आदमी जिसको देहात में जमीन के साथ मोह होता जा रहा है वह आराम से अपना जीवन बसर कर सकेगा। आज क्यों आंखें लगी हुई हैं जमीन की तरफ सारे देश की? इसलिये आंखे लगी हुई हैं, चेयरमैन साहब, कि देहात के अन्दर रोटी का साधन जमीन के साथ जुड गया है और कोई रास्ता रहा नहीं है। महात्मा गांधी ने जवाहरलाल नेहरू को बताया था कि अगर देहात के अन्दर देहात की इकौनौमिक स्थिति को ठीक करना चाहते हो तो लाजमी तौर पर वहां स्माल स्केल इंडस्ट्रिज प्रोवाईड करनी होगी। जब तक स्माल स्केल इंडस्ट्रीज नहीं लगायेगे उस वक्त तक देहात की इकौनौमी ठीक नहीं हो सकती, हमारे देहात का और हिन्दुस्तान का सुधान नहीं हो सकता। वह बात ये भूल गये हैं। आजादी के 25 साल बाद भी हमारी आर्थिक हालत बद से बदतरीन हो गई है। आज 22 करोड़ के करीब देश के अन्दर ऐसे लोगो हैं जिनकी 20 रूपये से भी कम आमदनी है और अढ़ाई तीन करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्हें यदि सुबह नहीं मिलती। जब हालत ऐसी हो गई है तो इस बात पर विचार हुआ कि समाज को क्या कदम उठाना चाहिये। फैसला किया गया कि लैंड सीलिंग होनी चाहिये, राश नग आफ लैंड होनी चाहिये। देहात के अन्दर लोग बेचैन थे और खुश थे कि हम भी जमीदार बनेंगे। वे जमीदार तो बने नहीं लेकिन उनकी

गल्तफहमी जरूर दूर कर दी सरकार ने। मैं तो इसलिये समर्थन करता हूं इस सरकार का कि कम से कम उन्होंने गल्तफहमी हमारी दूर कर दी। .....(व्यवधान)...... मुदत से जो गलतफहमी थी वह गलतफहमी दूर हो गई। हमारे मोहतरिम मिनिस्टर साहब जो हरिजन मिनिस्टर हैं अब कार में बैठकर के जमीन लेकर जायेंगे देहात के अन्दर। किस तरह से ये बांट के आयेंगे और क्या ये लोगों को बतायेंगे यह तो ये स्वयं ही जानते हैं। (इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुये) .....व्यवधान.....

श्री अध्यक्षः चौधरी साहब, बहुत समय हो गया है। आपको बोलते हुये 50 मिनट से ऊपर हो गये हैं। अभी और लोगों ने भी बोलना है।

श्री अमर सिंहः स्पीकर साहब, मैं पचास मिनट तो बोला नहीं लेकिन अगर आप कहें तो मैं बैठ सकता हूं। वैसे स्पीकर साहब, आपकी कांस्टिचुयेंसी और अपनी कांस्टिचुयेंसी की तरफ तो अभी तक मैं आया ही नहीं। अभी तो मैंने भिवानी की मिल और उसके बन्दोबस्त के बाबत भी बताना है।

श्री अध्यक्षः काफी समय हो गया है। अपर्चुनिटी सबको मिलनी चाहिये। बस अब आप ज्यादा से ज्यादा दो मिनट तक बोलें।

श्री अमर सिंहः आपका हुक्म तो मानना ही पड़ेगा। स्पीकर साहब, जैसे कि यहां पर लैंड सीलिंग के बारे में जिक्र आ रहा है, उसका आपको पता ही है। भिवानी, लोहारू का इलाका बवानीखेड़े के साथ ही मिलता हुआ है। यह सारा एरिया

राजस्थान से मिलता–जुलता है। इसके अन्दर काफी मुदत से अर्थात् दो–तीन महीने से हमारे साथ ज्यादती हो रही है। सुन्दर ब्रांच पैरीनियल नहर का पानी जुई की नौन–पैरीनियल नहर को दिया जा रहा है। हमें इस बात से कोई गिता शिकवा नहीं कि क्यों डाला जा रहा है। सुन्दर ब्रांच तो एक पैरीनियल नहर है और जुई कैनाल एक नौन–पैरीनियल है इसलिये उसमें नहीं डाला जा सकता है। अगर पानी फालतू हो तो डाल दिया जाये लेकिन जो हमारे हिस्से का पानी है वह तो हमें मिलना चाहिये। ऐसा करके हमारे साथ सरासर ज्यादती की जा रही है। दूसरे इस बिल के अन्दर हांसी तहसील के सारे एरिया को अश्योर्ड इरीगेशन यानी दो फसलें देने वाला लिखा है। इस बारे में मेरी आपसे गुजारिश है कि हांसी तहसील के एरिया की वैल्युएशन दुबारा की जाये। वैसे मे। इस लैंड सीलिंग बिल की पुरजोर हिमायत करता हूं। लेकिन एक दो बातों के बारे में खदशा है। एक तो यह है कि फैमिली के अन्दर जो माइनर की डिसटियशन है वह नहीं होनी चाहिये और जो भी सरपलस भूमि है एज इट इज इस बिल के तहत आ सकती है वह आनी चाहिये। जो जमीन अलग–अलग फैली हुई है वह एक जगह इकट्‌ठी की जानी चाहिये, अलग–अलग फैली हुई जमीन का कोढ लाभ नहीं हो सकता है। वह यूजलैस है। इस बात के लिये मैं इस बिल की सपोर्ट नहीं करूंगा। जिस तरह से सन् 1953 में जो जमीनें सरप्लस ऐक्ट के तहत आयीं उनका कोई लाभ नहीं हो सका। इसी तरह से जो इस बिल के तहत आ गई हैं, अगर वे भी इसी तरह से टुकड़ों के रूप में हुई तो उससे

ज्यादा मकसद पूरा नहीं होगा। अन्त में आपका शुक्रिया अदा करता हूं और यह जो एक झलक है, यह समाजवाद लाने और गरीबी को हटाने का पथ प्रदर्शन करेगी। यह तो जरूर है कि गरीबों को जो इस बिल से आशायें थीं वे चूंकि इससे पूरी नहीं हो सकेगी इसलिए उनकी बढ़ती हुई ख्वाहिशों को पूरा करने के लिये कोई रास्ता तलाश करना पड़ेगा।

चौ. मेहर चन्द (बड़ौपल): स्पीकर साहब, सीलिंग का जमाना है। जमाने के मुताबिक हमें भी चलना चाहिये। यह बहुत जरूरी है। मैं तो यह कहूंगा कि इस बिल पर ज्यादा बहस नहीं होनी चाहिये। आज जमाने की रफ्तार बदल गयी है। मैं यह कहूंगाः–

''लीडराने वतन का सागरो पैमाना बदल गया।

हम भी बदल जायें कि जमाना बदल गया।।''

आज के जमाने की रविश को देखिये, वह बदल चुकी है। आप भले ही सरमायादारी को स्पोर्ट करें लेकिन जमाने की रफ्तार को देखते हुये स्पोर्ट करने का कोई फायदा नहीं है। चौ. हरद्वारी लाल की इस बात से तो मैं सहमत नहीं हूं कि सीलिंग नहीं होनी चाहिये लेकिन एक बात से सहमत हूं कि जो बड़े–बड़े मगरमच्छ हैं उन पर सीलिंग जरूर आयद

होनी चाहिये। उनकी इस बात के लिये मैं तारीफ करता हूं और पुरजोर लफ्जों में हिमायत करता हूं।

इसके अलावा अब जमाने का नया राग है। जैसा कि किसी ने कहा है:—

''नया राग है साज बदले गये,

जमाने के अनदाज बदले गये।''

अब सवाल यह है कि सरमायेदारी को चैक कौन करेगा? यह बात नहीं कि चेक नहीं हो सकता। सरमायेदारी के खिलाफ एक तूफान आया है। हमें भी उसके साथ चलना पड़ेगा। सरमायेदारों की बहुत भारी भूल है अगर वे जमाने के साथ नहीं चलते हैं। उनको जमाने के साथ चलना चाहिये। आजकल के जामने में ये गरीबों की असमत लूटते हैं, उनका खून चूसते हैं। किसी ने ठीक ही कहा है:—

''ये गैरत छीन लेती है, अहमियत छीन लेती है।

यह इन्सानों से इन्सानों की फितरत छीन लेती है।''

इसलिये हमें इन सरमायादारों का मुकाबला करना पड़ेगा और मैं सरकार को दाद देता हूं कि वह इस बिल को

लाई है। मैं तो यह कहूंगा कि सरकार इस सीलिंग के बिल को लेट लाई है, यह तो पहले ही आना चाहिये था। मैं सरकार को दाद देता हूं कि उसने सोशलिज्म की तरफ कदम उठाया है। Ceiling is a positive step, towards socialism. इस वास्ते मैं तो यह कहूंगा कि हरेक चीज नी सीलिंग लानी निहायत जरूरी है। आज आदमी यह महसूस करता है। हरेक आदमी अपने दिल को टटोले। जैसा कि किसी ने कहा हैः–

''खुम के खुम पिये कोई, कोई मुंतजर हो एक जाम का।''

किसी के पास तो दौलत बेशुमार है। कहीं एक आदमी के तन पर भी कपड़ा नहीं मिलता है, रोटी खाने को नहीं मिलती है, मकान का तो सवाल ही क्या है? आज गरीब आदमी महसूस करता है कि वह भी सबके बराबर हो। वह चाहता है कि जमीन में भी बराबरी हो, हर चीज में बराबरी हो। क्या वह इन्सान नहीं है? वह भी आखित इन्सान है वह क्यों महरूम रहे। यह बात गलत है कि एक आदमी इतना दौलतमन्द हो और दूसरा इतना गरीब रहे। दौलत की तकसीम ठीक तरीके से होनी निहायत जरूरी है। मैं आपके जरिये सरकार से इल्तजा करूंगा कि लैंड सीलिंग तेा आ ही गई है इसके साथ ही साथ इकोनोमिक इक्वैलिटी भी सही मायने में लानी चाहिये। जो शुगर मिल्ज हैं, वे भी नेशनलाइज होने चाहिये। इसी तरीके से टैक्सटाइल मिल्ज भी नैशनलाइज करने जरूरी हैं। ....(विघ्न)......

श्री अध्यक्ष: चौधरी साहब, आप उनकी ओर ध्यान ही क्यों देते हैं। आप अपनी स्पीच जारी रखें।

चौ. मेहर चन्द: स्पीकर साहब, आप इनको बन्द क्यों नहीं करते हो? जब ये बोल रहे थे तो मैंने इनकी स्पीच के दौरान कोई दखल नहीं दिया तो ये अब क्यों दखल दे रहे है? मैं सारी बातें खुद कह दूंगा। मुझे सब बातों का पता है। स्पीकर साहब, मैं एक बात और भी कहना चाहता हूं। वह बात सरकार को अखरेगी जरूर। मैं यह कहना चाहता हूं कि शुगर मिल्ज और टैक्सटाइल मिल्ज तो नैशनललाइज होने ही चाहियें साथ ही जितने सिनेमे हैं वे भी नैशनलाइज होने जरूरी हैं। जिस तरह से सरकार ने ट्रांसपोर्ट को नैशनलाईज किया है उसी तरह से सिनेमे भी किये जाने चाहियें। मैं दावे के साथ कहता और रिसपौसिबिलिटी लेता हूं, कि जितने भी सिनेमे हैं वे सब ब्लैकमनी से बने हैं और अब जो बन रहे हैं वे भी ब्लैक मनी से बन रहे हैं।

एक बात चौ. हरद्वारी लाल जो ने कही कि सीलिंग नहीं होनी चाहिये। उन्होंने एश्योई इरीगेशन ओर दो फसली की बात कही है। इसके बारे में तो गवर्नमैंट ने कहा है कि क्लासिफिकेशन से डिसाइड करेंगे। यह चीज सैक्शन फोर में आई है, गवर्नमैंट अन्डर रूल्ज करेगी। मेरे भाई चौ. अमर सिंह जी ने भी एक बात कही कि इस बिल में जो टेबल दे रखी है उसमें एक फसली या दो फसली का जिक्र नहीं किया है। सीलिंग का इस टेबल से कोई कुनैक्शन नहीं है टेबल सिर्फ कम्पनसेशन से रीलेट करती है। सीलिग जो फिक्स होगी वह

क्लासिफिकेशन आफ लैंड से होगी। उसके लिये सरकार रूल फ्रेम करेगी। उन्होंने शायद यह भी कहा कि चौ. हरद्वारी लाल जी इस बिल को पूरी तरह से पढ़ रक नहीं आये। मैं तो यह कहूंगा कि चौ. अमर सिंह जी ही पूरी तरह से पढ़ कर नहीं आये है। चौ. अमर सिंह जी ने तो कहीं से फिग्र्ज इक्ट्ठी कर लीं और यहां पर पढ़ दीं। उनको सिर्फ बोलने से मतलब है। स्पीकर साहब, आपकी मार्फत मैं चौ. हरद्वारी लाल जी से एक बात कहना चाहता हूं जो उन्होंने कही कि गरीबों के दिल से गरीबी की बात दूर करनी है। उनको यह बात मालूम होनी चाहिये कि गरीब आदमी आज यह महसूस करता है:–

''मिलते हों रोज जामा व नान जिनको

रहने का हो सुन्दर मकान जिनको।

वो पैकरे अशोतरफ गुरबत के अजाब क्या जाने''

स्पीकर साहब, इसके अलावा दो–चार बातें मैं और कहना चाहता हूं। कानून बनाना एक और बात है और कानून को लागू करना एक दूसरी बात है। मैं यह कहना चाहूंगा कि यह जो सीलिंग का बिल आया है इसका असली मकसद तो उसी रोज हल होगा जब इसकी ठी तरह से इम्पलीमैंटैशन होगी। मैं आपकी मारफत सरकार से यह अपील करना चाहता हूं कि वह इसकी इम्पलीमैंटेशन को निगलैक्ट न करे। अगर इस

बिल की इम्पलीमैंटेशन निगलैक्ट हो गई तो इसका बहुत बुरा असर होगा। यहां पर 1955 के पैप्सू ऐक्ट का और 1953 के पंजाब के ऐक्ट का रैफरैन्स दिया गया है। उनमें लैंडलार्ड और टेनैन्टस के मुताबिक जो सुझाव थे वह ठीक थे लेकिन उनका क्या हुआ? उन ऐक्ट्स की प्रौपर इम्पलीमैंटेशन नहीं हुई। कानून बता तो दिये जाते हैं लेकिन उनकी ठीक इम्पलीमैंटेशन की तरफ ठीक ध्यान नहीं दिया जाता। इसलिये मेरी प्रार्थना यह है कि इस ऐक्ट की इम्पलीमैंटेशन की तरफ हरियाणा सरकार अवश्य ध्यान दे। मैं इस बात की बार–बार हरियाणा सरकार से विनती करूंगा कि इस ऐक्ट के बनाने की तरफ उसने जितना ध्यान दिया है उससे कही ज्यादा दुगना ध्यान इसकी इम्पलीमैंटेंशन की तरफ होना चाहिये। लैंड सीलिंग की जहां पर बात आती है, उस बारे में मैं दो–चार बातें निहायत ही लाजमी समझता हूं। लैंड सींलिंग का बाबत तो मैं पहले ही कह चुका हूं कि मैं इसका वैलकम करता हूं और तहेदिली से वैलकम करता हूं। इसके साथ ही जहां मैं इसका वैलकम करता हूं वहीं हरियाणा सरकार से आपकी मार्फत एक दो बातें और कहूंगा। लैंड सीलिंग का बिल आ जाये, यह ठीक है लेकिन लैंड सीलिंग का बिल लाने के बाद सरकार अपनी जिम्मेदारी मत भूले। सरकार को आनी जिम्मेदारी का पूरा अहसास होना चाहिये। वह अहसास किस चीज का होना चाहिए। इसे सिचाई का इन्तजाम बिल्कुल माकूल करना चाहिये। इस सरकार द्वारा जहां लैड की लिमिट को कम किया जा रहा है वहां मैं कहूंगा कि एक किसान को सिचाई क पूरे साधन देने चाहिये। अगर उसे सिचाई के पूरे

साधन नहीं मिलेंगे तो यह उसके साथ एक जुल्म की बात होगी। लैड सीलिंग के साथ–साथ मैं यह समझता हूं कि फर्टीलाइजर की जो डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है, जो पर्टीलाइजर किसान को दिया जाता है, उसकी कीमत बहुत ज्यादा है। यह सरकार की डयूटी बनती है कि अगर प्रोडक्शन को इन्क्रीज करना है, तो उसे खाद सबसिडाइजड रेट पर दे। प्रोडक्शन में इन्क्रीज करना एक बहुत जरूरी चीज है और होनी भी चाहियें। लेकिन एक तरफ तो आप लैंड के ऊपर सीलिंग लगा देते हैं और दूसरी तरफ पर्टीलाइजर की कीमत को बढ़ा देते हैं। कौन सा किसान है जो फर्टीलाइजर की कीमत को बर्दाश्त कर सकेगा? मैं हरियाणा सरकार से विनती करूंगा कि उसकी इस बात पर तवज्जुह होनी चाहिये कि जो फर्टीलाइजर है, वह उसे सबसिडाइजड रेट पर तकसीम हो। इसी तरह से जो बेहतरीन सीडज हैं, वे भी सबसिडाइज्ड रेट पर मिलने चाहियें। यह नहीं होना चाहिये कि ऐग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी से या सैट्रल रिसर्च इस्टीच्यूट दिल्ली से एक–एक किलो की थैली लाये और उसका भाव पूछो तो तीन सौ रूपये। यह भाव किसान नहीं दे सकता। इसलिये यह सरकार की डयूटी है और उसे चाहिये कि वह किसान को बेहतरीन सीडज, रीजनेबल प्राईस पर दिलाये। मैं सरकार से एक बार फिर अपील करूंगा कि उसका ध्यान इस तरफ अवश्य होना चाहिये। स्पीकर साहब, एक बात ओर बहुत जरूरी है जो मैं हरियाणा सरकार से कहने लगा हूं और वह यह है कि फाइनैन्स डिपार्टमैंट ने एक तरीका अपना रखा है। ...(व्यवधान)..... लैंड सीलिंग के मुताल्लिक है, इस विषय से बाहर

नहीं जाऊंगा। उसन9 तरीका यह अपना रखा है कि जो भी स्कीम उसके पास जायेगी उसी पर वह लिख देगा कि यह स्कीम इकौनोमीकली साउन्ड नहीं है। मैं आपकी मार्फत सरकार से यह कहूंगा कि हमें इस तरह के ब्यूरोंक्रेसी के पंजों से बचाइये। आप एक पालिसी बनाइये कि यह जो इरीगेशन की स्कीमें हैं, यह कौमर्शियल नहीं है। हरियाणा सरकार को यह आनउन्समैंट कर देनी चाहिये ताकि ऐसा न हो कि हम छोटे–छोटे माईनर्ज के लिये कहीं अन्डर सैक्रेट्री के पास जाते फिरें, फिर डिप्टी सैक्रेट्री के तलुवे चाटें और फिर सैक्रेट्री साहब को सलाम करें और इस सबके बावजूद भी वह स्कीमें नामन्जूर होती चली जायें। अगर ऐस ही चलता रहा तो फिर इरीगेशन कहा मिलेगी? यह सब बातें ख्याली रह जायेंगी। अगर हमने प्रोडक्शन इन्क्रीज करनी है तो हमें यह कौमर्शियल टिन्ज जो इसे दी गई है, यह मिटा देनी चाहिये। जब हम यह कहते हैं कि हमने किसान को पानी देना है तो हमें सही मायनों में उसे पानी देना भी चाहिये। मैं यह समझता हूं कि हम उनके लिये पानी के दरिया तो नहीं बहा सकते, हमारे से पहले लोग यह कहा करते थे जब वोटें मांगा करते थे कि हरिया भी ला दूंगा, यह भी कर दूंगा, वह भी कर दूंगा और पता नहीं क्या–क्या कर दूंगा, वह बात तो गल्त है लेकिन जो पानी अवेलेबल है उसके सही इस्तेमाल के लिये लाइनिंग आफ चैनल्ज होनी चाहिये। पानी के सही डिस्ट्रीब्यूशन के लिये नये–नये माईनर निकालें, जो हैं उनकी ऐक्सटेंशन करें, कम से कम ऐसा तो होना ही चाहिये। अगर उनके ऊपरभी यह चीज लागू हो जाये कि यह

कौमर्शियल है इसलिये नहीं हो सकती तब तो हमारा खुदा ही हाफिज होगा। मैं यह बात जरूर कहूंगा। इसके अलावा मैं एक बात ओर भी कहूंगा औरवह यह है कि इस बिल के अन्दर, गो मुझे पता नहीं, शायद मैं गल्त भी होऊ, इस बिल की क्लाज 4(4) में यह लिखा हुआ है कि लैंउ पर सीलिंग मुकर्रर करने के लिये गवर्नमैंट रूल्ज बनायेगी, सरकार से इसके बारे में मैं एक क्लैरिफिकेशन चाहूंगा। जिस किस्म का मेरा आईडिया है अगर वह बात है तब तो बिल्कुल ठीक है, अगर नहीं है तो फिर तरमीम की जरूरत है। मैं क्लैरिफिकेशन यह चाहूंगा कि: What will be the relevant date to determine the classification of land for the purpose of ceiling? I purpose it iwll initially be 24^{th} January, 1971 and also at any time thereafter as mentioned in clause 9(1) of the Bill. अगर मेरी प्रिजम्पशन कोरैक्ट है तब फिर मुझे इन दोनों क्लाजिज 9(1) और 4(1) के मुताल्लिक कुछ नहीं करना है। 9(1) तो क्लीयर है ही लेकिन अगर मेरी प्रिजम्पशन ठीक है तो 4(4) भी ठीक है। मैंने तकरीर शुरू भी एक छोटे से शेर से की थी और खत्म भी एक दोटे से शेर से करना चाहता हूं। मैं लम्बी चौड़ी बातों में यकीन नहीं रखता। मैं तो यह समझता हूं कि यदि कुछ कहना ही है तो कुछ सच्ची बात कहें, कोई बुरा मनाये तो मनाता रहे, किसी को पसन्द आये तो अपना ले, किसी की बुराई मत की जाये लेकिन सच्ची बात कहने से गुरेज नहीं होनी चाहिये, आपमें यह बात अवश्य होनी चाहिये। आखिर में मैं एक बात इस हाउस से कहूंगा:

''खरीदा कर मिलें जितनी दुआयें नातवानों की।

किया कर हो सके जितनी दस्तगीरी नीम जानों की।''

श्री अध्यक्षः आप सद दाद तो दिया करें ....(वाह.... वाह)

चौ. मेहर चन्दः स्पीकर साहब, एक और शेर कह कर मैं अपना स्थान लेता हूंः

''तसावीरे कुहन अब कौन देखे दिल के पर्दे में

नये चेहरे नजर आते हैं अब मुस्तिक दिल के पर्दे में।''

........(वाह....वाह)........................

श्री जगजीत सिंह टिक्का (नारायणगढ): स्पीकर साहब, आज हरियाणा सरकार जी लैंड सीलिंग का बिल लाई है, मुझे पूरी उम्मीद है कि इसको पास हो जाना चाहिये। हरियाणा स्टेट देश की पहली स्टेट होगी जहां कि लैंड सीलिंग का बिल सबसे पहले पास होगा। दूसरी स्टेट्स में अभी पूरी तरह से इसको इम्पलीमैंट नहीं किया जा सका है क्योंकि कई जगहों पर

इसको वापिस भेज दिया है। अखबारों ने भी यही लिखा है कि देश में यह पहली स्टेट होगी जहां पर किस यह बिल सबसे पहले पास होगा। यह बड़ी अच्छी बात है कि इस तरह का बिल यहां आया है। एक तरह से यह सोशलिज्म की तरफ ऐ कदम है जोकि इस बिल को लाने से उठाया जा रहा है। यह वह बिल है जिससे अमीरों और गरीबों के बीच जो एक गैंप है वह दूर होगा अगर दूर भी नहीं होगा तो, कम से कम, कम तो अवश्य होगा। अभी यह बिल देहात में जो अमीर ओर गरीब लोग रहते हैं उनके गैंप को दूर करने के लिये लाया गया है और मुझे आशा है कि शहरों में जो लोग रहते हैं उनके लिये भी एक बिल जल्दी ही आयेगा। अभी मेरे दोस्त श्री अमर सिंह ने मेरा नाम लेकर कहा कि शायद मैं इसका शिकर हूंगा और मेरी जमीन भी जाये। ठीक है देश की हालत और वक्त को देखते हुये वह जरूर जानी चाहिये। इसमें कोई जमीन से प्यार की बात नहीं है। मैंने तो 1965 में जब मैं एम.एल.ए. था उस वक्त असेम्बली के अन्दर स्पीच दी थी और उसमें कहा था कि जो अमीर और गरीब में फर्क है इसको दूर किया जाना चाहिये और सीलिंग आफ इन्कम कर दी जाये और मैं अब भी चाहता हूं कि सीलिंग आफ इनकम हो। आज अमीरी ओर गीरबी के अन्तर को मिटाने के लिये इससे बेहतर कोई इलाज नहीं है। यह कर दिया जाये कि सिकी के पास इससे ज्यादा इन्कम न हो। मैं तो फिर यही कहूंगा कि प्रोडक्शन बढ़ाने और कमाने की पूरी छूट होनी चाहिये और सीलिंग आफ इन्कम होनी चाहिये। ऐसा न हो जैसे कहा जाता है कि ज्यादा इन्कम टैक्स लगाओं और इन्कम

पर सीलिंग न हो। अभी मेहर चन्द जी ने काह कि जितने सिनेमा हैं, कोल्ड स्टोरेज हैं ये ब्लैक मनी से बने हैं। तो यह इन्कम पर सीलिंग कहां हुई? अगर वह नहीं होती है तो फायदा क्या हुआ? जब पूरी तरह इन्कम पर सीलिग हो जायेगी तो किसी को ग्रज नहीं रहेगी कि उसके पास ज्यादा पैसा है और मेरे पास नहीं है। हम सोशलिज्म की तरफ जा रहे हैं। इस बिल का जो मकसद है वह भी यही है कि किसी तरह से अमीरी और गरीबी का अन्तर कम हो। कुछ भाइयों ने कहा कि यह नहीं आना चाहिये था, यह तो आया है अच्छा नहीं है। लेकिन इसमें दो–चार बातें ऐसी हैं जो मैंने नोट की हैं और जिनके बारे में थोड़ा सा शक–शुबह है। उनके मुताल्लिक मैं सरकार से कहूंगा कि उनको दूर करना चाहिये। मैं खासतौर से दो–तीन बातों की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। एक तो यह है कि इस बिल के अन्दर जो परमीसिबल एरिया हे वह जब डिक्लेयर्ड हो जाता है और किसी के पास एक फसली जमीन है वह मेहनत करके, ट्यूबवैल लगाकर उसको इम्प्रूव कर लेता है और दो फसली बना लेता है या किसी के पास बारानी जमीन है वह उसको इम्प्रूव कर लेता है तो इस बिल में इसका कोई जिक्र नहीं है कि वह सीलिंग से सेफ रहेगी या नहीं। ऐसा न हो कि उसने तो मेहनत करके, पैसा खर्च करके इम्प्रूव किया और फिर जमीन उसके पास से ले ली जाये। मैं तो कहूंगा कि बिल में ऐसा प्रोविजन होना चाहिये कि अगर कोई अपनी जमीन का डिवैल्पमैंट कर लेता है तो उसको कोई रोक नहीं है ओर उससे जमीन ली नहीं जायेगी वरना जहां सरकारी ट्यूबवैल भी लगे हैं

वहां लोग कह देंगे कि पानी नहीं चाहिये क्योंकि उनको डार होगा कि कहीं वह जमीन चली न जाये।

दूसरी बात यह है कि जो सैपरेट यूनिट की बात कही गई है उसमें कहा गया है कि सैपरेट यूनिट को अगल जमीन देंगे। इसमें है कि जो लड़के सैपरेट यूनिट होंगे उनको तो देंगे लेकिन अगर लड़की हो तो सैपरेट यूनिट नहीं होगा। जब लड़के और लड़की का हक बराबर है और खासकर अब तो हमारे संविधान में लड़के और लड़की दोनों बराबर हैं तो जब लड़का सैपरेट यूनिट हो सकता है तो लड़की क्यों नहीं? अगर लड़के की डैथ हो जाती है तो उसकी विधवा को जमीन मिलेगी लेकिन अगर लड़की विड़ो है उसके सम्बन्ध में कुछ नहीं है। यह बात कही जा सकती है कि लड़की विडो जहां की है वह उस फैमिली में जमीन ले लेकिन अगर उस फैमिली में जमीन नहीं है या वहां पर उसको सुसराल में ठीक बर्ताव नहीं करते तो उसको वहां जमीन नहीं मिलेगी। इस तरह से उस लड़की को काफी परेशानी होगी। इस बारे में मैं चाहूंगा कि इसको क्लीयर किया जाये। जिन लोगों के पास जमीन नहीं है या जो गरीब आदमी है, तो इस लैंड सीलिंग से जो जमीन सरप्लस होगी, इस बारे में भी सरकार क्लीयर करे कि जमीन देने के समय उनका ख्याल रखा जायेगा ओर उनको भी उससे लाभ होगा। फील्ड फायरिंग रेंज की जो स्कीम है उसकी वजह से हमारे इलाके के दस–बारह हजार लोग उजड़ जायेंगे। स्पीकर साहब, मे। आपकी मारफत सरकार से कहना चाहता हूं कि वह इन लोगों की तकलीफ को दूर करने का पूरा ख्याल रखेंगे।

अगर इस तरह किया जाये जैसा कि हिमाचल सरकार ने किया कि जो लोग उजड़े पहले उनको जमीन दे दी, उनको बसाया। इसी तरह चंडीगढ़ में भी किया गया था कि उजड़ने वालों को पहले जमीन देकर बसा दिया गया। मुझे आशा है कि चीफ मिनिस्टर साहब इस बात का ख्याल रखेंगे। क्या ही अच्छा होता अगर इस बिल में उनका भी नाम होता कि जो सरप्लस लैंड होगी उसमें से उनकी भी जमीन दी जायेगी। वे तो बिल्कुल तबाह हो जायेंगे। वहां पर जो जमीन की मार्किट वैल्यू है वह बहुत कम है। आजकल के जमाने में भी हमारे एरिया की जमीन की मार्किट वैल्यू है वह बहुत कम है। आजकल के जमाने में भी हमारे एरिया की जमीन की इतनी ज्यादा कीमत नहीं है और वह 250–300 रूपये एकड़ से ज्यादा नहीं बैठती। मोरनी जैसी जगह से तो आने जाने में ही इतना खर्चा हो जायेगा।

इस तरह से मैं अपनी गवर्नमैंट से और अगर अपनी गवर्नमैंट न करे तो भारत सरकार से आपकी मारफत यह कहूंगा कि जिस तरह का लैंड सीलिंग बिल आया है उसी तरह का अर्बन सीलिंग बिल आना चाहिये ओर उसमें भी कम से कम मैं चाहूंगा कि जितना फर्क लैंडलैस और लैड ओनर में इस बिल में रखा जा रहा है उतना ही फर्क उसकी प्राइस के मुताबिक वहां भी प्रापर्टी–लैस और प्रापर्टी–ओनर में भी रखा जाये। इस बिल के अन्दर जिस किसान ने बाग लगा रखा है उसमें यह तो कर दिया है कि वह बाग की जमीन बारानी तसव्वर की जायेगी लेकिन ऐग्जम्पशन नहीं दी गई है। इसी तरह से जब अर्बन प्रापर्टी वाला बिल आये उसमें भी जिन लोगों के पास कोल्ड

स्टोरेज हैं, सिनेमाज हैं उनको भी इनसे छूट नहीं होनी चाहिये जिससे कि ज्यादा फर्क न रहे। स्पीकर साहब, आपकी मारफत सरकार से दुबारा प्रार्थना करूंगा कि लोगों के फ्यूचर डिवैल्पमैंट के मुताल्लिक ख्याल रखें। लोगों को कम से कम परेशानी हो। क्योंकि अगर वे परेशान होंगे तो इससे हमारे प्रदेश की प्रोडक्शन पर असर पड़ सकता है। जो डिवैल्पमैंट है वह एक तरह से बन्द हो जायेगी। जब लोग डिवैल्पमैंट करेंगे नहीं तो उसका नुक्सान हमारी स्टेट को भी पहुंचेगा और नेशन को भी एज ए होल नुक्सान पहुंचेगा। इसके अलावा एक चीज और है कि जो जमीनें बिकी हैं वह बहुत सारी हरिजनों ने, गरीब लोगों ने या जो लैंडलैस थे उन्होंने खरीदी हैं। इसलिये मैं अपनी सरकार से गुजारिश करूंगा कि जो इस किस्म के लोगों ने जमीनें खरीदीं हैं उनको सरकार को जरूर जैनुअन करार देना चाहिये, लेकिन अगर किसी ने बोगस ट्रांसफर की हो ता उसको बेशक न माना जाये लेकिन जो जैनूअन सेल हुई हैं उनको जरूर माना जाना चाहिये। बस मैं इतनी प्रार्थना करके अपना स्थान लेता हूं।

चौ. प्रताप सिंह दौलता (बेरी): अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल को बैलकम करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मुझे डिस्अपांयटमैंट यह है कि जितनी ऐक्पैक्टेशन थी वह तो शायद इससे पूरी न हो सके लेकिन जितना बेहतरीन बिल हमारी हरियाणा असैंबली पास करने चली है, मैंने सारा कम्पैरीजन जो तमाम स्टेट्स से इस बिल का किया है वह मेरे पास है और अगर टाईम मिला तो मैं कम्पेयर करूंगा, इससे बेहतरीन बिल

किसी भी लैजिस्लेचर में पेश नहीं हुआ और पास तो होना ही क्या था। स्पीकर साहब, बात यह है कि यह एक बड़ी गलतफहमी चली आ रही है कि लैंड रिफार्मज में जो पार्टीज हैं वे हरिजन और कास्ट हिन्दूज हैं। ठीक है हरिजनों के साथ समाज बड़ा जुल्म करता आया है, ऐसा कभी किसी के साथ जुल्म नहीं हुआ, उनके साथ इन्साफ होना चाहिये इस बात में किसी की दो राय नहीं हो सकती। लैंड रिफार्मज में जिन आर्टीकल्ज के मातहत आप यह बिल पास करने चले हैं याय रखिये कि यह हमारे फण्डामैंटल राईट्स जो हैं कांस्टीच्यूशन में दिये हुये आर्टीकल 31 ओर 31 से आगे चल कर उनकी एक्सैप्शन है। हमारे विधान के तहत हर आदमी को हक है कि वह प्रौपर्टी रखे लेकिन यह जो हम कानून बनाने चले हैं यह फण्डामैंटल राईट्स पर ऐंक्रोचमैंट करनी है ओर वह हम कर सकते हैं लैंड रिफार्मज ऐक्ट के तहत जो कि डायरैक्टिव प्रिंसीपल्ज के नीचे आते हैं। डायरैक्टिव प्रिसीपल्ज में जो प्रिसीपल है उसमें जहां लैंड रिफार्मज आती है उसमें पार्टीज जो हैं उनमें पहली पार्टी है लैंडलार्ड और टैनैंट्स, हरिजन बड़ी अचछी चीज है लेकिन वे बाद में आते है। उसको आप कहीं से फायदा दे दीजिये, बैंको पर कब्जा करके दे दीजिये, या कारखानों को नैशनलाईज करके दे दीजिये मुझे इससे कोई एतराज नहीं लेकिन क्लैरिटी तो हो, मालूम तो हो हर आदमी को कि कौनसा कानून, क्या कानून पेश हो रहा है। इस वक्त पहला फायदा तो हरियाणा के कानून में यह है कि यह मुजारे को जिसको आजतक कुछ भी नहीं मिला था –क्यों– जब तक

हमारे काले कोट हैं और कचहरियां मौजूद हैं हम लेने ही नहीं देते। स्पीकर साहब, यह पहली बार हुआ है कि एक स्टेट ने ऐसा बिल पेश किया है पीछे तो सब फालो करेंगे। टिक्का साहब ने एक बात ठीक कही थी कि हरियाणा पहल कर रहा है जो डेट आफ आपरेशन से ही लागू कर रहा है। दूसरी स्टेट्स में डेट आफ औपरेशन से न लागू हुआ है और न होगा ही क्योंकि उनकी बेसिक चीजें तक नहीं हुई हैं। मगर हमारा डेट आफ औपरेशन इमीजियटली शुरू हो जायेगा। पहली चीज तो यह है कि अब जो जमीन सरप्लस होगी उसके लिये मुजारे को कोई दरखास्त नहीं देनी पड़ेगी। इसके सैक्शन 15 में प्रोवाईड कर दिया गया है, जैसा कि मैंने चौ. हरद्वारी लाल जी को जब वे बोल रहे थे प्वांयट आउट किया था कि सरप्लस लैंड डिक्लेयर करने से पहले यह देखा जायेगा कि उस लैंड पर कोई मुजारा तो नहीं है और अगर मुजारा है तो वह वहां ही बैठा रहेगा, उसको कुछ भी नहीं करना पडेगा, चार आना भी खर्च नहीं करना पड़ेगा, वकील भी नहीं करना पड़ेगा, 17 एकड़ तक जो परमिसीबल ऐरिया है क्लैक्टर उसको बुलाकर औटोमैटिकली दे देगा। इसके लिये उसको दरखास्त भी नहीं देनी पड़ेगी। इसलिये यह प्रोवीजन टैनैंट्स के लिये बड़ा मुफीद है, अगर कोई यह कहे कि इसका कोई फायदा नहीं होगा यह गलत बात है। सदर साहब, मैं वकील हूं और सीनियर ऐडवोकैट हूं, मैं किसान हूं। मेरे चाचार जाद भाई को एन् 1963 में गढ़ी गावं में पड़ौसी लैडलार्ड की जमीन अलाट हुई। एन् 1963 में कागजात में तो वह हमारे नाम है लेकिन आजतक वह हम नहीं

ले सके, मेरा भाई नहीं ले सका है, रिट पर रिट की और फाइनैंशिल कमिशनर तक केस चला। मगर इस ऐक्ट में खास कदम यह है कि जो टैनैट्स हैं उनके लिये सैक्शन 15 का प्रोवीजन है जो कि मैं समझता हूं बड़ा साउड प्रिंसीपल है। यह बात कि हरिजनों को जमीन नहीं मिलेगी – शायद नहीं मिलेगी जब तक कि एक टैनैंट जमीन पर बैठा है और मुदतों से वह उस जमीन पर कमाता रहा है पहले उसको मिलेगी और उसके बाद अगर बचेगी तो दीजिये हरिजनों को। मैं कहता हूं हरिजनों को देनी चाहिये, उनके साथ इतना जुल्म होता रहा है उनको भी दे दें, मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है लेकिन जो पार्टीज टू लैंड रिफार्मज हैं Tenants versus Land Lords, this is the first victory of tenants, Tenants is to be benefited and without spending anything. दूसरी बात जो मैं अर्ज करना चाहता हूं वह यह है कि इस कानून में इसके पोलिटीकल एसपैक्ट्स भी हैं। चौधरी साहब हरद्वारी लाल जी ने बड़ी काबलियत से उनको डिसकस किया कि क्या इसमें पोलिटीकल गेम हैं। मेरा उनसे दोस्ती है लेकिन मेरी सियासत उनसे बिल्कुल नहीं मिलती। .....(विघ्न)...... तो मैं यह अर्ज करने लगा था कि मुझे यह एतराज है कि निजामें सरमायेदारी के जो कस्टोडियन हैं जो देहली में बैठे हैं, जहां से हमें हिदायतें दी जाती हैं, जो हावी हो जाते हैं कांग्रेस के अन्दर जो प्रोग्रैसिव एलीमैंट हैं, उन पर, उन लोगों की मुकम्मल जीत है। जहां तक पोलिटीकल सवाल है वह क्या है 1925 से जो रैलेवैंट आर्टिकल जिसके मातहत हम यह बिल लाने चले हैं वह है कि कन्सैंट्रशन आफ वैल्थ्र नहीं होने देनी चाहिये, दूसरा यह है कि जो साधन

हैं प्रोडक्शन के वे इस तरह डिस्ट्रिब्यूट हों कि उसका सबको फायदा हो। स्पीकर साहब, मोस्ट डिस्ऑनैस्ट ऐलीमैंट है जोकि देहली मे। प्लैनिग कर रहा है। हमको जो ऊपर से हिदायत आती है उस पर आप लोग अमल करेंगे ही क्योंकि आप लोगों की मैजारिटी है। मुझे पता नहीं कि प्रोग्रैसिव पार्टी करेगी कि नहीं करेगी लेकिन जो रूलिंग पार्टी है वह तो करेगी। जनाब स्पीकर साहब, पिछले 25—22 सालों से इस ऐक्ट का बहाना लगाकर निजामें सरमायेदार तरक्की पसन्द कदम उठाने से रोक रहे हैं। लैंड की सीलिंग होनी चाहिये, प्रिंसीपली तो यह पहले हो चुकी है, आज से दस साल पहले हुई थी, सरदार प्रताप सिंह कैरो ने की थी। मगर अब दस सालों के बाद कहा जाता है कि उससे भी आधी कर दो। कर देते हैं लेकिन यह ऐक्ट पोलिटीकल तौर पर हिन्दुस्तान में निजामें सरमायेदार का हिमायती है जोकि कांग्रेस में काफी हैं — काफी तो निकाल दिये इन्दिरा जी ने — लेकिन अब भी वे काफी हैं। वे इस ऐक्ट को दिखाकर सरमायेदारी को बचाना चाहते है यह कह कर कि देखों जी हम गरीबी हटाने के लिये लैंड सीलिंग ला रहे है। सीलिंग का प्रिंसीपल तो ठीक है लेकिन सीलिंग सब पर होनी चाहिये, सब पर धावा करते। एक वे लोग हैं जो बहुत प्रौपर्टी वाले हैं और एक वे हैं जिनके पास कोई प्रौपर्टी नहीं है और वे हरिजन और बैकवर्ड लोग हैं। मैं हाउस के नोटिस में यह चीज लाना चाहता हूं कि जहां तक पोलिटीकल गेम का ताल्लुक है पिछले 25 सालों से सरमायेदार को बचाने के लिए सिवाय लैंड रिफार्मज के और कोई चीज नहीं की जाती और अब कभी

कलकत्ता में ट्राम्ज फुंकती हैं तो ये कहते हैं कि हम लैंड रिफार्मज कर देंगे। 25 सालों से जो सरमायेदारी की छत है उसको नहीं टच कर रहे हैं। मैं आज आप को लिख देता हूं कि जब तक कांग्रेस के अन्दर देहली में उस ग्रुप का कब्जा है जो सरमायेदारों का ग्रुप है .....

एक आवाजः अब तो नहीं है।

चौ. प्रताप सिंह दौलताः वह आज भी है, उस वक्त तक शहरी प्रौपर्टी पर सीलिंग नहीं होगी। यह मैं दावे से कह सकता हूं और ऐसे ही तीन साल के बाद अगर फिर शोर मचेगा तो दोबारा जमीन पर ही सीलिंग करेंगे सरमायेदारों पर नहीं। अब तीसरी बार लैंड रिफार्म हो रही है। मैं बाबू जगजीवन राम जी की बड़ी इज्जत करता हूं और मैंने बहुत कम इतने काबिल आदमी देखे हैं जो इस गरीब तबके में पैदा हुये हों ओर उनकी

6.00 P.M.

काबलियत के हैं लेकिन मैं उनकी यह बात नहीं समझ सका कि इनकम पर सीलिंग नहीं हो सकती। एक वकील जाता है सुप्रीम कोर्ट में तो 1600 रूपये से कम फीस नहीं लेता है। कई तीन–तीन हजार भी फीस का कमाते हैं एक केस में। सुप्रीम कोर्ट का एक सीनियर वकील 1600 रूपये से कम का इनकम टैक्स का फार्म नहीं भर सकता। लेकिन वह टैक्स हम पर जो सीनियर वकील हैं वे यहां पेश हों या वहां पेश हों 1600 रूपये पर लगता है जब एक केस में अपीयर होते हैं। सीलिंग उन पर नहीं है जो तीन–तीन हजार रूपये कमा रहे हैं। सीलिंग

कारखानों पर नहीं है और सीलिंग अर्बन प्रौपर्टी पर नहीं। अभी टिक्का साहब ने फरमाया है कि अर्बन प्रौपर्टी पर भी सीलिंग होनी चाहिये। हमारी हाई कमांड जो है, चाहे मैं यहां हूं या वहां हूं मैं भी उनका आर्डर मानता हूं, मैं आपके साथ ही तो उठता बैठता हूं, जो लेटैस्ट प्रोपोजल हैं वह यह है कि अर्बन प्रौपर्टी पर पांच लाख की सीलिंग हो फैमिली के हर मैंबर के लिये सिवाये तीन माईनर्ज को छोडकर। यह तो मैं कहता हूं वायलेट होगा आर्टिकल 14 के तहत टकरायेगा मैं आपको यकीन दिलाता हूं चौ. अमर सिह जी। 'ए' को फायदा हुआ आज, 'बी' को फायदा हुआ एक साल बाद दोनों को 18—18 एकड़ और 'सी' बेचारे को तीन एकड़, तो यह तो आर्टिकल 14 के तहत वायलेट होगा। यह डिसक्रिमिनेशन नाजायज है और यह क्लाज रहेगी नहीं। अर्बन का क्या मजाक कर रहे हैं कि इस पर पांच लाख पर कोई टैक्स नहीं और कोई सीलिंग नहीं। फिर हर अडल्ट यूनिट को चाहे वह लेडी हो वैसे जो वहां लेटैस्ट सिफारिश हुई है उसमें हिन्दू सक्सैशन ऐक्ट की कंसेप्ट रखी गई है, उसके मुताबिक लेडी को भी प्रौपर्टी मिलेगी, लड़की को भी मिलेगी, बालिंग लड़की को भी मिलेगी उसके बाद जो प्रोपर्टी बचेगी वह भी गवर्नमैंट एक्वायर नहीं करेगी और मैं आनरेबल मैंबरान को बताना चाहता हूं कि उस पर हैवी टैक्स लगायेंगे। क्यों? इसलिये कि वे प्रौपर्टी बेच दें लेकिन यह जमींदार जिस पर 30 एकड़ की सीलिंग पहले ही लग चुकी है उसे कहते हैं कि वह उसमें से बेच नहीं सकता। मैंने ऐसे वक्त में टाईम जानबूझ कर लिया है ताकि कल भी मुझे थोड़ा वक्त

मिल सके। मैं श्री हिदायतुल्ला फोरमर चीफ जस्टिस का फैसला लाऊंगा जो उन्होंने उस वक्त दिया जब यह जमीन शामलात में वैस्ट की ओर उसमें उन्होंने अपना एक डिसैटिंग जजमैंट दिया और वहां चारों के चार, जज बैठे थे। जजों का करैक्टर वही का वही होता है जिस क्लास के वे होते हैं। हिदायतुल्ला साहब उन लोगों में से हैं जिन का जमीन से सरोकार है उन्होंने यह काह है कि 30 स्टैंडर्ड एकड़ की सीलिंग पहले आप मुकर्रर कर चुके हैं और लोगों को बता चुके हैं कि इतनी जमीन के वे मालिक हैं। उसके बाद उसकी जमीन जो है वह एक सैक्रेड टेम्पल है ओर तब तक उसे टच न करो जब तक बाकी प्रौपर्टी को आप टच नहीं करते। अन्धेर है। हम अगर अपनी ही जमीन बेच दें तो बोनाफाइडी और नान बोनाफाइडी का सवाल अन्धेर नहीं तो और क्या है? फिर वह देखेगा कौन? वह स्पीकर साहब कुलैक्टर देखेगा। वह किसकी देही तोड़ेगा? वह जमींदार की तोड़ेगा जिसने जमीन बेची है और जिसने ली है लेकिन अर्बन प्रौपर्टी वालों को पांच लाख तक कुछ नहीं है। उसके बाद भी जो उस पर टैक्स लगेगा हैवी टैक्स लगेगा ताकि वह उस प्रोपर्टी को बेच दे। रूरलाइट जमीन को बेच दे। कहते हैं कि जमीन चुरा ली गई बेचारे हरिजनों को कुछ नहीं मिला मुजारे को कुछ नहीं मिला। मैं पूछता हूं कि क्या वह किसी ओर की जमीन बेच रहा है? उसने अपनी जमीन बेची है जो 30 स्टैंडर्ड एकड़ सरकादर प्रताप सिंह कैरों ने की थी उसमें से बेची है और अपने उस सेक्रिड टैम्पल को बेचा है। हिदायतुल्ला साहब ने कहा है कि वह टच नहीं करनी चाहिये जब तक कि

सरमायेदार की प्रौपर्टी को हाथ न लगाया जाये। स्पीकर साहब आप देखें शहरियों पर कोई सीलिंग नहीं, लिमिट नहीं, हद नहीं प्रौपर्टी बेचने की लेकिन अगर जमींदार बेचता है और वह भी 30 स्टैंडर्ड एकड़ के अन्दर तो बोनाफाइडी और नान–बोनाफाइडी कुलैक्टर देखता है। यह ज्यादती है। जो ट्रांसफर हो चुकी उस पर से जो बोनाफाइडी की क्लाज है उसे आप हटाइये। फिर इसे आपने डिफाइन भी नहीं किया कि यह बोनाफाइडी कया चीज है? फिर बर्डन आफर प्रूफ भी उस पर रखा गया है। जिसने बेची है जिसके मायने है कि मौज हो गई वकीलों की कुलैक्टर की जिसने बोनाफाइडी डिक्लेयर करनी है। एक डैफीनेशन दी हे अडल्ट की कि अडल्ट वह होगा जो माइनर नही होगा यानि मर्द कौन होगा जो औरत नहीं होगी। क्या यह डैफीनेशन है? माइनर को डिफाइन किया है कि माइनर वह होगा जो 18 साल से नीचे होगा। अब वह डिटर्मिन कौन करेगा। मैं स्कूल का सर्टिफिकेट लिये खड़ा हूं मेरा भाई स्कूल का सर्टिफिकेट न लेकर म्यूनिसिपल कमेटी का सर्टिफिकेट लिये खड़ा है और जो कुलैक्टर है वह कहेगा कि तेरा भी झूठा और तेरा भी झूठा पहले तुम मेरे रीडर के पास जाओ उससे बात करो। फिर वह उसके पास जाकर बात करेगा पैसे देगा और तब उसका सर्टिफिकेट सही गिना जायेगा। यह जिस किस्म का कानून इन्ट्रोडयूस हुआ इसके प्रिसीपल को मैं बैलकम करता हूं लेकिन इसमें इतने इनहैरेंट डिफेक्टस हैं कि अगर यह इस कानून में ज्यों के त्यों चले गये तो यह पैराडाइज होगा उन अफसरों के लिये जिन्होंने इसके तहत कितनी ही चीजें डिटमिन

करनी हैं। ट्रांसफर बोनाफाइडी है या नहीं यह डिटमिन होना है और बर्डन आफ प्रूफ उस पर हागा जिसने बेची है। मर गया बेचारा बेचने वाला तो। वह औरतों के नाम करवाता रहा, लड़कियों के नाम करवाता रहा और कितना ही करोड़ों रूपया वह टैक्स की सूरत में फीस की सूरत में दे चुका है सरकार को। क्या कसूर किया था उसने? मैं कहता हूं कि अब उसकी 30 स्टैंडर्ड एकड़ से नीचे की जमीन का मजाक किया जा रहा है लेकिन अगर हम कुछ कहें तो रीऐक्शनरी हैं। यह रीऐक्शनरी वाला लफ्ज मैंने तो कभी नहीं लिया पंडित जी एक बार नाराज हुये थे इस पर। मैं तो इस गूंगे तबके का हिमायती हूं। मैं इस बिल को इसलिये वैलकम करता हूं कि यह आना तो है ही और सीलिंग तो हम एक्सैप्ट कर चूके इस साल पहले। अब तो मैं इस गवर्नमैंट से बंसी लाल जी से नहीं पूछूंगा, न त्रिपाठी जी से पूछूंगा, न श्री विधायक जी से ही पूछूंगा और न ही यह जैल सिंह जी से पूछूंगा जिन्होंने पैजैंट प्रोप्रायटर्ज की वकालत की है वहां पर। मैं पूछना चाहता हूं हिन्दुस्तान के बाकी जर्नलिस्टों से और इकौनोमिस्ट से जो बार–बार इन सी.एम्ज. को कुलक कहते हैं और इस व्यू के हैं कि साहब यह जो सीलिंग है इसे रिडयूस कर दिया जाये, 30 से 15 एकड़ कर दिया जाये। तीसा तो आपने दस साल पहले कर दी थी और अब 18 करने वाले हैं। मैं पूछता हूं कि इस अर्से में क्या कसूर कर दिया जमींदार ने जिसकी सजा देने वाले हो। क्या यह एक कसूर है कि जब पहली सीलिंग आई तो हम अनाज के भिखारी थे और हम मांगने जाते थे दूसरे देशों में लेकिन आज दस साल के बाद

उस जमींदार ने आपको खुद कफैल बना दिया और आपको सैल्फ रिसपैक्ट दे दी। तो क्या यह इनाम है या सजा है उस गुनाह की जो उसने दस साल में किया है? मैं अर्ज किये देता हूं कि किन आदमियों ने सैंटर को और खासतौर पर प्राईम मिनिस्टर साहिबा को मजबूर किया है और मालूम है कि अगर प्राईम मिनिस्टर साहिबा न होती तो इस किस्म की बुरजुआ वाली या कराड़ मैटेलेटी की बात चलती। हम जो 30 एकड़ से कम वाले किसान हैं उनको ये कुलक कहते हैं और मे। उनको जो हमें कुलक कहते हे। कराड़ कहता हूं। जो कराड़ देहली में बैठे हैं उन्होंने प्राईम मिनिस्टर साहिबा के नाक में दम कर दिया। अगर चीफ मिनिस्टर्ज कान्फ्रेस न होती और प्राईम मिनिस्टर साहिबा चेंज न लाती और अगर जो ओरिजनली सो काल्ड कम्युनिस्टस ने प्रोपोजल दी थी उसके बाद तो हम जमींदार हाथ जोड़कर यह कहते हैं कि साहब यह जमीन ही ले लो हमें कुछ नहीं बचता। शुक्र है आज के दिन जो यह ऐक्ट आया है। यह ऐक्ट रीजनेबल ऐक्ट है और इस सैंस में है कि हम गूंगे लोग उस शरिऊड शहरियों का जो सारी चीज देहात की तरफ ही रखते हैं कि गरीबी की प्रोबलम यहां से ही सौलव करा शहर वालों को टच न करो उनका हम मुकाबला न कर पाते। हमने बिल तो लाना ही था और वह आ गया। 30 स्टैंडर्ड एकड़ से 18 कर दी और इस 18 करने से भी मुझे खुशी है और पता नहीं किसी को हो या न हो कि जमीन टैनैंट को तो मिलेगी इस ऐक्ट के मातहत और जब टैनैंट को जमीन मिलेगी तो उससे इन्साफ होगा। टैनैंट भी जमींदार है, किसान है चाहे

उसके नाम मलकियत नहीं है। मेरी एक तजवीज है कि टैनैंट के बाद जो जमीन बचे वह किसी और कैटेगिरी को न दी जाये हरिजन को ही दी जाये। इनके साथ हमने बड़ा धोखा किया है, स्पीकर साहब। अगर दुनियां में कोई इन्साफ है और कही मुकदमा चला सकते हों तो यह बात साबित होगी। 25 साल हो गये हमें इनको बहकाते और, स्पीकर साहब, हमनेइनके मुंह पर मूलीके पत्ते बांध रखे थे। जो पंजाबी भाई हैं यह बड़े सियाने हैं। मैं भी पंजाबी हूं मैं यह ऐसे ही नहीं कह रहा हूं सियाने हैं। हम लोग जो पंजाब से आकर हरियाणा में बसे हैं आपकी लोकल आबादी से हम सियाने हैं। एक पंजाबी दुकानदार का टट्टू कु कमजोर सा था। बेचारा बहुत चल नहीं सकता था लेकिन उसे सब्जी बेचने जाना पड़ता था काफी दूर तक उस पर लाद कर। तो वह क्यो करता था कि दो मूली पत्ते एक डंडे से बांध कर गधे के मुंह के सामने बांध देता था और वह गधा समझता कि अगर वह दो कदम और आगे उठाये तो मूली के पत्ते उसके मुंह में आ जायेंगे लेकिन होता यह कि जब वह दो कदम आगे उठाये तो मूली के पत्ते भी दो कदम और आगे हो जाते ओर इसी तरह गधा सारा दिन चलता रहा। तो इसी तरह हमने इन गरीब हरिजनों के मुंह पर मूली के पत्ते बांध रखे और राये लेते रहे ओर इस तरह से हम कांग्रेस वालों ने उनकी वोटें गिनवाई हैं। 25 साल के बाद कम से कम इतना कर देते कि टैनैंट के बाद जो जमीन बचेगी वह हरिजन को मिलेगी लेकिन यहां लिख दिया ऐक्स सर्विसमैन को मिलनी चाहिये, फलां को मिलनी चाहिये। मेरा सुझाव यह है कि टैनैंट जो

जमीन पर पहले से बैठा है उसका पहला हक है उसके बाद हरिजन का है तीसरा हक और किसी का है ही नहीं। 25 साल तक हमने इनको गलत वायदे देकर ऐसपलायट किया तो कम से कम हम इतना तो कर दें कि जो जमीन टैनेंट से बच जाये वह सारी की सारी हरिजन को जाये। जनाब स्पीकर साहब, अब मैं क्लाज बाई क्लाज डिसकशन पर देखूंगा क्योंकि इसमें बहुत सारे डिफैक्टस हैं। ये बड़े पैमाने पर नहीं और जानबूझ कर नहीं हैं। गवर्नमैंट सपोक्समैन बैठे हैं नोट तो कर रहे होंगे। हरीगेशन की क्या डैफिनेशन होगी उसके लिये कहते हैं कि वह होगी जो कैनाल एंड ड्रेनेज ऐक्ट में होगी। मैं इरीगेशन की डैफिनेशन ढूंट रहा था। मैंने सारा कैनाल ड्रेनेज ऐक्ट छान मारा, मुझे कहीं भी इरीगेशन की डैफिनेशन ढूंढ रहा था। मैंने सारा कैनाल ड्रेनेज ऐक्ट छान मारा, मुझे कही भी इरीगेशन की डैफिनेशन नहीं मिली। इसमें सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि टयूबवैल ऐक्ट के तहत जो इरीगेशन होगी यानी टयूबवैल ऐक्ट की जो डैफिनेशन होगी वह इस पर भी लागू होगी। लेकिन उस ऐक्ट में भी वह डेफिनेशन नहीं है। मेरी अर्ज यह है कि इन चीजों को मदेनजर रखते हुए बिल को थोड़ा सा सम्भालने की जरूरत ह। हम हरियाणा वाले फाचुनेट हैं क्योंकि जैसी असैम्बली यहां है वैसी कहीं भी नहीं है। मैं सैल्फ प्रेज की बात नहीं करता। यह सच है कि ऐसी असैम्बली कही भी नहीं जैसी यहां है, एक ही ख्यालात के सारे आदमी हैं सिर्फ दो आदमियों को छोड़ कर सब एक हैं। हममारी आइडियोलौजी एक है। टैक्नीकली कौन कहां बैठा है, इसमें कोई खास फर्क नहीं। (चौ.

चांद राम जी की तरफ से विघ्न) अगर कोई कांग्रेसी है तो चौधरी चांद राम जी हैं। इस बेचारे ने तो हरिजनों को साथ लेकर कांग्रेस का साथ दिया वरना कांग्रेस कहां होती? हरिजन ही कांग्रेस में रहे हैं, हरिजन का नाम ही कांग्रेस है। चांद राम जी होते तो इतनी जल्दी राव वीरेन्द्र सिंह मार न खाते। राव वीरेन्द्र सिंह के वक्त जमींदारों ने एक झपटा मारा था हकूमत करने के लिए, लेकिन वह डिफैक्शन नहीं थी, वह हमारी लास्ट स्ट्रगल थी। उस वक्त अगर हरिजन कांग्रेस का साथ न देते तो मिट्टी पलीत हो जाती (गृहमंत्री श्री के.एल. पोसवाल, की तरफ से विघ्न) हमने तो साहब मोतियों के भाव अनाज बिकवाया। अगर तीनों साल तक हमारा दाव लगा रहता तो हर जमींदार का मकान पक्का होता।

श्री अध्यक्षः आप खत्म करें, इसके बाद किसी और मैम्बर को भी बोलने का मौका मिल जाएगा। हाउस साढ़े छः बजे खत्म होना है, आप खत्म करें।

चौ. प्रताप सिंह दौलताः स्पीकर साहब मैं अर्ज कर रहा था कि जहां तक इन आर्टिकल्ज के इवोक करने का ताल्लुक है, यह इस बिल के मातहत जो आ रहा है, सरमायेदारों के ऊपर, शहरी लोगों के ऊपर, उनकी प्रौपर्टी के ऊपर बहाना न बन जाए 5 लाख की सीलिंग लगाने के लिए। जो प्रौपर्टी सीलिंग से बचे जो कि एक्वायर नहीं की गई, उस पर हैवी टैक्स लगे ताकि वे हैवी टैक्स की वजह से उसको बेच दें। इसके बाद जो शहरी प्रौपर्टी की प्रपोजल आई है कि neither a place where some kind of industrial activity is

done nor a place where some kind of commercial activity is done will be affected by the ceiling bill. कारखाने टच नहीं होंगे, सिनेमा टच नहीं होंगे, सिर्फ रहने के मकान टच होंगे। जैसे मेरी मिसाल है, क्योंकि में उन लोगों में से नहीं हूं जिनके पास कुछ नहीं। मैं जमींदार हूं, मैं अच्छी प्रापर्टी वाला भी हूं। मैं इन से डर गया कि ये सोशलिजम का नारा देकर मार देंगे, लेकिन अब मुझे यह सब कुछ देख कर हंसी आई कि यह सब कुछ देहात वालों के लिऐ है, शहरियों के लिए नहीं। जहां तक अर्बन प्रौपर्टी का ताल्लुक है, कोई भी आदमी, चाहे प्रताप सिंह दौलता ही क्यों न हो, चार किताबें यदि मैं रख लूं और उस दफतर को कमर्शियल ऐक्टिविटी बता दूं कि मेरा दफतर है तो कोई उसको ले नहीं सकता, उस पर सीलिंग नहीं लग सकती। जिन लोगों की बड़ी बड़ी प्रौपर्टी है, जैसे डालमिया और बिरला की नयी दिल्ली में और कलकत्ता में बड़ी–बड़ी प्रौपर्टी है, इन सबने वक्त से पहले कमर्शियल ऐक्टिविटी दिखाने के लिए प्रौपर्टी का करैक्टर बदल दिया है। इसके मायने क्या हुए? इन बड़े–बड़े प्रौपर्टी होल्डर्ज को तो पूछते नहीं और जमींदार के बारे में शोर मचाते हैं। इसके बाद फिर दोबारा कांग्रेस हाई कमांड पर दबाव पड़ेगा कि साहब, हमने वायदा किया था सोशमिजम लाने का इसलिए इस वायदे को पूरा करो। इस चीज को देखते हुए मुझे डर है कि 18 एकड़ से कम सीलिंग करने के लिए अगले साल तक एक और बिल न आ जाए। जमींदारों के बारे में तो ले आएंगे लेकिन शहरी प्रौपर्टी टच नहीं करते क्योंकि यह उनका क्लास करैक्टर है। इन हालात में क्लासरूल के बारे में, जमायती जदोजहद के बारे में मुदतों पहले लिख

दिया था कि सियासत को कुछ भी नाम रख लो, आखिर है तो जमादती जदीजहद का नाम। चौ. छोटूराम ऐसा ही कहा करते थे कि सियासत जमायती जदोजहद है। अर्बन मिडल क्लास, अर्बन कौमर्शियल क्लास, जो आज की रूलिंग क्लास है, वह अपने को तो टच नहीं करने देगी और आपको यानी देहातियों को प्रौपर्टी पर ही सीलिंग लगाएगी। इन्हीं को दबाने के लिए, बेरोजगारी फैलाने के लिए, जो कुछ करना है आज ही कर लो। 18 एकड़ से घटा कर 8 एकड़ ही सीलिंग लगाने के लिये जो कुछ करना है आज ही कर लो, फिर बाद में न सताइओ। जो सीलिंग आज लगा रहे हैं इसके बदा ऐसा होना चाहिए कि कम से कम अगले दस साल तक यह सीलिंग टच न हो। इस किस्म की कोई गारंटी हो जिससे कम से कम दस साल तो निकल जाएं, यह न हो कि साल के बाद फिर 18 एकड़ से 8 एकड़ की सीलिंग करने के लिए बिल ले आएं। मुझे डर है कि ज्यों–ज्यों ऐजीटेशनज डिवैल्प होगी देहातियों पर ही सीलिंग लगेगी। जहां तक सरप्लस लैंड का ताल्लुक है, टेनैंट जो लैंड पर बैठा है उसका नम्बर पहला है। नम्बर दो पर हरिजन आता है। इनके सिवाये कोई तीसरा आदमी इसमें शामिल नहीं होना चाहिए जिसको जमीन मिले। स्पीकर साहब, इसके अलावा बहुत सारी चीजें मै। उस वक्त कहूंगा जब बिल पर क्लाज बाई क्लाज डिसकशन होगा क्योंकि मैंने सारी डिटेल बना रखी है। स्पीकर साहब, मैं आपका बड़ा मशकूर हूं, आपकी सैक्रेटेरियेट ने लैंड रिफार्म पर एक डाकूमैंट सर्कुलेट किया। जिसने भी यह डाकूमैंट तैयार किया उसने बहुत मेहनत से किया है पता नहीं उसको

किसी मेम्बर ने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। इस बिल को, बड़ी काबलियत से तैयार किया है, मार्शल किया है, मैं उन लोगों को दाद देता हूं जिन्होंने इसको ड्राफ्ट किया है। यह ठीक है कि कुछ क्लैरिकल मिस्टेक्स हैं, और इन चीजों को पढ़कर इस बिल को इम्प्रूव करना हमारा काम है। इसलिये हमें इस बिल को पढ़कर आना चाहिये। हम लैजिस्लेटर्ज को पांच–पांच सौ रूपये तन्खाह इसीलिये मिलती है कि हम काम करें। हम लोग एक दूसरे की जातियात पर हमला करने के लिये नहीं हैं। अब इतना ही कहूंगा, बाकी क्लाज बाई क्लाज पर अर्ज करूंगा और अब जैसा कि यह बिल है, मैं इसको वैलकम करता हूं। यह बिल आगे बढने के लिये सही कदम है और इसको हाई कमांड तक पहुंचाना चाहिये। इस बिल को बहाना बनाकर सरमाएदार क्लासिज पर जो चोट पड़नी चाहिये वह न रूके। कहीं ऐसा न हो कि ये कल लैक्चर देने लग जाएं कि लो साहब, हमने तो गरीबों के लिये यह कर दिया वह कर दिया, हमने जो वायदा किया था वह पूरा कर दिया। हमने लेंड फिक्स कर दी। मुझे डर है भाई जगजीवन राम जैसे भाई ऐसा न कहने लग जाएं। जो कुछ उन्होंने कहा है, मैंने उनके एग्जैक्ट वर्ड नोट किए हैं, जिनका मतलब यह है कि जो आदमी इन्कम की बात करते हैं कि इन्कम पर सीलिंग होनी चाहिये, ये क्या बात कर रहे हैं, इन्कम पर सीलिंग कैस हो सकती है? लेकिन मैं कहता हूं हो सकती है। अजी, क्या नहीं हो सकता? हो सकती है। आप बैंकों पर छापा मारें, कई अरब रूपया मिलेगा। लेकिन ऐसा काम आप नहीं करना चाहते। कुछ लोग कहते हैं कि जमींदार जापान में

पांच एकड़ जमीन से गुजारा करते हैं इसलिए तुम भी कर लो। अगर ऐसी बात है तो दीजिए इन शहरियों को, देहाती सरमायेदारों को 25—25 हजार रूपया गुजारे के लिए और बैंक का सब रूपया निकाल लो। आप टेनेंटस को न दीजिए, गरीब ब्राह्मण को न दीजिए, बनिये को न दीजिए सारा बैंक बैलेंस का रूपया इन गरीब हरिजनों को दे दो। (घंटी) इन सरमायेदारों का सारा बैंक बैलैंस पकड़ लो (व्यवधान)। स्पीकर साहब, मैं एक ही बात करके बैठ जाता हूं। चौ. चांद राम जी और दूसरे हरिजन भाईयों से कहना चाहता हूं कि जमींदार से आपकी कोई लड़ाई नहीं। मुददतों से आप जूते बनाते आए हैं और आपका यह जूतों का काम बिरला ने छीन लिया। आप हमारे से क्यों लड़ते हो, बिरला से टक्कर लो, हम आपके साथ चलेंगे। हमारे साथ क्यों चिपटे हुए हो। (हंसी) स्पीकर साहब, मेरी मां, मेरी दादी, मेरी ताई, मेरी नानी गांधी का हुक्म मानती थी। वे कातती थीं, ताई कातती थी, दादी कातती थी, चाची कातती थी और धानकी यानी जुलाहे खड्डों पर कपड़ा बनाते थे जिसके दामन बनते थे, ओढना बनता था। अब ये काम कौन करता है? यह रोजगार कपड़े के कारखाने वालों ने छीन लिया है। उनसे टक्कर मारो, हम से क्यों चिपके रहते हो? चिपको उनसे जिन्होने तुम्हारे रोजगार छीने हैं। (घंटी) हरिजन आपलिफट एक नोबल काज है, लेकिन इसको लैंड रिफार्म के साथ कन्फयूज न किया जाए। इसको जमींदार के साथ भिडाया न जाए। इनके असली दुश्मन बैइे हैं — बिरला और टाटा जैसे सरमायेदार, उनकी तरफ उंगली क्यों न की जाए? इन मोनोपलिस्टस को जो

कम से कम तीस पैंतीस आदमी हैं, इन पर प्रौपर्टी की सीलिंग लगाकर तो घटाओं, हमारा पीछा छोड़ो। इन शब्दों के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं।

श्री प्रेम सुख दास (सिरसा): स्पीकर साहब, प्रौपर्टी पर सीलिंग लगाने का जो बिल सरकार ने हाउस में पेश किया है, इसके लिऐ मैं सरकार को मुबारिकबाद देता हूं। यह एक अच्छा कदम है। जहां तक बिल का सवाल है, सरकार गरीब और अमीर आदमी के दरम्यान ज्यादा फर्क नहीं देखना चाहती। जमीन ज्यादा जाएगी या कम जाएगी, मैं इसका मुकाबला नहीं करूंगा। मैं आपकी मार्फत क्लाज 8 की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। ऐक्ट की क्लाज 8 के मुताबिक एक जमीन जिसको सरप्लस डिक्लेयर किया गया था उसको बेचने की मालिक पर कोई पाबन्दी नहीं थी। जहां पर गवर्नमैंट ने कुछ ऐरिया अक्वायर किया था वहां पर उसने सरप्लस तो डिक्लेयर कर दिया था लेकिन यूटिलाईज नहीं किया था। उसके बाद अब इस ऐक्ट के मुताबिक जो लोगों ने सरप्लस ऐरिया बेच दिया उसके ऊपर पाबन्दी लगा दी है। जब सरकार अपनी सिलैक्शन करेगी मालिक की तो उसके अन्दर सबसे पहले इसको काउन्ट किया जावेगा। अगर यह काउन्ट किया गया तो इसमें काफी दिक्कत आएगी क्योंकि उस लैन्ड में काफी हाथ बदल चुके हैं, एक ने पहले बेची, दूसरे ने बाद में बेची, कोई सैंकडों तबदीलियां उसमें हो चुकी हैं। तो जिस वक्त सरप्लस ऐरिया डिक्लेयर कर दिया तो आप जानते हैं कि सन् 58 के बाद जो सरप्लस है उसको सरप्लस नहीं माना जाएगा। क्योंकि

ऐग्जैक्टिव इस्ट्रक्शंज हैं कि 68 से पहले जो सेल की गई थी वह जायज करार दी गई है। तो मैं गुजारिश करूंगा कि मालिक का जब ऐरिया डिफाईन करने लगें, जिसके अन्दर यह सरप्लस काउन्ट यिका जाएगा। यह सरप्लस काउन्ट नहीं होना चाहिए। इतना कहकर, स्पीकर साहब, मैं अपना स्थान लेता हूं।

(इस समय चौधरी चांद राम बोलने के लिए खड़े हुए)

श्री अध्यक्षः आपकी पूरी स्पीच करवा दें? समय बढ़ा देते हैं ताकि आपका भाषण पूरा हो जाए।

चौ. चांद रामः आज तो आप ऐक्सटैंड न करें क्योंकि दो बजे से हम लोग यहां बैठे हुए हैं।

मुख्यमंत्री (चौ. बंसी लाल)ः स्पीकर साहब, कल अगर किसी को टाईम न मिला तो उसमें हमारा कसूर नहीं होगा। कल को हमारी पार्टी बाकायदा अपना टाईम लेगी।

श्री अध्यक्षः अभी बोलने वालों की काफी तादाद है, इसलिए यदि हम आज हाउस को कुछ देर के लिए ऐक्सटैंड कर ले तो बेहतर रहेगा। (व्यवधान)

एक आवाजः कल ऐक्सटैंड कर लेना।

चौ. बंसी लालः अब ऐक्सटैंड कर लो, कल हम समय नहीं बढ़ायेंगे। कल साढ़े नौ बजे से एक बजे तक हाउस होगा और उसमें बिजनैस ऐडवाइजरी कमेटी की रिकोमैंडेशन के मुताबिक एक आफिशियल बिल भी रखा हुआ है।

श्री अध्यक्षः आपने बोलना है तो आप बोलिए।

चौ. चांद रामः अब तो नहीं, कल बोलूंगा।

चौ. बंसी लालः कल, स्पीकर साहब, ये हमारा टाईम लेंगे। इस अपने टाईम में से इन्हें बिलकुल टाईम नहीं देंगे। अब आप इन्हें औफर दे दें। अगर ये तीन घंटे भी लेना चाहें तो इसमें मुझे कोई एतराज नहीं होगा।

चौ. चांद रामः स्पीकर साहब, आम तौर पर यह भावना है कि आज दो बजे से हम लोग बैठे हैं, इस समय साढ़े छः बज चुके हैं। साढ़े चार घंटे से लगातार हम यहां बैठे हुए हैं। आज ही लोग घर से आए होंगे और थके मांदे पड़े हैं। इसलिए अब इस बिल पर आगे बोलना कल ही ठीक होगा।

चौ. बंसी लालः स्पीकर साहब, कल हम अपने टाईम में से दूसरों को टाईम नहीं देंगे। कल यदि ये ब्लेम करें कि रूलिंग पार्टी ने टाईम नहीं दिया तो उसमें हमारा कसूर नहीं होगा। कल गवर्नमैंट को जवाब भी देना है ओर बिजनैस ऐडवाईजरी कमेटी की रिकोमैन्डेशन्ज के मुताबिक आफिशियल रैजोल्यूशन भी टेक–अप करना है। अगर आप कहते हैं कि आप हमारा कोई टाईम नहीं काटेंगे तो ठीक है।

श्री अध्यक्षः आपको टाईम पूरा मिलेगा।

चौ. चांद रामः मैं तो स्पीकर साहब, कल ही बोलूंगा अगर आप इजाजत देगे तो।

Ch. Bansi Lal: If he wants to speak now we do not mind it. But tomorrow many members would like to speak ......(Interruptions)

चौ. चांद राम: स्पीकर साहब, ऐसी बात नहीं है कि बोलने के बगैर मुझे खाना नहीं भायेगा, पोलिटिक्स अच्छी नहीं लगेगी यह इससे मेरी इम्पार्टैन्स में इजाफा होना है।

श्री अध्यक्ष: बोलने से आपको कोई नहीं रोकता। हम तो आपको ज्यादा समय दे रहे हैं।

चौ. चांद राम: अगर आप ऐक्सटैंड करना चाहते हैं तो कर लीजिए लेकिन इस वक्त बोलना मेरे वश की बात नहीं है।

चौ. बंसी लाल: कल अपना—अपना टाईम बांट लेंगे। अपोजीशन से आप उन व्यक्तियों के नाम पूछ लें जो कल भाषण देना चाहेंगे। मैम्बर्ज के हिसाब से टाईम डिवाईड कर लीजिए।

श्री अध्यक्ष: मुझको इसमें कोई इतराज नहीं है। चौ. चांद राम जी बात यह है कि यदि आज आप बोलना चाहें तो पूरा समय मिल सकता है लेकिन यदि आप हाउस को ऐक्सटैंड नहीं करवाना चाहते तो जितना समय है उसमें आप बोल लें और यदि कल कंटिन्यू करना चाहें तो कर लीजिए। जितना समय लि सकता होगा वह आपको मिल जाएगा।

चौ. चांद राम (बबैन—अनुसूचित जाति): स्पीकर साहब, इस बिल के पीछे जो भावना है, असूल है, उसकी मैं

सराहना करता हूं। इसमें कई क्लाजिज अच्छी हैं, एक धारा खासतौर पर वह जिसके बारे में मेरे से पहले बोलने वाले मैम्बर ने कहा कि एन् 58 के बाद जमीन बहुत से हाथों से गुजरती रही है। मैं कहता हूं कि अगर कोई धारा इसमें अच्छी है, दुरूस्त है तो यही धारा है जिसके बारे में इन्होंने कहा कि यह खराब है। अच्छी चीज को अगर निकाल दें तो फिर इसमें क्या रह जाएगा। हमने सन् 53 में कानून बनाया था और बड़ा कंप्रिहैन्सिव कानून बनाया था। यह बदकिस्मती थी कि हमारी स्टेट दो हिस्सों में रही और दो कानून लागू रहे। उस कानून के दो मतलब थे। लैंड सीलिंग जरूरी थी। कोई आदमी 1953 में भी 30 एकड़ या जो भी उस क्लाज में था उससे ज्यादा जमीन नहीं रख सकता था। डिसप्लेस्ड पर्सन्ज के मामले में यह हद शायद 50 एकड़ थी। जैसे चौ. अमर सिंह जी ने भी कहा उस वक्त भी सरप्लस जमीन का अस्टीमेट 16 लाख एकड़ का था। ट्रिब्यून में इस बारे में आर्टिकल निकला था। इतनी सरप्लस जमीन समूचे पंजाब में निकलनी थी। आज तो इस बिल के मकसद में कहा गया है कि केवल डेढ़ लाख एकड़ जमीन सरप्लस निकलेगी लेकिन उस वक्त 16 लाख स्टैन्डर्ड एकड़ निकलनी थी लेकिन निकली क्या? उस वक्त मेरे ख्याल में कुल पौने दो लाख एकड़ सरप्लस जमीन पंजाब साईड में निकली ओर यहां हरियाणा साईड में जहां का ऐस्टिमेट कोई एक लाख चार हजार एकड़ के करीब आंका गया था कम होते होते केवल 42 हजार एकड़ सरप्लस जमीन अब तक डिक्लेयर हुई है। अब आप देखिए कि 16 लाख एकड़ से हम इतने नीचे आए कि

केवल दो लाख एकड़ के करीब सरप्लस जमीन हम सारे पंजाब और हरियाणा में निकाल सके। कानून क्या हैं जम्हूरियत में हम कानून पास तो करते हैं लेकिन पास करते वक्त उसमें बहुत से छिद्र छोड़ देते हैं। हम तो समझते थे कि अब की बार बड़ा कम्प्रिहैन्सिव, कंसौलिडेटिड और यूनिफाईड कानून आएगा और इसके बाद वकील लोगों, क्लायन्टस या अफैक्टिड लोगों को कोई और कानून आएगा और इसके बाद वकील लोगों, क्लायन्टस या अफैक्टिड लोागों को कोई और कानून नहीं देखना पड़ेगा लेकिन बदकिस्मती यह है कि अब भी तीन कानून उन्हें देखने पड़ेगे। एक तो यह कानून, दूसरा पैप्सू का कानून और तीसरा पंजाब को कानून देखना पड़ेगा। तीनों कानूनों के डिसिजन्ज देखने पड़ेंगे क्योंकि इसमें कहा गया है कि दोनों कानूनों की जो धारा इनकंसिसटैन्ट है इस ऐक्ट के साथ वह खत्म हो जाएगी। अब इसका निर्णय कौन करेगा सिवाय कोर्टस के? वकील कोर्टस में लडेंगे और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। मैं तो समझता हूं कि चौ. बंसी लाल ने बहुत हिम्मत की क्योंकि इस ऐक्ट को न लाने के लिए उनकी पार्टी में भी और बाहर भी बहुत प्रैशर था। जमीन के मामले में हरिजनों के बारे में चौ. प्रताप सिंह दौलता ने कहा और चौ. हरद्वारी लाल ने भी कहा लेकिन स्पीकर साहब कहने को तो हरिजनों का नाम लेकर के इस हाउस में भी और बाहर भी बहुत कुछ कहा जाता है परन्तु होता कुछ नहीं है। इस ऐक्ट में भी आप देखें पहले तो इन्होंने लिखा कि सबसे पहले शडयूल्ड कास्टस, फिर बैकवर्ड क्लासिज और उसके बाद टैनैन्टस का

दर्जा होगा लेकिन बाद में एक क्लाज में कहा है कि प्रायरिटी बाद में मुकर्रर करेंगे। जो डैलिगेटिड लैजिस्लेशन है उसमें सरकार प्रायरिटी मुकर्रर करेगी कि किस सैक्शन को, किस वर्ग को फालतू जमीन, यदि कोई है, देनी है। आबजैक्टस एंड रीजन्ज में कुछ और लिख दिया। पहले एक धारा में लिख दिया कि किन सैक्शनज को मिलनी है परन्तु बाद में कुछ और ही लिख दिया। तो गवर्नमैंट खुद इस मामले में कलीयर नहीं है। पोलिटिकल तौर पर तो कानून बहुत अच्छा है लेकिन वास्तव में इसमें कई खामियां हैं। स्पीकर साहब, प्लानिंग कमीशन की पहली योजना के ड्राफ्ट में और वह जो फाईनल ड्राफ्ट बना और फाईनल रिपोर्ट छपी उसके अन्दर ऐग्रीकल्चरल वर्कर्ज के चैप्टर में लिखा है कि लैन्डलैस लेबर्ज जो वन–थर्ड से ज्यादा है इस मुल्क का उसको जमीन जरूर देनी चाहिए क्योंकि वह सोशल जस्टिस है इकनौमिक जस्टिस नहीं। क्योंकि जमीन बाई बर्थ और हाई ऐक्सिडैन्ट आफ बर्थ ....

श्री अध्यक्ष: चौ. साहब, अब समय हो गया है।

चौ. चांद राम: बहुत अच्छा जी।

श्री अध्यक्ष: सदन कल प्रातः काल साढ़े नौ बजे तक के लिए स्थगित किया जाता है।

6.30 सायं

(इस समय सदन की बैठक बुधवार, दिनांक 4.10.72 को प्रातः साढ़े नौ बजे तक स्थगित हुई)

‘क’

परिशिष्ट

(कृपया दिनांक 3 अक्तूबर की कार्यवाही की पृष्ठ संख्या (8) 11 की पद–टिप्पणी देखें)

Cultivable land in the State

***156 Ch. Mehar Chand**: will the Chief Minister be pleased to state:

(a) the district-wise total acreage of cultivable area in the State during the years 1967-68 and 1971-72;

(b) out of the area referred to in part (a) above, the total area irrigated from (i) Government canals, (ii) Government tube-wells (iii) Private tube-wells and (iv) from other sources during the year 1967-68 and 1971-72 separately; and

(c) out of the area referred to in part (a) above, the net irrigated area from (i) Government canals, (ii) Government tube-wells, (iii) Private tube-wells and (iv) from other sources during the years 1967-68 and 1971-72 separately.

Revenue Minister (Pandit Chiranji Lal Sharma):

(a)

(b) The requisite information is given in the enclosed statement.

(c)

'ख' **Statement**

District			Cultivable Land in the State								Area in Hectares							
	(a) District-wise total acreage of cultivable area in the State during the years		(b) out of the area referred to in part (a) the total area irrigated from								Figures in lacs (rounded to two decimal points) (c) Out of the area referred to in part (a) the net area irrigated from							
			Govt. canals		Govt. tube-wells		Private tube-wells		Other sources.		Govt. canals		Govt. tube-wells		Private tube-wells		Other sources.	
			(i)		(ii)		(iii)		(iv)		(v)		(vi)		(vii)		(viii)	
	67	71	67	71	67	71	67	71	67	71	67	71	67	71	67	71	67	71

	/68	/72	/68	/72	/68	/72	/68	/72	/68	/72	/68	/72	/68	/72	/68	/72	/68	/72
Hisar	12.61	12.61	6.88	7.06	0.00	0.00	0.28	0.94	0.00	0.00	4.49	5.03	0.00	0.00	0.05	0.30	0.01	0.01
Rohtak	5.08	5.15	1.80	1.93	0.01	0.00	0.09	0.37	0.40	0.52	1.30	1.57	0.01	0.02	0.00	0.50	0.49	0.21
Gurgaon	4.89	4.89	0.14	0.32	0.00	0.00	0.41	1.07	0.46	0.24	0.07	0.22	0.00	0.00	0.26	0.99	0.26	0.18
Karnal	6.44	6.67	2.39	2.23	0.28	0.39	1.11	3.70	0.95	0.33	1.96	1.65	0.14	0.20	0.00	2.66	0.91	0.18
Ambala	2.57	2.54	0.06	0.007	0.00	0.20	0.14	0.65	0.15	0.08	0.06	0.05	0.01	0.02	0.00	0.42	0.19	0.05
Jind	2.40	2.40	1.68	2.02	0.08	0.07	0.14	0.22	0.00	0.00	0.88	1.03	0.01	0.01	0.00	0.03	0.04	0.00
Mohin	2.	2.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.

dergarh	91	94	13	14	00	00	22	29	00	00	13	10	00	00	00	22	22	00
Total	36.90	37.26	13.08	13.77	0.37	0.66	2.39	7.24	1.96	1.17	8.89	9.65	1.17	0.25	0.31	5.12	2.12	0.63

'ग'

(कृपया दिनांक 3 अक्तूबर, 1972 की कार्यवाही की पृष्ठ संख्या (8) 31 की पद टिप्पणी देखें)

Percentage of Irrigated Area to Cropped Area

***158 Ch. Mehar Chand**: Will the Chief Minister be pleased to state :-

(a) the percentage of total irrigated area from all sources to cropped area in the State during the year 1967-68 and 1971-72 separately

(b) the percentage of net irrigated area from all sources to cultivable area in the State during the years 1967-68 and 1971-72; and

(c) the percentage of net irrigated area from all sources to net cultivated area in the State during the years 1967-68 and 1971-72, separately?

Revenue Minister (Pandit chiranji Lal Sharma):

	1967-68	1971-72
(a)	35%	45%
(b)	31%	42%
(c)	32%	44%

Wine and Beer Bar in rest Houses and at lakes

112. Ch. Ram Lal Wadhwa: Will the Home Minister be pleased to state:-

(a) the total number of Wine and Beer bars so far opened by the Government in rest Houses and at lakes in the State together with the names of such Rest Houses and Lakes;

(b) the total monthly income and expenditure and also net profit accrued from such bars during the last six months ending July, 1972 separately?

'ਥ'

Home Minister (Sh. K.L. Poswal):

(a) The following wine/Beer bars have been opened in rest Houses and at Lakes in the State :-

IN REST HOUSES

(i) Blue Jay beer Bar, Tourist Rest House, Samalkha.

(ii) Jungle Babbler Beer Bar, Tourist Rest House, Dharuhera.

AT LAKES

(i) Whistling Teal Bar, Chakravarty Lake, Uchana.

(ii) Mayur bar, Badkhal Lake.

(b) the requisite information is given in the enclosed Statement.

STATEMENT

MONTHLY INCOME & EXPENDITURE AND NET PROFIT ACCRUED TO GOVERNMENT DURING THE PERIOD FROM FEBRUARY, 1972 TO JULY, 1972 IN RESPECT OF THE WINE/BEER BARS OF THE TOURISM DEPARTMENT, HAYRANA

Sr. No.	Name of bar	Month	Income	Expenditure	Profit	Loss
1	Blue Jay Beer Bar, Tourist Rest House, Samalkha (Started from 19-4-72).	4/72	2602.25	2200.50	404.75	
		5/72	4765.50	3313.63	1451.87	
		6/72	3770.42	3168.60	601.82	
		7/72	2695.00	2340.63	354.37	
			13833.17	11023.36	2809.81	
2	Jungle Babbler Beer Bar, Tourist Rest Houe,	7/72	10370.51	9247.94	1122.57	

	Dharuhera, (started from 1-7-72)					
'च'						
Sr. No.	Name of bar	Month	Income	Expenditure	Profit	Loss
3	Whistling Teal Bar, Chakravarty Lake, Uchana.	2/72	12885.68	10592.27	22993.41	
		3/72	32589.31	18173.32	4415.99	
		4/72	15695.58	13392.81	2302.77	
		5/72	17241.68	13502.65	3739.03	
		6/72	19458.64	16586.90	2871.74	
		7/72	1167.12	14152.12	3015.00	
			105038.01	86400.07	18637.94	
4	Mayur Bar, Badkhal Lake	2/72	13751.99	10811.39	2940.60	
		3/72	22869.87	15221.07	7648.80	
		4/72	33290.42	25071.62	8218.80	
		5/72	31753.09	25868.97	5884.12	
		6/72	36736.44	28171.34	8565.10	

		7/72	47338.83	35457.80	11881.03	
			185740.64	140602.19	45138.45	
	Grand Total		314982.33	247273.56	67708.77	